पंचम माला, खंड 22, अंक 21 मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972/21 अग्रहायण, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXII, No. 21 Tuesday, December 12, 1972/Agrahayana 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्द
में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hi.
English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 70 (25)
DATE 22.6.73

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972/21 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 21, Tuesday, December 12, 1972/Agrahayana 21, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
401. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ पड़ी पश्चिम बंगाल की समुद्र द्वारा भूमि कटाव सम्बन्धी योजनाएं	Sea Erosion Schemes of West Bengal Pending for Central Approval ..	1—4
402. चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं को रोकने के लिये देशव्यापी अभियान	Nation wide Drive to check Theft and Pilferage ..	4—6
404. नंगल उर्वरक कारखाने को बन्द करने की पंजाब सरकार की मांग	Closure of Nangal Fertilizer Factory demanded by Punjab Government ..	6—7
407. चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में मजदूरों की यूनियन को मान्यता	Recognition of Union of Workers in Chittaranjan Locomotive Workshop ..	7—12
408. डीघा पर्यटन केन्द्र, पश्चिम बंगाल को समुद्री कटाव का खतरा	Sea Erosion threat to Digha Tourist Centre, West Bengal ..	12—14
409. सिंचाई और बिजली संकट पर विचार करने के लिये नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of States in New Delhi to Review Power and Irrigation Crisis ..	14—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates thas the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
410. कठुआ जम्मू रेल लिंक पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की मांगें	Demands of Casual Labourers Engaged on Kathua Jammu Rail Link ..	17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
403. पश्चिम बंगाल स्थित बजबज और पहाड़पुर में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठानों में विघटन कार्यवाहियां	Disruption of IOC Installations at Budge Budge and Paharpur, West Bengal ..	18
405. उच्च ग्रेड की उपभोक्ता वस्तुओं के भाड़े की दरों में कमी	Reduction in freight rates on high graded Consumer Goods ..	18
406. उच्चतम न्यायालय में कर संबंधी अपीलें	Tax appeals in Supreme Court	19
411. राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं की धीमी प्रगति	Slow Progress of Rural Electrification Schemes in States ..	20
412. बंगला देश को मिट्टी के तेल का निर्यात	Export of Kerosene Oil to Bangladesh ..	20
413. पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाना	New Rail Lines in Kerala during Fifth Plan Period ..	20
414. शाहदरा के लिए बाढ़ रोकने सम्बन्धी योजना	Anti Flood Plan for Shahdara ..	21
415. वाल्टेयर तथा गुंटुकुल डिवीजनों को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल करना	Inclusion of Waltair and Guntakal Divisions in South Central Railway	21
416. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरिंग डिवीजन के अध्यक्ष के त्यागपत्र	Resignation of Technical Men Attached to FACT and Chief of FACT Engineering Division ..	21—22
417. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के लिए उच्च सत्ता प्राप्त तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना	Setting up of a High Power Technical Advisory Committee for Ganga Flood Control Commission ..	22—23

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
418. चोरी, उठाईगीरी और रास्ते में माल की क्षति संबंधी दावों के भुगतान में विलम्ब	Delay in making payments for claims in respect of theft, pilferage and loss of goods in Transit ..	23—24
419. ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Trombay Fertilizer Plant ..	24
420. फिरोजपुर जालंधर सेक्शन पर खोजेवाला स्टेशन का लूटा जाना	Looting of Khojewala station on Ferozepur Jullundur Section ..	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3925. बिना टिकट यात्रा करने वालों (पश्चिम रेलवे) से पर्याप्त जुर्माना वसूल न करने के कारण टी०टी०ई० तथा टिकट कलेक्टरों को दण्ड दिया जाना	Punishment to Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors for not realising enough penalty from ticketless travellers (Western Railway) ..	24—25
3926. मध्य प्रदेश की नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त योजना	Scheme from Madhya Pradesh for controlling floods in the Rivers in Madhya Pradesh ..	25
3927. संकेत तथा दूर संचार विभाग, दिल्ली के मेनटेनर्स, सहायक निरीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट	Duty list of maintainers, Assistant Inspectors, and Inspectors of Signal and Telecommunication Department, Delhi ..	25—26
3928. मेनटेनर्स और सहायक निरीक्षकों को नियमों की पुस्तकें सप्लाई किया जाना	Supply of Rule Books to Maintainers and Assistant Inspectors ..	26
3929. इण्डियन रेलवे स्कूल आफ सिगनल इन्जीनियरिंग एण्ड टेलीकम्युनिकेशन, सिकन्दराबाद में कर्मचारी प्रशिक्षार्थियों से खर्च वसूल किया जाना	Expenses charged from Staff trainees at Indian Railway School of Signal Engineering and Telecommunication Secunderabad ..	26—27
3930. चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में विद्युत प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Generating Capacity of Power in Kerala in Fourth Plan ..	27—28
3931. राज्यों में विद्युत प्रजनन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Power Generating Schemes in States ..	28
3932. केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना	Vamanapuram Irrigation Project in Kerala ..	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3933. मद्रास त्रिवेन्द्रम मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के लिये डीजल इंजन	Diesel Engines for Madras Trivandrum Mail/Express Trains ..	28—29
3934. रेल यात्रा की गति तेज करने और उसमें सुधार करने के लिए नये प्रयोग	Innovations to make the Rail Travel Faster and better ..	29
3935. जी० टी० एक्सप्रेस और आसाम मेल का पठानकोट तक चलाया जाना	Extension of G. T. Express and Assam Mail upto Pathankot ..	29
3936. नंगल डैम से ऊना तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Railway line from Nangal Dam to Una ..	30
3937. सोन नदी बांध से नहर	Canal from Sone River Barrage ..	30
3938. बिहार की पुन पुन नदी पर सिंचाई नहर का निर्माण	Building of Irrigation canal on Poon-Poon River in Bihar ..	30—31
3939. बिना शैड वाले रेलवे प्लेटफार्म	Railway platforms without sheds	31
3940. मिट्टी के तेल का वार्षिक उत्पादन	Annual production of Kerosene Oil ..	31—32
3941. दुर्गापुर विद्युत उत्पादन केन्द्र, कलकत्ता को ठेकेदारों द्वारा कोयले की सप्लाई	Supply of coal by contractors to Durgapur Electricity producing Centre, Calcutta ..	32
3942. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में परिवर्तन	Changes in the Muslims' Personal Law ..	32
3943. दक्षिणपूर्व जोन की आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन द्वारा पारित संकल्प	Resolutions passed by All India Railway Commercial Clerks Association, South Eastern Zone ..	32—33
3944. जल के दुरुपयोग के कारण चंबल नियंत्रण बोर्ड को राजस्व की हानि	Loss of Revenue to Chambal Control Board due to misuse of water ..	33
3945. नेशनल वाटर ग्रिड सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on National Water Grid ..	33—35
3946. समान सिविल संहिता	Uniform Civil Code ..	35
3947. रेल कर्मचारियों को बोनस देने की मांग	Demand for Bonus to Railway Employees..	36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		

3948. नार्थ कनारा जिला (मैसूर) में गैर सरकारी क्षेत्र के कास्टिक सोडा प्लांट को संयुक्त क्षेत्र में लाना	Conversion of private sector caustic Soda Plant in North Kanara District (Mysore) into Joint Sector Plant ..	36
3949. शारदा अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम को क्रियान्वित किया जाना	Non implementation of Sharda Act and the Act to Prohibit Dowry ..	36
3950. पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिये मांग	Demand for an Atomic Plant in the Eastern Region ..	36—37
3951. हेमवती, अपर कृष्णा और मालाप्रबना परियोजनाओं की क्रियान्विति	Execution of Hemavathy, Upper Krishna and Malaprabna Projects ..	37
3952. रिवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी द्वारा आत्महत्या	Suicide by Sweeper at Rewari Railway Station ..	37—38
3954. ईराक से अशोधित तेल के आयात के बदले वहां निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं	Goods proposed to be exported to Iraq against the import of Crude Oil ..	38
3955. हरियाणा में नायलोन धागा बनाने वाला कारखाना लगाया जाना	Setting up of Nylon Yarn manufacturing project in Haryana ..	38—39
3956. अल्जीरिया से अशोधित तेल	Crude Oil from Algeria	39
3957. वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of different type of Chemical Fertilizer Factories during 1971-72 ..	39
3958. सुन्दरबन तक रेल सेवा का विस्तार	Extension of Railway Services to Sunderbans ..	39—40
3959. उत्तर रेलवे जनरल स्टोर शकूर बस्ती के नैमित्तिक खलासियों और कैन्टीन कर्मचारियों के साथ एक सा व्यवहार करना	Treatment of Canteen Staff at Par with Casual Khalasis in Northern Railway General Store, Shakurbasti ..	40
3960. उत्तर रेलवे मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिये हुई परीक्षा का परिणाम	Result of Test for Post of Junior Translators in Headquarters, Northern Railway ..	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3961. सिगनल और दूर संचार विभाग विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण-मध्य रेलवे) में विभिन्न श्रेणियों के लिये छुट्टी-आरक्षित स्टाफ	Leave Reserve Staff for various categories in Signal and Tele-Communication Department Vijayawada Division (South-Central-Railway) ..	41
3962. कलकत्ता में सियालदह स्टेशन से महात्मा गांधी रोड और कस्बा से बालीगंज तक फ्लाई-ओवर बनाना	Flyovers from Sealdah Station to Mahatma Gandhi Road and Kasba to Ballygunge in Calcutta ..	41
3963. भारतीय रेल इंजनों का निर्यात	Export of Indian Locomotives ..	42
3964. आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश और हिन्दुस्तान ऐन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में तैयार दवाइयों के लागत मूल्यों में कमी	Reduction in the cost of Drugs manufactured in IDPL Rishikesh and Hindustan Anti Biotics Limited, Pimpri ..	42
3965. हिन्दुस्तान एलमीनियम निगम को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Hindustan Aluminium Corporation ..	42—43
3966. पश्चिम बंगाल में केलेघई तटबन्ध के निर्माणार्थ अर्जित भूमि के लिये मुआवजा	Compensation for lands requisitioned for construction of Keleghye Embankment in West Bengal ..	43
3967. दुबदा बेसिन जल निस्सारण योजना की क्रियान्विति से प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवजा	Compensation paid to families affected by the implementation of Dubda Basin Drainage Scheme ..	43—44
3968. पश्चिम बंगाल में जल निकास की समस्याएं	Drainage problems in West Bengal ..	44
3969. अलाभप्रद रेलवे लाइनों को सड़कों में बदलना	Conversion of Railway Beds of Uneconomic lines into Roads ..	44—45
3970. रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था के बीच समन्वय	Factors for Co-ordination between Rail and Road Transport Systems ..	45
3971. विजयवाड़ा डिवीजन में इक्कीस रेलगाड़ियों को रोका जाना	Twenty one trains were detained in Vijyawada Division ..	45
3972. बोनस विवाद पर हड़ताल के लिये मत संग्रह करना	Strike Ballot on Bonus Issue ..	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3973. चण्डीगढ़ तथा लुधियाना के बीच रेलवे सम्पर्क	Railway link between Chandigarh and Ludhiana ..	46
3974. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के लिये अध्यापकों/मुख्याध्यापकों की भर्ती पदोन्नति के लिये अर्हताएं/नियम	Specific Qualifications/Rules for Recruitment/promotion to the Teacher/Headmaster in Schools run by F. C. I.	46—47
3975. अक्टूबर, 1972 के अनेक दंगों के कारण रद्द की गयी गाड़ियां	Trains cancelled during October, 1972 due to various Disturbances ..	47
3976. बंगाल की खाड़ी में तटदूर तेल की खोज	Off Shore Oil exploration in Bay of Bengal ..	47
3977. पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in West Bengal and Andhra Pradesh ..	48
3978. आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये नए पेट्रोलियम और रसायन कारखाने लगाना और विद्यमान कारखानों का विस्तार करना	Setting up of New Petroleum and Chemical factories and Expansion of the Existing factories to achieve selfsufficiency ..	48—49
3979. केरल में नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में पहले के प्रस्ताव	Earlier proposal to lay new Railway lines in Kerala ..	49—50
3980. केरल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects under construction in Kerala ..	50
3981. केरल में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई	Irrigation of cultivable land in Kerala ..	50—51
3982. रेलवे कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके इस्पात वैगनों का अपहरण करना	Hijacking of Steel Wagons in connivance with Railway staff ..	51
3983. गुजरात में पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Petro-Chemical Complex in Gujarat ..	51
3984. संयुक्त राष्ट्र के जल संसाधनों सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार का प्रेस वक्तव्य	Press statement by Technical Adviser on Water resources to U. N. ..	52
3985. आंध्र प्रदेश में चल रही भारतीय उर्वरक निगम की शाखाओं के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप	Allegations levelled against the management of FCI branches functioning in Andhra Pradesh ..	52

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3986. आंध्र प्रदेश में ग्रामविद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification schemes in Andhra Pradesh	..	52—53
3987. सरकार द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों को विदेश धन भेजने से रोका जाना	Withholding of remittances of Foreign Oil Companies by Government	..	53
3988. शोरानूर बंगलौर बड़ी लाईन का रखरखाव	Maintenance of Shoranur Mangalore broad gauge line	..	53—54
3989. दक्षिण पूर्व रेलवे के छंटनी किये गये संकेत और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना	Absorption of retrenched employees of Signal and Telecommunication Department (South Eastern Railway)	..	54
3990 गंडक परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट	Report on Gandak Project	..	54
3991. विद्युत परियोजनाओं के बारे में विद्युत मितव्ययता समिति का प्रतिवेदन	Report of the Power Economy Committee on Power Projects	..	54—55
3992. रेल कर्मचारियों के लिये उचित दर की दुकानें खोलना	Opening of fair price shops for Railway employees	..	55
3993. केरल को समुद्री कटाव से रोकने के लिये समुद्री दीवारें बनाने के लिये सहायता देना	Assistance to Kerala for building Sea walls against sea erosion	..	55—56
3994. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा रांची में रेलवे के लिये एक स्क्रैप यार्ड बनाया जाना	Building a Scrap Yard for the Railways at Ranchi by HEC	..	56
3995. ओलावाक्कोट मंगलौर रेल मार्ग पर डीजल के इंजनों का प्रयोग	Dieselisation of Olavakkot-Mangalore Rail Route	..	56
3996. शोरानूर तथा कन्नानौर के बीच डीजल कारें चलाना	Introduction of Diesel Cars between Shoranur and Cannanore	..	57
3997. अग्रिम बुकिंग तथा बर्थों के आरक्षण को सरल बनाने के उपाय	Measures to make advance booking and reservation of berths easier		57
3998. वित्तीय आयुक्त (रेलवे) के अधीन स्वतन्त्र एकक	Independent Unit under Financial Commissioner (Railways)	..	57—58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3999. नंगल उर्वरक कारखाने के प्रमुख भाग के स्थान पर उर्वरक एकक स्थापित किया जाना	Setting up of Fertilizer Unit in replacement of major part of Nangal Fertiliser Factory ..	58
4000. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर अलाभकर रेलवे लाइन पर यातायात बढ़ाने के प्रयास	Steps to improve Traffic on Uneconomic Railway line on the Border of Maharashtra-Madhya Pradesh ..	58
4001. रेलवे के लेखा कार्यालयों में श्रेणी 1 और 2 के क्लर्कों के वेतनमान मिलाना	Merger of Scales of clerks Class I and II in Railways Accounts Offices ..	58—59
4002. धनबाद के रेलवे क्लब के अहाते में रेल कर्मचारियों का कन्वेंशन	Convention of Railwaymen in Railway Club premises, Dhanbad ..	59
4003. रेलवे क्लब और संस्थान, धनबाद में ठेकेदार द्वारा सिनेमा चलाना	Running of Cinema by Contractor in Railway Club and Institute, Dhanbad ..	60
4004. वर्ष 1972-73 में उर्वरकों के उत्पादन में कमी के कारण	Reasons for Shortfall of production of Fertilizers during 1972-73 ..	60—61
4005. जम्मू के निकट तेल खुदाई में अधिक लागत आना	High Oil Drilling Cost near Jammu ..	61
4006. आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्रों में तापीय बिजली घर स्थापित करने का अनुरोध	Andhra Pradesh request for setting up Thermal Generation Units in Coal Mining Areas ..	62
4007. पूर्वी क्षेत्र में तापीय विद्युत उत्पादन के लिये घटिया ईंधन का उपयोग	Use of inferior quality of fuel for Thermal Power Production in Eastern Region ..	62—63
4008. राज्यों में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in States ..	63
4009. क्षेत्रीय आधार पर बिजली का उत्पादन	Generation of Power on Regional Basis ..	63
4010. रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को ब्रेक डाउन भत्ते के स्थान पर दैनिक भत्ता दिया जाना	Payment of Daily Allowance in lieu of Break Down Allowance to Signal and Telecommunication Department Staff on Railways ..	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4011. रेलवे समय सारणी के मई, 1972 के संस्करण में बंगला देश को पूर्वी बंगाल के रूप में दिखाना	Bangladesh shown as East Bengal in May, 1972 issue of Railway Time Table ..	64
4012. रेलवे बजट में प्रशासन व्यय की प्रतिशतता	Percentage of Railway Budget spent on Administration ..	64
4013. रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या	Number of passengers travelling in various classes in Railway ..	64—65
4015. करवार में एक सोडा ऐश संयंत्र लगाने के लिये मैसर्स बालापुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड को लाइसेंस देना	Issue of a licence for a Soda Ash Plant at Karwar in M/s Ballarpur Paper and Straw Boards Ltd. ..	65
4016. अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा कृष्णानदी बेसिन के बारे में निर्णय	Decision on Krishna Basin Rivers by Inter State River Water Disputes Tribunal ..	65
4017. शोलापुर शाहाबाद सभा धौंद वाडीं के बींच रेलवे लाइनें	Railway Lines between Sholapur-Shahabad and Dhond Wadi ..	66
4018. हरियाणा में लोहारू में लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था को क्षति	Damage to Loharu Lift Irrigation System in Haryana ..	66
4019. केरल (दक्षिण रेलवे) में कारखानों, वर्कशापों, स्टोरों, डिपुओं और स्क्रैप डिपुओं का स्थित होना	Location of Factories, Workshops, Stores Depots and Scrap Depots in Kerala (Southern Railway) ..	67
4020. वर्ष 1973-74 का 1974-75 में उत्तरी क्षेत्र में बिजली की अनुमानित कमी	Estimated Shortage of Power in Northern Region in 1973-74 and 1974-75 ..	67—68
4022. दक्षिणी राज्यों में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करना	Setting up of New Fertilizer Units in Southern States ..	68
4023. पश्चिम कोसी नहर परियोजना की प्रगति	Progress made on Western Kosi Canal Project ..	68—69
4024. दरभंगा में तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	Setting up Thermal Power Project at Darbhanga ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4025. कमला नदी तटबन्धों का विस्तार	Extension of Kamala River Embankments..	69—70
4026. कोयले की कमी के कारण गाड़ियों को रद्द करना	Cancellation of Trains due to the Shortage of Coal ..	70
4027. नैफ्था की कमी	Shortage of Naphtha ..	70—71
4028. दक्षिण रेलवे में समस्त डिवीजनों के आधार पर वरिष्ठ अधीनस्थों की वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of Seniority of Senior subordinates of All Division Basis (Southern Railway) ..	71
4029. कोयम्बतूर शहर के पोदानूर क्षेत्र सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशाप के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर भत्ता देना	Grant of HRA and CCA to Staff of S&TW/Shop Podanur Areas of Coimbatore City ..	71—72
4030. सेलम मार्किट क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के लिये पेय जल	Drinking Water for Railway Staff at Salem Market Area ..	72
4031. उत्तर रेलवे के पठानकोट जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन को बन्द करना	Closure of Pathankot Jiginder Nagar Railway Line (Northern Railway) ..	72—73
4032. रेलवे श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन	Report of Railway Labour Tribunal ..	73—74
4033. पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of Trains in the North East Region ..	74
4034. राजस्थान में माही सागर परियोजना को स्वीकृति	Mahi Sagar Project in Rajasthan ..	74—75
4035. राजस्थान द्वारा पंजाब को विद्युत की सप्लाई	Supply of Power to Punjab by Rajasthan ..	75
4036. मध्य प्रदेश में पुनासा बांध का निर्माण	Construction of Punasa Dam in M.P. ..	75—76
4037. मध्य प्रदेश के लिये मंजूर की गई बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं	Major and medium Irrigation Projects sanctioned for Madhya Pradesh ..	76
4038. मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में सुक्ता परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Sukta Project in East Nimar District of Madhya Pradesh ..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4039. दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण परियोजना	Flood Control Projects in Delhi ..	77
4040. गया होकर पटना से धनबाद तक के लिये सीधी गाड़ी चलाना	Introduction of a Direct Train from Patna to Dhanbad via Gaya ..	77—78
4041. कार्मिक शाखा, दानापुर डिवीजनल आफिस (पूर्वी रेलवे) में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या	Strength of Class III & IV Staff and Clerical Staff in personnel Branch Danapur Divisional Office (Eastern Railway) ..	78
4042. भविष्य निधि अनुभाग में लेखा लिपिकों के लिये समान मापदंड	Uniform Yardstick for Accounts Clerks in P. F. Section ..	78
4043. पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में हेड टाइपिस्ट की नवीनतम कर्त्तव्य में सूची लागू करना	Implementation of Latest Duty List of Head Typists in Kota Division (Western Railway) ..	79
4044. पश्चिम रेलवे के बारे में शंकर सरन पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Shanker Saran Award on Western Railway ..	79—80
4045. रियायती दरों पर तेल देने के लिये ईराक से पेशकश	Offer from Iraq for Oil on Concessional Rates ..	80
4046. संश्लिस्ट रेशों का निर्माण करने वाले एकक	Units manufacturing Synthetic Fibres ..	80—81
4047. सम्बलपुर में सिंचाई योजनाओं के लिए राशि	Funds for Irrigation Schemes at Sambalpur	82
4048. भारतीय विद्युत अधिनियम में परिवर्तन	Changes in Indian Electricity Act ..	82
4049. बिहार में हटिया स्टेशन पर चोरी	Theft at Hatia Station in Bihar ..	82
4050. अम्बाला यात्री गाड़ी में गण्डों द्वारा यात्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार	Misbehaviour of Bad Characters with Passengers in Ambala Passenger Train..	83
4051. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मैसर्स मोटे एडीसन के साथ करार	FCI entered into contracts with M/s Monte Edision ..	83—84
4052. पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निकाले गये तथा सेवा में पुनः बहाल किये गये रेलवे कर्मचारी	Railway employees discharged on the basis of Averse Police report and re-instated in service ..	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4053. पिछले तीन वर्षों में गम्भीर दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुई रेलवे की सम्पत्ति और मृत व्यक्तियों की संख्या	Railway property destroyed and number of people killed due to accidents of serious nature during the last three years ..	84—85
4054. विदेशी इक्विटी वाली औषध निर्माता फर्मों के विरुद्ध भारी मात्रा में औषधियों के आयात में कदाचार के आरोप	Charges of malpractices in the Import of bulk drugs against the drug manufacturing firms with foreign equity ..	85—86
4055. विदेशी नियंत्रण वाली दो फर्मों को कीटनाशी पदार्थों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंस	Licences to import pesticides granted to two foreign controlled firms ..	86
4056. कीटनाशी औषधियां बनाने के लिये विदेशी फर्मों को दिये गये आशय पत्र तथा सरकारी क्षेत्र में ऐसे संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव	Letter of intents to manufacture Pesticides granted to Foreign Firms and proposals to set up such plant in Public Sector ..	86—87
4057. बम्बई और बड़ौदा के बीच रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway lines between Bombay and Baroda ..	87
4058. मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सोडा ऐश के कारखानों का निर्माण	Construction of Soda Ash Factories in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat ..	87—88
4059. मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई योजनाएं	Major Irrigation Schemes in Madhya Pradesh ..	88
4060 बरेली डिवीजन में लूटमार तथा चोरी की घटनाओं में वृद्धि	Increase in the Incidents of Loot and Theft in Bareilly Division ..	88—89
4061. टूण्डला लाइन का विस्तार	Extension of Tundla Etah Line ..	89
4062. बरेली डिवीजन में अपर क्लास के वेटिंग रूम्स में अटेन्डेंट की नियुक्ति	Appointment of Attendant in Upper Class Waiting Rooms on Bareilly Division ..	89—90
4063. पोटाशियम क्लोराइड और आमोनियम सल्फेट का उत्पादन	Production of Potassium Chloride and Ammonium Sulphate ..	90
4064. उर्वरक के उत्पादन में कमी	Production of Fertilizer Going Down ..	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4065. मक्खन लाने ले जाने के लिए प्रशीतक माल डिब्बे	Refrigerated wagons for movement of butter ..	91
4066. उद्योगों के लिये अपना माल डिब्बा खरीदो योजना	Own your own wagon scheme for industries..	91
4067. रेलवे संचार के बारे में नई दिल्ली में भारत और बंगला देश के बीच वार्ता	Indo-Bangladesh talks on Railway Communications held in New Delhi ..	91—92
4068. गिनी के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	Guinea Delegation's visit to India ..	92
4069. कंकरीट के स्लीपरों का उपयोग	Introduction of concrete sleepers ..	92
4070. सासनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बनाना	Conversion of Sasni Vidhan Sabha Constituency into a General Seat ..	93
4071. त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित किया जाना	Setting up of a Branch of Kerala High Court at Trivandrum ..	93
4072. भारतीय उर्वरक निगम के संतुलन पत्र में आस्थगित व्यय के द्वारा लाभ दिखाना	Showing of Profit in Balance sheet of FCI by deferring expenses ..	93—94
4073. गुजरात में गैस का उचित उपयोग	Proper utilisation of Gas in Gujarat ..	94
4074. जापानी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनायें	Fertiliser projects in Public Sector with Japanese collaboration ..	94—95
4075. इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों को सीधी बिक्री के माध्यम सप्लाई की गई मोटर स्प्रिट की मात्रा	Quantity of Motor Spirit supplied by IOC toForeign Oil Companies on direct sale..	95—96
4076. उर्वरक और रसायनों का उत्पादन कर रही विदेशी कम्पनियां	Foreign companies engaged in the production of Fertiliser and Chemicals ..	96
4077. नई दिल्ली में मोतिया बाग की रेलवे कालोनी में पहली मंजिल के क्वार्टरों में बालकनी	Balconies on first floor of quarters at Railway Colony, Motia Bagh, Delhi ..	96—97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4078. पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of employees on North Eastern Railways ..	97
4079. समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के मैकेनिकल विभाग के छुट्टी रिजर्व संगचल कर्मचारी पदों का भरा जाना	Filling up of Leave Reserve post of Running staff of Mechanical Department, Samastipur Division (N. E. Railway) ..	97
4080. भारतीय संहिता के खण्डों को नवीनतम बनाये रखना	Maintenance of volumes of India Code uptodate ..	97—98
4081. किसानों को विद्युत की सिप्लाई	Supply of Power to Farmers ..	98
4082. क्योंझर उड़ीसा में सालन्दी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of people affected by Salandi Dam Project in Keonjhar Orissa ..	98
4083. विद्यार्थी आन्दोलन के दौरान आग लगा दिये जाने से हुई हानि के लिये पंजाब के व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to persons in Punjab whose goods were set on fire during student's agitation ..	99
4084. नर्मदा जल विवाद में प्रधान मंत्री का पंचाट	Prime Minister's award in Narmada water dispute ..	99
4085. रेल वैगनों की कमी	Shortage of Railway Wagons ..	99—100
4086. राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये राजस्थान बिजली बोर्ड को सहायता	Assistance to Rajasthan Electricity Board for Electrification of Villages in Rajasthan ..	100
4087. पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन/गाड़ी	New Railway lines/Trains in Backward areas ..	100
4088. मालदा से गजल होकर बलूरघाट तक बड़ी लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Broad Gauge line from Maldah to Balurghat via Gajal ..	101
4089. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों को यात्रा भत्ता तथा स्थानापन्न भत्ता	T. A. and Officiating Allowances to Relieving Assistant Station Masters, Delhi Division Northern Railway) ..	101
4090. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर	Duty Roster of Assistant Station Master Delhi Division (Northern Railway) ..	101—102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4091. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवाओं को स्थायी बनाना	Confirmation of Station Masters/Asstt. Station Masters, Delhi Division (Northern Railway) ..	102
4092. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों की संख्या	Strength of Assistant Station Masters and Station Masters, Delhi Division (Northern Railway) ..	102—103
4093. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में विश्राम देने वाले सहायक स्टेशन मास्टर	Rest giver Asstt. Station Masters in Delhi Division (Northern Railway) ..	103
4094. झांसी जिले में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of Thermal Power Plant in Jhansi District ..	103—104
4095. अम्बगुडा तथा केसिंगा के बीच रेल लाइन	Rail Link between Ambaguda and Kesenga ..	104
4096. कोरापुट तथा बस्तर के बीच रेल लाइन	Rail Link between Koraput and Bastar ..	104
4097. खेती करने के लिये रेलवे के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को परती भूमि का आवंटन	Allotment of Fallow Land to Class IV Railway Employees for Cultivation ..	104—105
4098. बरास्ता घाघरा नदी बिचिया स्टेशन से कोडियालाघाट तक रेलवे लाइन	Railway line between Bichia Station and Kaurialaghat via River Ghagra ..	105
4099. नेपाल में एक विद्युत परियोजना का स्थापित किया जाना	Setting up of a Power Project in Nepal ..	105—106
4100. मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Aid for Irrigation Projects in Mysore ..	106
4101. मैसूर स्थित शरावती पन-बिजली योजना को हुई हानि	Damage to Sharvathy Hydro Electric Project, Mysore ..	106—107
4102. नाईट्रोजन तथा फासफेट उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Installation of Nitrogen and Phosphate Plants ..	107
4103. उद्योग की वैगन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये रेलवे की क्षमता	Railways capacity to meet Industry's Requirement of Wagons ..	107—108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4104. पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया "आपरेशन साबरमती"	"Operation Sabarmati" launched by Western Railway ..	108
4105. अहमदाबाद स्टेशन पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेषित माल की बुकिंग	Booking of Perishable Consignments at Ahmedabad Station ..	109
4106. भारतीय तेल निगम में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की मांग के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से भारतीय तेल निगम का अनुरोध	Request of IOC to various Government Departments for Meeting their requirements from SC/ST Candidates ..	110
4107. भारतीय तेल निगम में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Staff-strength Category-wise in IOC and Number of Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	110—111
4108. अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के डिवीजनल आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध ब्यावर स्टेशन के व्यापारियों द्वारा शिकायत	Complaint by Traders of Beawar Station against Divisional Operating Superintendent, Ajmer Division (Western Railway) ..	111—112
4109. बाराबंकी से बरौनी तथा मुजफ्फरपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर व्यय	Expenditure on Conversion of Metre Gauge line to Broad Gauge from Barabanki to Barauni and Muzaffarpur ..	112
4110. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का अधिकार में लिया जाना	Take over of Brahmaputra Flood Control Commission ..	113
4111. संसद् सदस्यों के पत्रों का उत्तर न देने के बारे में जनरल मैनेजरों को निर्देश	Directive issued to General Managers not to reply to letters sent by Members of Parliament ..	113
4112. भारतीय उर्वरक निगम में आन्तरिक गड़बड़ी के कारण से उत्पादन में कमी	Production of Fertilizer Suffering due to Internal Ailments in FCI ..	113—114

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सायंकालीन कालेजों और तीन संकायों के बन्द किये जाने का समाचार	Reported closure of Evening colleges and three Faculties of Banaras Hindu University		114—119
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	..	114, 116—118
प्रो० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan		114—119
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table		119
स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य खजांची श्री वी० पी० मल्होत्रा की बरखास्तगी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Dismissal of Shri V. P. Malhotra, former Chief Cashier of State Bank of India, New Delhi	..	119—121
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	..	119—120
जम्मू तथा काश्मीर में नियंत्रण रेखा को अन्तिम रूप देने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Finalisation of Line of Control in Jammu and Kashmir	..	121—122
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	..	121—122
श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा 11 दिसम्बर, 1972 को लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में	Re. Certain allegations made by Shri Jyotirmoy Bosu on December 11, 1972	..	122—123
दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re. Sweepers strike in Delhi	..	124
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill	..	124—126
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	125
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	..	124—126
खंड 2 से 8 और खंड 1	Clauses 2 to 8 and 1		
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	126
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	Industrial Finance Corporation (Amendment) Bill	..	126—129
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	126
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	..	126—128
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	..	128—129
भारत में सी० आई० ए० की बढ़ती हुई गतिविधियों के बारे में चर्चा	Discussion re. Growing CIA activities in India	..	129—146
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	..	129—133

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	..	133—134
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	..	134—136
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	..	136—137
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu		138—140
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	..	140—141
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	..	141—142
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	142
श्री श्याम नंदन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	..	142—143
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	..	143
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	..	143—145
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	145—146

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972/21 अग्रहायण, 1894 (शक)

Tuesday, December 12, 1972/Agrahayana 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ पड़ी पश्चिम बंगाल की समुद्र द्वारा भूमि कटाव संबंधी योजनाएं

*401. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में समुद्र अथवा नदी द्वारा भूमि के कटाव की समस्या के समाधान के लिए वहां की सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत की जो कई योजनायें केन्द्र के अनुमोदनार्थ तथा सहायतार्थ भेजी हैं वे केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). समुद्र अथवा नदी कटाव से बचाव के लिए केन्द्र की स्वीकृति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की कोई स्कीम लम्बित नहीं पड़ी है । अभी हाल में पश्चिम बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में समुद्र तथा नदी कटाव संबंधी समस्याओं के हल हेतु प्रस्तावित स्कीमों की सूची दी गई है जिनकी अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये है तथा जिसमें 1973-74 से प्रत्येक वर्ष 6 से 7 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकांश स्कीमों को अभी तैयार किया जाना है तथा राज्य सरकार द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वियन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

समुद्र तथा नदी कटाव से बचाव हेतु स्कीमें राज्य योजना के बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के एक भाग के रूप में होती हैं और वर्तमान पद्धति के अनुसार उनके लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसो विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है। अतः समुद्र तथा नदी कटाव स्कीमों के लिए, राज्य सरकार को अपनी योजना में प्रावधान करना होता है।

डा० रानेन सेन : मैंने प्रश्न में पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई योजना भजी है। विवरण में कहा गया है :

"पश्चिम बंगाल सरकार से हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रस्तावित योजनाओं की सूची दी गई है . . ."

इसके पश्चात विवरण में कहा गया है :

"राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकांश योजनायें अभी तैयार की जानी हैं"...

इस बात को ध्यान से रखते हुये कि समुद्र से बहुत से स्थानों पर भू कटाव हुये हैं जिनसे डिघा स्थित सरकारी अतिथि गृह को क्षति पहुंची है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुये कि रूपनारायण नदी से ज्योंखाली तथा हाल्दिया के निकट गंभीर कटाव हुआ है जिससे हाल्दिया पत्तन को क्षति पहुंची है तथा फरक्का के निकट भागोरथी नदी के तट पर धुलियन में कटाव से दोनों जिलों के बहुत से गांवों को क्षति पहुंची है, क्या मैं जान सकता हूं—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन पहलुओं पर विचार किया है जिनका हवाला राज्य सरकार ने अपने पत्र में दिया है ;

(ख) राज्य सरकार ने अपने पत्र में कौन-कौन बातें उठायी हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील : पत्र इस वर्ष नवम्बर के अन्त में प्राप्त हुआ है। पत्र में उन्होंने कई योजनायें आरम्भ करने के लिये लिखा है तथा समुद्र और नदी से कटावों की गम्भीरता की ओर निर्देश किया है। उन्होंने कुछ योजनाओं के नाम बताये हैं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा ये योजनायें अभी तैयार की जानी हैं। उन्होंने बताया है कि इन योजनाओं के लिये 68 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। उन्होंने 6,7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने वाले चरण बद्ध कार्यक्रम के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि नियतन करते समय केन्द्रीय सरकार को समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखना चाहिये। परन्तु कटाव सम्बन्धी कार्य राज्य योजनाओं के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का भाग हैं और केन्द्र से सहायता राज्य योजनाओं के लिये एक मुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है, किसी विशेष योजना अथवा विकास कार्य के लिये नहीं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है, जैसा हमें समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है, कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से विशेषज्ञों का एक दल भेजने के लिये अनुरोध किया है जो पश्चिम बंगाल

सरकार के विशेषज्ञों के साथ बैठे और स्वयं क्षेत्रों को देखे तथा योजनायें तैयार करने के साधन खोज निकाले, परन्तु भारत सरकार ने अभी राज्य सरकार के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है ? यदि ऐसा है तो कटाव के कारणों की जांच करने तथा उनको रोकने के उपाय खोजने के लिये एक दल भेजने में केन्द्रीय सरकार की अनिच्छा के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : जहां तक हमें पता है फरक्का से नीचे 50 किलोमीटर तक कटाव की समस्या बहुत गम्भीर है। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि विशेषज्ञ इंजीनियरों के दल, जिसने मौके पर निरीक्षण किया, की सिफारिशों तथा केन्द्रीय जल विद्युत आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत् अनुसंधान केन्द्र खड़गवासला पूना और पश्चिम बंगाल के नदी अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों को, जिन्हें हाल ही में अन्तिम रूप दिया जा रहा है, ध्यान में रखते हुये वे इन कटाव कार्यों के लिये एक व्यापक योजना तैयार करें। अतः यह बात सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में वे सिफारिशों को अन्तिम रूप देने वाले हैं।

डा० रानेन सेन : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशेषज्ञों का एक पत्र भेजने का अनुरोध किया है ? मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री बैजनाथ कुरील : मैंने अभी बताया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र आदि के विशेषज्ञों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है। उनकी सिफारिशें अनिर्णीत पड़ी हैं और उन्हें हाल ही में अन्तिम रूप दिया जाने वाला है।

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, नदी के कटाव का दायित्व राज्य सरकार का हो सकता है। परन्तु समुद्री कटाव के मामले में, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने समुद्री कटाव से राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिये सहायता मांगी, क्या इस ओर ध्यान देना तथा इन कार्यों के निरीक्षण के लिये विशेषज्ञों का दल भेजना केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है ?

श्री बैजनाथ कुरील : जैसा कि मैं बता चुका हूं, केन्द्रीय सरकार ने उनके अनुरोध पर ध्यान दिया है और एक बोर्ड का गठन किया है जो इस माह के अन्त तक घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा वहां बैठकर योजनायें तैयार करेगा।

श्री समर गुह : मैंने भी इसी विषय पर एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 408।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने बहुत देर कर दी है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में तथा राज्य के सम्बद्ध क्षेत्रों में समुद्र तथा नदी से कटाव की समस्या के समाधान के लिये बंगाल की खाड़ी में इस महाद्वीप के रेतीले किनारों पर जल विज्ञान सम्बन्धी गम्भीर अनुसंधान किये जाने चाहिए ? क्या सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं। और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। जल विज्ञान के इंजीनियरिंग विशेषज्ञों तथा भारतीय तकनीकी संस्थान के लोगों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है।

श्री जगन्नाथ राव : हमारे देश में बाढ़ तथा ज्वार भाटों से आये दिन भू-कटाव होता रहता

है। क्या भारत सरकार ने कटाव रोकने के उपाय करने के लिये प्रभावित राज्यों को संकट युक्त करने के लिये किसी निधि की व्यवस्था की है ?

श्री बैजनाथ कुरील : मैं बता चुका हूं कि ये कार्य राज्य के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य के दायित्व के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्रीय सरकार भी राज्यों को तभी सहायता देने पर विचार करती है जब राज्य सरकारें विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और यह बताती हैं कि धनराशि के सम्बन्ध में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें सहायता की आवश्यकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि भूमि कटाव तथा गाद एकत्रित हो जाने और दोषपूर्ण आयोजन के कारण दामोदर नदी के निचले भाग, विशेषकर हावड़ा और हुगली जिले में प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक तीसरे वर्ष, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और वहां बाढ़ का भयंकर प्रकोप रहता है ? बाढ़ नियंत्रण दामोदर घाटी निगम योजना का ही एक भाग है। दोषपूर्ण योजना बनाने तथा दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण लोगों को क्षति सहन करनी पड़ती है। क्या सरकार के सामने इस क्षेत्र के विकास के लिये कोई ठोस योजना है जिससे दामोदर नदी के निचले भाग में भूमि-कटाव तथा गाद के जमा होने को रोका जा सके और उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ न आये ?

श्री बैजनाथ कुरील : कुछ योजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है और केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ को रोकने के प्राथमिक कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यह राशि चौथी योजना के शेष वर्षों में व्यय की जायेगी।

चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान

*402. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं को रोकने के लिये इस वर्ष जनवरी के महीने में राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के सहयोग से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) रेलवे सुरक्षा बल बनाये जाने के बाद चोरियों और उठाईगीरी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है अथवा कमी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). जी हां। चोरी और उठाईगीरी को समाप्त करने के लिये प्रत्येक रेलवे पर दो प्रकार की संयुक्त समितियां, अर्थात् राज्य स्तर की समिति और मूल इकाई स्तर की समिति, जनवरी, 1972 में स्थापित की गयी थीं। चूंकि ये समितियां कुछ ही महीनों से काम कर रही हैं इसलिए अभी परिणामों का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि रेल कर्मचारियों के अन्दर क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या घटाने के बारे में अधिक चेतना उत्पन्न हो गयी है और राज्य सरकार के प्राधिकारियों की ओर से अधिक सहयोग दिया जा रहा है।

(ग) यातायात में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के साथ साथ रेलों पर चोरी और उठाईगीरी भी बढ़ रही है। रेलवे सुरक्षा दल रेल सम्पत्ति की रक्षा और हिफाजत करने तथा उसे सौंपे गये दूसरे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए पूरा-पूरा प्रयास करता रहा है। इस दल की विद्यमानता बड़ा

भारी निवारक प्रभाव रखती है। भारतीय रेलों पर चोरी और उठाईगीरी कम करने के लिये इस दल को एक बेहतर साधन बनाने के उद्देश्य से इसे फिर से गठित करने के लिये भी कार्रवाई की जा रही है।

श्री राजदेव सिंह : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर स्पष्ट नहीं है। कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जब रेलवे सुरक्षा बल बनाया गया था, सरकार द्वारा इसके कार्यों का मूल्यांकन कर लिया जाना चाहिये था। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे सुरक्षा बल बनाने से तथा सरकार का इस पर जितना खर्च आता है, चोरी अथवा उठाईगीरी की घटनायें उस अनुपात में कम हुई हैं अथवा नहीं ?

श्री टी० ए० पाई० : सर्वप्रथम रेलवे सुरक्षा बल की नियुक्ति रेलवे के निगरानी कर्मचारियों के रूप में की गयी थी जो रेलवे सम्पत्ति पर निगरानी रखते थे। रेलवे से वस्तुओं के परिवहन की मात्रा में वृद्धि होने के पश्चात, उस सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये सुरक्षा बल को एक सीमा तक पुलिस का स्तर प्रदान किया गया। अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें स्थिति से निपटने के लिये हमारी इच्छानुसार शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो भी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रेलवे की 8000 करोड़ रुपये की अपनी परिसम्पत्ति के अतिरिक्त जिसकी निगरानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाती है, हम प्रत्येक वर्ष रेलों से 8500 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का परिवहन करते हैं, चोरी से हुई 9 करोड़ रुपये की हानि बहुत अधिक नहीं है, यद्यपि इसे भी दूर किया जाना चाहिये।

Shri Achal Singh : May I know whether the Hon. Minister is aware of the present theft of the goods worth Rs. 18 crores whereas the loss due to thefts was to the extent of Rs. 3 crores a few years ago ? If so, what measures have been taken to check these thefts ?

श्री टी० ए० पाई : माल के परिवहन के अनुपात में चोरी की घटनायें हुई हैं। वर्ष 1968-69 में वस्तुओं की चोरी के लिये 7.56 करोड़ रुपये के दावे किये गये जिसकी राशि पहले वर्ष के दावों की तुलना में 1.68 करोड़ रुपये अधिक थी। परन्तु वर्ष 1971-72 में 9.54 करोड़ रुपये के दावे किये गये जिनकी राशि इससे पहले वर्ष की तुलना में केवल 40 लाख रुपये अधिक है जबकि वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये हैं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि चोरियां केवल रेलवे में ही होती हैं, न ही मैं अनावश्यक रूप से लोगों की आलोचना करता हूं। प्रत्येक अपराध चाहे वह रेलवे में हो अथवा अन्यत्र हो रोका जाना चाहिये। सम्पत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है और हम हानि को कम करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Ishaq Sambhali : To protect the Railway property is the responsibility of RPF. May I know whether the Government have received certain complaints, some of them even from certain State Governments, that the G.R.P. should be substituted by RPF. Since RPF have been widely condemned for corruption and the clashes with Railway employees ? May I know whether these suggestions that the RPF should be abolished and it should not be placed parallel to GRP are being considered by the Government ? I also want to know the action proposed to be taken about the complaints against the RPF personnel.

श्री टी० ए० पाई : किसी भी राज्य सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल को समाप्त करने तथा सम्पूर्ण दायित्व स्वयं राज्य सरकारों को सौंपने के लिये नहीं कहा है। इसके साथ ही केन्द्र से जी० आर० पी० के पुलिस कार्यों के लिये राज्य सरकारों को 3 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। मुझे विश्वास है कि इनमें से एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकता। यदि आप यह कहते हैं कि यह दोहरी व्यवस्था भ्रमात्मक है तो मैं इससे सहमत हूं। जैसा कि मैंने सदन को बताया है, मैं इन कर्मचारियों

में से एक कार्यकारी दल बनाने का विचार रखता हूं जिससे कि हम इस दल को प्रभावी बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत कर सकें तथा जी० आर० पी० पर निर्भर रहने के बजाय इस दल को कुछ दायित्व सौंप सकें।

Shri Ram Singh Bhai Verma : We are not getting proper replies to our questions. May I know whether the Railway thefts are committed by outsiders or RPF personnel are also involved in them ?

श्री टी० ए० पाई : इस प्रश्न के पूछे जाने की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वर्ष 1971 में 15862 चोरों में से 14,411 बाहर के चोर थे, 1272 रेलवे कर्मचारी थे और उनमें से 179 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी थे। वर्ष 1972 में 17811 चोरों में से 16098 बाहर के व्यक्तियों ने चोरी की, 1522 रेलवे कर्मचारियों ने चोरी की, जिनमें 191 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी थे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं एक सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं जिसमें 20 सेकेन्ड से अधिक समय नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप इस तरह का तर्क न दीजिये जैसे आप कोई वस्तु बेच रहे हों।

नंगल उर्वरक कारखाने को बन्द करने की पंजाब सरकार की मांग

*404. **श्री रामकंवर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब सरकार ने राज्य में वर्तमान बिजली संकट को कम करने के लिये नंगल उर्वरक कारखाने को तुरन्त बन्द करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) नंगल कारखाने जो इस समय 98 मेगावाट बिजली की सप्लाई प्राप्त कर रहा है, को सप्लाई की जा रही बिजली में और कटौती करने के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Shri Ram Kanwar : The Government of Punjab have requested the Central Government to close down the Nangal Fertiliser Factory. In this context, I want to know for how long this shortage is going on and how much additional power would be needed to meet that demand and also how long would the Government take to fulfil that demand ?

श्री एच० आर० गोखले : दुर्भाग्य से वहां काफी लम्बे समय से कमी है। क्योंकि वहां बिजली की इतनी सप्लाई उपलब्ध नहीं है जितनी कि नांगल परियोजना को मिलनी चाहिये और ठेके प्रबन्धों के लिये 164 मैगावाट बिजली की उनको जरूरत है। परन्तु यह प्राथमिकता का मामला है। वहां तो सिंचाई के लिये भी बिजली की मांग है। वहां बिजली की कमी के कारणों में से एक कारण वहां की झील का जल-स्तर गिरना भी है। हम यह चाहते हैं कि वहां बिजली की कमी न रहे, परन्तु दुर्भाग्य से हम इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सके हैं और हम 164 मैगावाट के

स्थान पर, जो कि ठेका सप्लाई के लिये होनी चाहिये, केवल 98 मैगावाट ही दे पा रहे हैं। इस मामले में हम मजबूर हैं।

Shrimati Savitri Shyam : The answer to this question pertains not only to the Minister of Petroleum and Chemicals, but also to the Irrigation and Power Ministers of Haryana, Punjab and the Centre, because the hon. Minister has stated that there is no water in Bhakra Dam and only its 40 per cent capacity is in use. Only 3 of the 5 mills are in operation. So I want to know whether he has had a talk with the Irrigation and Power Ministers of Haryana, Punjab and the Centre? In the Conference at National level, had they decided that the waters of Beas river should be diverted to Bhakra Dam and its capacity raised? May I know whether such a decision was taken by the Centre and those State Governments jointly?

Mr. Speaker : The question pertains to the Ministry of Petroleum and Chemicals. She has addressed it to the wrong Ministry. This question pertains to fertilisers.

Shrimati Savitri Shyam : This is right Sir. But the hon. Minister must have some information while he is replying to a question on power ...(**Interruptions**). May I know whether he has some knowledge regarding the means to increase the capacity of Bhakra Dam?

Mr. Speaker : You address Shri Kureel.

Shrimati Savitri Shyam : He is a Cabinet Minister and he can give some information.

Mr. Speaker : You may ask him when I am not here.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्योंकि नांगल कारखाने को बन्द करना सम्भव नहीं है तो क्या इसकी क्षमता को और घटाया जा सकता है ताकि पंजाब में उद्योग पर लागू की गई 40 प्रतिशत की कटौती के मामले में कुछ राहत दी जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : 98 मैगावाट से कम करना तो कदापि सम्भव नहीं है। उन्होंने आग्रह किया है कि 60 या 61 मैगावाट कर दिया जाये परन्तु इनका अर्थ उर्वरक के उत्पादन में कमी करना होगा जिसका कि अत्याधिक महत्व है, परन्तु साथ ही यदि हम 98 मैगावाट से नीचे गये तो संयंत्र को भी गम्भीर क्षति हो सकती है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में मजदूरों की यूनियन को मान्यता

*407. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन को मान्यता दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस यूनियन को मान्यता प्रदान न करने के क्या विशिष्ट कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). चितरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी यूनियन को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। सरकार अपने विवेक का उपयोग करते हुये उत्पादन यूनिटों, जिनमें चितरंजन रेल इंजन कारखाना भी शामिल है, को मान्यता प्रदान करना अनावश्यक समझती है। फिर भी, कर्मचारियों को उनके द्वारा सीधे चुने गये प्रतिनिधियों की कर्मचारी परिषद के माध्यम से बातचीत की सुविधा प्रदान की गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब कोई विशिष्ट संघ अधिकांश मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है तथा पंजीकृत है और मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा करता है, तो भी चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में किसी भी संघ को मान्यता न देने का निर्णय क्यों किया गया है, जबकि वहां दो महासंघ हैं तथा पहले ही से मान्यता प्राप्त हैं ?

श्री टी० ए० पाई : किसी भी निर्माता एकक में यहां तक कि रेलवे में बड़े बड़े संघों को भी मान्यता नहीं दी गयी है । यह प्रक्रिया जारी रखी गयी है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा स्वयं कर्मचारियों द्वारा चुनी गयी कर्मचारी परिषदों द्वारा की जाती है । जब तक कर्मचारी अपनी कर्मचारी परिषदों को समाप्त कर देने की मांग नहीं करते तथा नियमित रूप से कार्मिक संघ चलाने की बात मुझसे नहीं कहते, तब तक मैं स्वयं यह नहीं सोच सकता कि इस सम्बन्ध में क्या करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें मालूम है कि जब विभिन्न राष्ट्रीय, विभागीय तथा सबसे नीचे के स्तरों पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्थायें गठित हैं, जिनमें रेलवे कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, तो फिर इस विशिष्ट मामले में भिन्न स्थिति क्यों रखी गयी है ? क्या गृह मंत्रालय की यह नीति है अथवा कि रेलवे बोर्ड यह चाहता है कि मान्यता न दी जाय ?

श्री टी० ए० पाई : वर्ष 1966 में, जब संयुक्त सलाहकार व्यवस्था गठित की गई, तब गृह मंत्रालय ने परिषदें तथा अन्य संगठन समाप्त कर दिये थे । परन्तु रेलवे में ये संगठन अब तक चल रहे हैं । उन्हें समाप्त करने का अब तक कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मान्यता देने के लिए विशिष्ट नियम है । यहां तक कि प्रतिरक्षा संस्थानों में भी मान्यता प्राप्त संघ हैं । यह विभाग प्रतिरक्षा विभाग से तो अधिक महत्व का नहीं है । क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ मान्यता प्राप्त करने का आग्रह कर रहे हैं, तो क्या कारण हैं कि उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही ? क्या इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने कोई निर्देश जारी कर रखे हैं ?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, हम तो उत्पादन का सुनिश्चिय करना चाहते हैं । हमारी इसमें रुचि नहीं है कि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उनके संघों द्वारा हो अथवा कर्मचारियों की परिषदों के माध्यम से हो । हमारी दृष्टि में किसी विशिष्ट संगठन के स्वरूप का महत्व नहीं है परन्तु अब तक यहां ये परिषदें चलती रही हैं और अब हम यह जानना चाह रहे हैं कि हम वर्कशापों में कर्मचारी परिषदों की जगह कर्मचारी संघों को क्यों न आने दें ताकि वे कर्मचारियों की शिकायतें प्रबन्धकों तक पहुंचा सकें । इस पर विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस दृष्टि से कि सिवाय असाधारण अपात् परिस्थितियों के, जबकि कार्मिक संघ के रूप में संगठित होने का अधिकार जताया नहीं जा सकता, तो फिर केवल चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के कर्मचारियों के साथ ही एक प्रकार से द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि उनके मूलभूत अधिकार ही उन्हें प्राप्त नहीं होते ? अपने संघ को मान्यता दिलाने के लिये वे पिछले बीस वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं । जब आपात स्थिति नहीं है तो देश की कानून और व्यवस्था को क्या हानि पहुंच सकती है ? पहले सरकार चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप तथा अन्य संगठनों में आपात स्थिति घोषित करे । रेलवे विभाग नागरिकों के अधिकार क्यों छीनना चाहता है ?

श्री टी० ए० पाई : हम नागरिकों के अधिकारों को छीन नहीं रहे हैं। सभी परिषदों में कर्मचारी स्वयं अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं। अब जब मैं बड़े बड़े संघों की बात करता हूं तो मुझे बताया गया है कि वे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि उनका उचित रूप से चुनाव नहीं होता तथा श्रम मंत्रालय की जांच को स्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु जहां कहीं भी उनका चुनाव यथोचित ढंग से होता है वहां यह बात सच नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति की सुविधानुसार तो परिस्थितियां नहीं बना सकते। यदि किसी विशिष्ट एकक में कर्मचारी मुझसे कोई विभिन्न प्रकार का संघ रखने का अनुरोध करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि किसी भी तरह उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या रेल मंत्रालय यह समझता है कि कर्मचारी परिषदें, कार्मिक संघों के स्थान पर कार्य कर रही हैं तथा उनके कार्य को भी सम्भाले हुए हैं ?

श्री टी० ए० पाई : मेरा इस सम्बन्ध में कोई दृष्टिकोण नहीं है। मैं तो यही च हता हूं कि कर्मचारी परिषदें वही कुछ कर रही हैं जो कुछ संघ अपने कर्मचारियों के लिये करते रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ समय पूर्व, मंत्री महोदय ने कहा था कि वह तो केवल उत्पादन पक्ष में ही रुचि रखते हैं। क्या सरकार केवल उत्पादन की ही परवाह करती है, सामाजिक न्याय की नहीं ? यदि इसका भी ध्यान रखा जाना है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष करने वाली संघों को मान्यता दी जाय।

श्री टी० ए० पाई : यह देश उत्पादन के साथ-साथ सामाजिक न्याय भी चाहता है और सामाजिक न्याय उत्पादन का स्थान नहीं ले सकता। मैं तो चाहूंगा कि दोनों उपलब्ध हों।

Shri Ram Singh Bhai Verma : May I know whether there is any registered trade union in Chittaranjan ? If so, whether that union fulfils the conditions of recognition ; and if so, why recognition is not given to it ?

श्री टी० ए० पाई : चितरंजन में चार पंजीकृत कार्मिक संघ हैं; सी एल डब्लू लेबर यूनियन की सदस्यता 4,000 है; यह साम्यवादी मार्क्सवादी दल से सम्बन्धित है, सी एल डब्लू रेलवे मैन्स यूनियन के 2200 सदस्य हैं इसका सम्बन्ध ए आई आर एफ से है। चितरंजन रेलवे मैन कांग्रेस के 1200 सदस्य हैं तथा वह एन एफ आई आर से सम्बद्ध है और चितरंजन रेल कर्मचारी संघ के सदस्य 300 है तथा उनकी सम्बद्धता जनसंघ के साथ है। सम्बद्धता के नियमों के अनुसार, न पहले दो संघ सम्बद्ध होने के पात्र हैं और उन्हें सम्बद्धता प्रदान की जानी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि सही नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये। बहस मत कीजिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने वक्तव्य दिया है। उन्होंने संघ के सदस्यों की संख्या बताई है। इसके 4000 सदस्य हैं तथा यह संघ गत 14 वर्ष से मान्यता की मांग कर रही है। उसने सभी शर्तें पूरी की हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, श्रीमन् । उन्होंने कहा है कि यह संगठन पदाधिकारियों के चुनाव नहीं करता, जो कि बिल्कुल असत्य है । मंत्री महोदय को मालूम ही नहीं है। उस संघ ने सभी शर्तें पूरी की हैं परन्तु उसे मान्यता नहीं दी गई है । **(व्यवधान)** मैं इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप में उत्तर चाहता हूं कि 4000 की सदस्यता वाले तथा मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा करने वाले इस संघ को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री टी० ए० पाई : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने गलत वक्तव्य दिया है । संघों का राजनैतिक दलों से सम्बद्ध होने सम्बन्धी सारी कठिनाई यह है कि......... **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कोई भी संघ किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार बाधा डालेंगे तो कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा— मंत्री महोदय बोल रहे हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय अभी नये आये हैं, उन्हें जानकारी नहीं है । कोई भी संघ किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय का वक्तव्य सही नहीं है तो उसके लिये भी पृथक व्यवस्था है । क्या आप समझते हैं कि चिल्लाने से आप किसी को दबा सकते हैं ?

श्री टी० ए० पाई : शायद माननीय सदस्य उक्त संघ के बारे में स्वयं रेलवे मंत्रालय से अधिक जानते हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जी हां ।

श्री टी० ए० पाई : यदि मेरी जानकारी गलत है तो वह मुझे सही जानकारी दे देते । मैंने ऐसा क्या कहा है ? मैंने तो कहा है कि यह संघ सर्वाधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है । इसकी सदस्यता 4000 हो या 4001 हो, इससे क्या अन्तर पड़ता है । मैंने यह भी कहा है सर्वाधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने पर भी, हमने इसे मान्यता क्यों नहीं दी है–यह प्रश्न श्री बनर्जी ने मुझसे पूछा है । पता नहीं इस पर माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित हुए जा रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बात रिकार्ड में जानी चाहिए कि मंत्री महोदय ने कहा है कि शर्तें पूरी नहीं की गई हैं । चुनाव करने की शर्तें भी पूरी नहीं की गईं । यह वक्तव्य गलत है ।

श्री समर मुखर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । कृपया मुझे कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए क्योंकि मैंने चितरंजन के कर्मचारियों का अभ्यावेदन पेश किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई भी संघ किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने जानकारी मांगी और उन्होंने दे दी । अब वह गलत है या सही...... **(व्यवधान)**

श्री मधु दण्डवते : वस्तुतः यह एक गलत वक्तव्य है।

श्री समर मुखर्जी : कृपया मुझे एक अनुपूरक पूछने दीजिये ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम सभा में अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं। इसके लिये एक प्रक्रिया है। यदि मंत्री महोदय ने गलत वक्तव्य दिया है तो आप नियम 115 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार नहीं ··· **(व्यवधान)** एक प्रक्रिया बनी हुई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो-तीन प्रोफेसर एक तरफ हैं। और दूसरी तरफ एक अध्यक्ष है, बड़ी विकट स्थिति है ···

श्री समर मुखर्जी : मैं मंत्री महोदय से इसलिये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब वह मंत्री बने तो चितरंजन संघ के बारे में मैंने ही पहले अभ्यावेदन पेश किया था। जो प्रश्न आज यहां उठाया गया है यही मैं पहले ही दिन उनसे कर चुका हूं और स्वयं मंत्री महोदय ने ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा था कि इस संघ को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है और उन्होंने उत्तर दिया था कि मान्यता अधिकारियों पर नहीं बल्कि स्वयं कर्मचारियों पर निर्भर करती है। क्या यह सच नहीं है कि मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि यह मान्यता नौकर शाही तथा रेलवे बोर्ड के कारण नहीं मिल रही है? क्या आप स्वयं उस नीति को बदलना चाहते हैं जोकि न्यायोचित तथा लोकतंत्रात्मक नहीं है?

श्री टी० ए० पाई : अनेक बातें मेरी ओर से कह दी गई हैं। माननीय सदस्य मेरे पास चितरंजन में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों की तरफ से कहने आये थे कि उन्हें गलती से स्थानान्तरित कर दिया गया है और मैं उनके मामले को देखूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जरूर जांच करूंगा। इस समय किसी संघ को मान्यता देने की तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि हमारे पास तीन औद्योगिक एकक हैं जहां मान्यता न देने की प्रणाली चल रही है। मैंने उनसे कहा कि स्थानान्तरण के बारे में जांच करूंगा तथा यदि कोई उचित विकल्प मिला तो उसपर भी विचार करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको एक सलाह दूं?

श्री समर मुखर्जी : क्या आप श्री बालिगा से पूछ सकते हैं कि मान्यता क्यों नहीं दी गई? मैं उनसे उत्तर पाने की आशा करता हूं। मैंने यह प्रश्न उनसे पूछा था जोकि यहां पूछा गया है कि उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा था कि मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष ने कहा है कि "हम मान्यता नहीं देते हैं"। ... कृपया सच्ची बात कहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि छोटे से छोटा प्रश्न हो तथा संक्षिप्त से संक्षिप्त उत्तर हो तो मंत्री महोदय को आसानी रहेगी। कभी-कभी नीति-निपुण भी हुआ कीजिये।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी संघ किसी राजनैतिक दल के नाम के साथ संबद्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या चितरंजन में ही कोई विचित्र बात हुई है? क्या वह बता सकते हैं कि कोई भी संघ किसी राजनैतिक दल के नाम से पंजीकृत हुआ है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : उन्हें स्वयं स्पष्ट मालूम नहीं कि उनका प्रश्न क्या है?

श्री टी० ए० पाई : यह सी० एल० डब्ल्यू० लेबर यूनियन थी । इसकी समस्याओं के बारे में मुझे साम्यवादी (मार्क्स वादी) दल के सदस्यों ने बताया था ।

श्री समर गुह : मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय नये हैं तथा उत्तर तैयार करने में उन्हें कुछ समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अगले प्रश्न के लिये कहा था, आपने उस अवसर का लाभ यह अनुपूरक पूछ कर उठा लिया । मैंने तो आपको अगला प्रश्न पूछने को कहा था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम अनेक प्रकार की मान्यतायें दिलाने, जैसे चीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिलाने आदि की वकालत करते रहे हैं । यहां ये लोग इस संघ को भी मान्यता नहीं दे रहे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

दिघा पर्यटन केन्द्र पश्चिम बंगाल, को समुद्री कटाव का खतरा

*408. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दिघा के स्वास्थ्य और पर्यटन केन्द्र को समुद्री कटाव का गंभीर खतरा है ;

(ख) क्या नहाने का घाट, बाजार का एक भाग तथा कुछ रेस्तरां बह चुके हैं, और क्या 'सैकताबास' नामक सरकारी पर्यटक लाज अब समुद्र से केवल 10/12 फुट दूर रह गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिघा के समुद्री पर्यटक स्थान को बचाने हेतु उपाय सुझाने के लिए तुरन्त ही एक विशेषज्ञ दल वहां भेजने का है ; और

(घ) उक्त स्थान को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों में दिघा में समुद्रतट समुद्री-कटाव से प्रभावित होता रहा है । यह देखा गया कि समुद्र तट का स्तर निरंतर नीचा होता रहा और इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे समुद्र का भूमि की ओर विस्तार हो रहा है तथा तट की चौड़ाई कम हो रही है । दिघा बाजार के निकट बहुत कम समुद्र-तट शेष रह गया है और उच्च ज्वारीय स्तर बाजार तक पहुंच जाता है । दिघा स्थित "सैकताबास" पर्यटन शिविर समुद्र तट से अभी कुछ दूरी पर है और इसको अभी तत्काल कोई खतरा नहीं है ।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि उन्होंने लगभग 750 मीटर लम्बे तट को बचाने के लिए एक प्राक्कलन तैयार कर लिया है और पर्यटन-शिविर के सामने वाले क्षेत्र के बचाव के लिए एक स्कीम भी तैयार कर रहे हैं । भारत सरकार द्वारा गठित समुद्र तट कटाव बोर्ड के सदस्यों ने जांच करने के लिए क्षेत्र का दौरा करने और दिसम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह में

पश्चिम बंगाल में होने वाली समुद्र तट कटाव बोर्ड की आगामी बैठक में दिघा की समस्या को सुलझाने के लिए समुचित सुझाव देने का प्रस्ताव किया है ।

श्री समर गुह : दिघा में समुद्री कटाव के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? सैकताबास की, जो समुद्र से अब केवल 10-12 फुट रह गया है, रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? दिघा में समुद्री कटाव रोकने के लिये क्या तात्कालिक और स्थाई उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1961 में दिघा की विकास योजना आरम्भ की थी । तब से हम इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं । सिंचाई विभाग ने जांच और प्रौद्योगिकीय सर्वेक्षण किये हैं । भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान और कलकत्ता पत्तन आयोग के मुख्य जलविज्ञान सम्बन्धी इंजीनियर ने इस समस्या का अध्ययन किया है और कटाव रोकने के लिये सुरक्षात्मक उपाय पहले ही आरम्भ कर दिये गये हैं । इन उपायों में रेत की बाढ़ द्वारा समुद्र तट की ढलानों को ऊंचा करना शामिल हैं परन्तु इनमें से अधिकांश प्रायोगिक स्वरूप के हैं और वे प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं । रेत को बहने से रोकने के लिये कैसुरीना वृक्ष लगाये गये थे परन्तु कटाव के कारण वृक्ष भी बह गये हैं । परन्तु राज्य सरकार ने कुछ सुझाव भेजे हैं और एक बोर्ड स्थापित किया गया है और वे दिसम्बर, 1972 के अन्त में वहां पर जायेंगे । वे अध्ययन करेंगे और इस क्षेत्र की रक्षा करने हेतु कुछ योजनाएं बनायेंगे ।

श्री समर गुह : यह "सैंट्रल बीच ईरोजन बोर्ड" है । दिघा तट के कटाव के दो कारण बताये जाते हैं । एक कारण यह है कि तट नीचे बैठ गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उपरोक्त बोर्ड ने देश के किसी अन्य भाग का दौरा किया है और यदि हां, तो उनके अध्ययन का क्या परिणाम निकला है जिसको वे यहां भी लागू कर सकते हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : कुछ समय पूर्व वे केरल राज्य में गये थे और कटाव रोकने के लिये एक कार्यक्रम का सुझाव दिया था ।

श्री समर गुह : किस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था ?

श्री बैजनाथ कुरील : वे दिघा तट देखने भी जा रहे हैं ।

श्री समर गुह : यह समस्या केवल पश्चिम बंगाल की ही नहीं बल्कि समस्त पूर्वी भारत की है । अत: मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उन्होंने किन उपायों का सुझाव दिया है ? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले मुझे बतायें कि उनका प्रश्न क्या है ? मैं उनके प्रश्न को समझ नहीं पाया ।

श्री समर गुह : उन्होंने "सेंट्रल बीच इरोजन बोर्ड" बनाया है । मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने देश के किसी अन्य भाग में इस प्रकार की समस्या को निपटाया है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और दिघा तट की समस्या के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपने उत्तर को एक बार दोहरा दें ।

श्री बैजनाथ कुरील : मैंने बता दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान और कलकत्ता पत्तन आयोग के जल विज्ञान सम्बन्धी इंजीनियर ने अध्ययन किये हैं । परन्तु यह बोर्ड बचाव कार्य के लिये योजना बनाने हेतु दिघा तट का दौरा करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को बताना चाहूंगा कि हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। हम पांच प्रश्नों से आगे नहीं बढ़े हैं । प्रति दिन अन्य सदस्य प्रतीक्षा करते रहते हैं और मुझे पत्र लिखते हैं कि उनके प्रश्नों पर चर्चा क्यों नहीं की जाती । मैं माननीय सदस्यों और मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रश्न और उत्तर संक्षिप्त रूप से रखें ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने' सैंट्रल बीच ईरोजन बोर्ड' के बारे में उत्तर नहीं दिया है । वह केवल भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान की बात कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उनके देश के अन्य भागों में दौरे का उल्लेख किया था । वह संक्षेप में उत्तर दे दें ।

श्री बैजनाथ कुरील : उन्होंने केवल केरल का दौरा किया था और उन्होंने वहां के लिये एक योजना बनाई है । परन्तु वह और बात थी और यह उससे भिन्न है । अत: उन्हें पहले वहां पर जाना होगा और उस स्थान को देखने के बाद वे अपने सुझाव देंगे ।

सिंचाई और बिजली संकट पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक

*409. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई और बिजली संकट पर विचार करने के लिए 18 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । उत्तरी क्षेत्र में विद्युत् सप्लाई की स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 18 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली में हुई । उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्री उपस्थित थे । पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व उनके विद्युत् मंत्रियों द्वारा किया गया ।

(ख) और (ग). दिये गए सुझावों और की गई सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है :—

1. सतपुड़ा और बासी से फालतू विद्युत् पंजाब को तथा दिल्ली से फालतू विद्युत् हरियाणा को दी जानी चाहिए ।

2. बदरपुर, ओबरा और भटिण्डा के ताप केन्द्रों को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए प्रत्येक सहायता दी जानी चाहिए। इनके निर्माण कार्य में तीन पारियां लगाकर तेजी लाई जानी चाहिए।

3. यमुना चरण-दो, रामगंगा (प्रथम यूनिट), जवाहर सागर (दूसरी और तीसरी यूनिट), ऊपरी सिंध और चेनानी पर निर्माणाधीन जल विद्युत् केन्द्रों, के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जून, 1974 तक 660 मैगावाट क्षमता के पूर्णयोग को चालू किया जा सके।

4. जनवरी, 1973 से चम्बल पर विद्युत् जनन में कमी से राजस्थान में होने वाली कमी को राजस्थान परमाणु विद्युत् केन्द्र से पूरा किया जाए। फालतू विद्युत् को ग्रिड में डाला जाए।

5. फरीदाबाद (विस्तार), ब्यास यूनिट-एक, रामगंगा, हरदुआगंज विस्तार, पंकी विस्तार, गिरीबाटा, राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना और बैरा सियुल में ताप और जल-विद्युत् केन्द्रों जिनका निर्माण पांचवीं योजना तक चलना है में तेजी लाई जाए ताकि इन से पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष से लाभ प्राप्त होने लगें।

6. निजी उद्योगों द्वारा अपेक्षित केपटिव यूनिटों की खरीद चाहे देशी निर्माताओं से या आयात से हो, पर विचार किया जाए।

7. कोटा पर स्थित गैस टर्बाइन यूनिटों की तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए।

8. महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय लाइनों में शीघ्रता लानी चाहिए।

9. 3810 मैगावाट के पूर्णयोग को नई ताप और जल विद्युत् परियोजनाओं को पांचवीं योजना में चालू किया जाना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव : क्या राज्य उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर सहमत हो गये हैं जो अन्तर्राज्यीय ग्रिड व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं और यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण क्रियान्वित करने के लिये इन राज्यों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की क्या सहायता दी जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। सामान्य कार्य के अतिरिक्त ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने राज्यों को भी कुछ धनराशि दी है। उन्होंने अब तक 329 योजनाओं की मंजूरी दी है और देहाती क्षेत्रों में अर्थात गांवों में बिजली लगाने और सिंचाई परियोजनाओं के लिये पम्पों की बिजली देने का काम तेज कर दिया है। **(व्यवधान)**

श्री पी० गंगादेव : क्या ऐसे राज्य, जिनके पास पनबिजली की क्षमता फालतू है, कम पन-बिजली वाले राज्यों को इसे उपलब्ध करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बैजनाथ कुरील : केन्द्रीय सरकार फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली लेकर कम बिजली वाले राज्यों को देने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है और इस प्रयोजन के लिये हम पारेषण कार्यों को तेज करने के कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारे पास 220 किलोवाट लाइनें हैं; हम 400

किलोवाट की अधिक क्षमता वाली लाइनें प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं। फालतू बिजली वाले राज्यों से कम बिजली वाले राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने का हमारा यह कार्यक्रम है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that the cause of power crisis in Uttar Pradesh is not the paucity of water in Rihand Dam but the mismanagement of Electricity Board, because the figures show that the quantity of water available in the Dam is the same as it has been for many years in the past but they did not have to face the shortage of electricity to this extent ? Is it also a fact that power connections have been granted much more than the capacity and Electricity Board is responsible for it ?

Shri Baij Nath Kureel : No doubt Rihand Dam is also one of the causes of power crisis but it is not the only one, because installed capacity is also less. The main thing is that less amount of power has been generated during this year and it is being looked into. I cannot say anything about the mismanagement. But it is a fact that power has been generated less than the installed capacity and, besides, losses in transmission lines are also more. In addition to this, the main cause is that demand has increased. Any how, we are happy that the demand has increased on the agricultural side. So it is also one of the causes.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why were the connections given ?

Dr. Govind Das Richhariya : I would like to know whether Planning Ministry and Finance Ministry have agreed to make provision in the budget for the year 1973-74, for the suggestions made by the Chief Ministers on 18th October 1972 ; if not, the source from which the expenditure would be met ? My second question is whether Government is prepared to implement the suggestions made at the Chief Ministers Conference on war footing ?

Shri Baij Nath Kureel : There is no question of making any separate provision for implementation of suggestions made at the Chief Ministers Conference on 18th October, 1972. They are already included in the schemes and plans which are being formulated. Some suggestions have been included in the continuing schemes and some of them will be included in the fifth Five Year Plan and data is being collected for this purpose.

श्री पी० के० देव : यह प्रश्न देश में बिजली के संकट के बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक से सम्बद्ध है। हम सब जानते हैं कि देश में बिजली का संकट है। अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण बहुत सी अच्छी-अच्छी पनबिजली परियोजनाएं स्थगित रखी जा रही हैं और पता नहीं उनके समाधान में कितना समय लग जायेगा। कृष्णा गोदावरी और नर्मदा विवाद इसके उदाहरण हैं। क्या भारत सरकार अन्तर्राज्यीय विवाद हल करने के लिये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के साथ अपनी सद्भावना का प्रयोग करेगी ताकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विचाराधीन विभिन्न परियोजनाओं की अनुमति दे सके ?

श्री बैजनाथ कुरील : अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को हल करने के लिये पहले ही प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुछ विवादों का हल हो चुका है और कुछ का हल शीघ्र हो जायेगा। कुछ विवादों के हल होने में समय लगेगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कम से कम समय में ये विवाद हल हो जायें।

श्री पी० के० देव : कृष्णा-गोदावरी बेसिन विवाद के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री बैजनाथ कुरील : जब यह विवाद एक आयोग को सौंपा गया है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा।

कठुआ-जम्मू रेल लिंक पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की मांगें

*410. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठुआ-जम्मू रेल लिंक पर काम करने वाले पांच हजार नैमित्तिक श्रमिकों ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों को एक मांग-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का सारांश क्या है ;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मांगों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). कठुआ-जम्मू रेल सम्पर्क परियोजना में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की ओर से अभी हाल में उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को एक मांग-सूची दी गयी थी। मांगों का सम्बन्ध ऊंची दरों पर मजदूरी का भुगतान, नियमित पदों पर आमेलन सामान देने वालों को नियमित वेतनमान के आधार पर मजदूरी का भुगतान, नियमित कर्मचारियों के समान एक समान दरों पर रेलवे क्वार्टरों के किराये की वसूली और नियमित पद पर एक घायल नैमित्तिक मजदूर को समाहित करने से है।

(ग) और (घ). अंतिम दो मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जा चुका है। उनकी पहली मांग पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने के लिए कार्रवाई की गयी है। नैमित्तिक मजदूरों को सविरामी मौसमी काम पर या थोड़ी अवधि के लिए छुट-पुट कामों पर लगाया जाता है और उनकी छंटनी एक सतत प्रक्रिया है। फिर भी ऐसे सभी नैमित्तिक मजदूरों को जिन्होंने किसी परियोजना या गैर-परियोजना में छः महीने की सेवा पूरी कर ली है उनके नियमित पदों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाये जायं। इसलिए उनकी बाकी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस समय मजूरी की दरें क्या हैं और श्रमिकों ने किन दरों की मांग की है ? स्थानीय श्रमिकों को दी जाने वाली दरों की तुलना में वे कितनी कम हैं अथवा अधिक हैं ?

श्री टी० ए० पाई : स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उसी वर्ग के श्रमिकों को जिन दरों पर मजूरी दी जाती है उन्हीं दरों पर नैमित्तिक श्रमिकों को मजूरी दी जाती है। कठुआ-जम्मू लिंक का मार्ग गुरदासपुर कठुआ और जम्मू सिविल डिस्ट्रिक्ट है। इन श्रमिकों को जिन दरों पर मजूरी का भुगतान किया जाता है वह स्थानीय श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी के तुल्य है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मन्त्री महोदय ने सही आंकड़े नहीं बताये हैं। अब क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाता है या वे अन्य स्थानों से लाये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय के निकट बैठे हैं। वह उनसे पूछ लें, क्योंकि प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल स्थित वज वज और पहाड़पुर में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठानों में विघटन कार्यवाहियां

*403. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि वज वज और पहाड़पुर, पश्चिम बंगाल में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठानों के कार्य में कुछ बाहरी तत्वों को उपद्रवी कार्यवाहियों के कारण गत दो मास से भारी बाधा पड़ रही है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम के स्थानीय प्रबन्धकों और कर्मचारियों ने सम्बन्धित प्राधिकारियों से बार बार आवश्यक संरक्षण मांगा था जो उन्हें नहीं मिला ; और

(ग) निरन्तर चली आ रही इस स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिसके कारण आवश्यक तेल सप्लाई पूर्णतया ठप्प हो सकती है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) बाहर के व्यक्तियों के हस्ताक्षेप के कारण सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर 1972 के दौरान बज बज और पहाड़पुर में स्थित भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठानों में कुछ दिन काम में बाधा पड़ी थी।

(ख) जब कभी आवश्यक हुआ, भारतीय तेल निगम के प्रबंधकों को पश्चिम बंगाल के संबंधित प्राधिकारियों से संरक्षण मिला।

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय दोनों ही सरकारों को इस स्थिति की जानकारी है तथा इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

उच्च ग्रेड की उपभोक्ता वस्तुओं के भाड़े की दरों में कमी

*405. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च ग्रेड की उपभोक्ता वस्तुओं के भाड़े की दरों में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऊंचे ग्रेड के उपभोक्ता माल की टैरिफ दरों में सामान्य कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतम न्यायालय में कर सम्बन्धी अपीलें

*406. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में उच्चतम न्यायालय में राज्यवार कर सम्बन्धी कितनी अपीलें फाइल की गईं ; और

(ख) उनमें से ऐसी अपीलें कितनी हैं जो इस बीच उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटा दी गई हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). उच्च न्यायालय-वार जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

1970 और 1971 में उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई कर अपीलों की संख्या और उन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय-वार निपटाई गई उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	1970 फाइल की गई	1970 निपटाई गई	1971 फाइल की गई	1971 निपटाई गई
1. इलाहाबाद	49	12	28	8
2. आन्ध्र प्रदेश	48	10	25	13
3. आसाम और नागालैंड (अब गोहाटी)	1	1	3	2
4. बम्बई	10	1	5	3
5. कलकत्ता	66	17	46	18
6. दिल्ली	13	2	36	2
7. गुजरात	4	1	22	9
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
9. जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
10. केरल	34	7	16	8
11. मध्य प्रदेश	6	—	28	8
12. मद्रास	73	5	29	9
13. मैसूर	10	1	6	—
14. उड़ीसा	1	1	7	—
15. पटना	10	3	11	6
16. पंजाब और हरियाणा	9	2	13	—
17. राजस्थान	7	3	2	—

राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं की धीमी प्रगति

*411. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति बहुत ही धीमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Kerosene Oil to Bangladesh

*412 **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether India is exporting kerosene oil to Bangladesh ; and

(b) if so, the quantity of kerosene oil exported to Bangladesh during the last six months and the terms and conditions with regard to the deal ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Yes, Sir.

(b) In the 6-month period June to November, 72, a total quantity of 29321 tonnes kerosene oil has been exported to Bangladesh. This includes a quantity of 23,309 tonnes exported against the Commodity Grant. The remaining quantity of 6,012 tonnes has been exported by the Indian Oil Corporation under normal commercial arrangements. It is not in the commercial interests of the Indian Oil Corporation to disclose the export price.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाना

*413. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पर्याप्त रेलवे लाइनें नहीं हैं और राज्य के अधिकांश गांवों में रेलगाड़ी नहीं जा सकतीं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में अधिक रेलवे लाइनें बिछाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 18.86 कि० मी० के अखिल भारतीय औसत की तुलना में, केरल में 22.90 कि० मी० रेलवे लाइनें हैं। किसी भी हालत में रेलवे का विकास राज्यवार या क्षेत्रवार सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि समग्र रूप से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकारों से प्राप्त नयी लाइनों के प्रस्तावों पर यथोचित विचार किया जाता है और यातायात, वित्तीय तथा आर्थिक दृष्टियों से जहां इसका औचित्य होता है वहां यह कार्य प्रारम्भ किया जाता है। पांचवीं योजना में नयी लाइनों के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

शाहदरा के लिए बाढ़ रोकने सम्बन्धी योजना

*414. **श्री राम भगत पास्वान :**
श्री मधुकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा के लिये बाढ़ रोकने सम्बन्धी कोई योजना बनाई गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब क्रियन्वित किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने 219 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, शाहदरा जलनिकास स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में समस्त दिल्ली संघ शासित क्षेत्र तथा यमुना नदी के वाम तट पर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिये जल-निकास व्यवस्था का प्रावधान है। इससे दिल्ली संघ-शासित क्षेत्र के 7690 हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश के 6960 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा। यह स्कीम योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। दिल्ली प्रशासन ने इस स्कीम पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

वाल्टेयर तथा गुंटुकल डिवीजनों को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल करना

*415. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि वाल्टेयर और गुंटुकल डिवीजनों को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशासनिक और परिचालनिक आधार पर यह प्रस्ताव नहीं माना गया ।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरिंग डिवीजन के अध्यक्ष के त्यागपत्र

*416. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के कुछ योग्य तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरिंग डिवीजन के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिये हैं ;

(ख) क्या इससे संबद्ध विदेशी विशेषज्ञों के पास कोई काम धाम नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस उपक्रम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इस उपक्रम के इंजीनियरिंग प्रभाग के किसी अध्यक्ष ने त्यागपत्र नहीं दिया है, यद्यपि कैलेंडर वर्ष में चार इंजीनियरों ने ऐसा किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जबकि दो इंजीनियरों ने अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिये त्याग पत्र दिये हैं, दूसरों ने अपनी स्वेच्छा से ऐसा किया है। इस प्रकार की किसी भी बड़ी संस्था में इस प्रकार के त्यागपत्र दिये जाना एक साधारण बात है और इन पर कोई विशेष कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के लिए उच्च सत्ता प्राप्त तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना

*417. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को सलाह देने के लिए एक उच्च सत्ता प्राप्त तकनीकी सलाहकार समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन और कृत्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को सभी तकनीकी मामलों में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने एक तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना की है।

(ख) इस समिति के गठन और इसके कार्यों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) गठन

श्री एन० जी० के० मूर्ति, भूतपूर्व-अध्यक्ष और प्रबन्धनिदेशक, जल तथा विद्युत् विकास सलाहकारी सेवा (भारत) लिमिटेड	अध्यक्ष
अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य
सदस्य (एफ एण्ड एस सी), केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के कार्यकारी मुख्य इंजीनियर।	सदस्य
निदेशक (सिविल इंजीनियरी) रेलवे बोर्ड अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य

महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
महानिदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण, कलकत्ता अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
अतिरिक्त महानिदेशक (पुल) परिवहन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।	सदस्य
मुख्य इंजीनियर, अन्तर्देशीय जल परिवहन, परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।	सदस्य
संयुक्त आयुक्त (एस० सी०), कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
सदस्य (आयोजन तथा अभिकल्प) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ।	सदस्य-सचिव

कार्य

(i) एक व्यापक योजना बनाने तथा कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को सलाह देना ;

(ii) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के लिए उनको प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रस्तावित स्कीमों की जांच करना ;

(iii) समिति को निर्दिष्ट विशेष तकनीकी मामलों पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को सलाह देना ।

Delay in making payments for claims in respect of theft, pilferage and loss of goods in transit

*418. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether much delay is caused in making payment of claims in respect of theft, pilferage, damage or loss of goods in transit ; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government for their early disposal ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Compensation claims are disposed of at a reasonable speed. The average time taken for the disposal of the claims is less than 50 days. Cases arising from traffic booked over a number of Railways in succession and those involving transhipment en route, do call for more detailed enquiries and in such cases delays are unavoidable. The delays also occur on account of non-submission of essential documents by the claimants concerned. Delays also occur in cases where some criminal offence is involved and the matter has to be investigated by the police authorities. Various steps have been taken to ensure quicker disposal of claims for compensation for goods lost, damaged, etc. Station Masters of selected important stations and the Claims Inspectors have been authorised to settle claims upto Rs. 100/- subject to certain conditions. The officer and the staff of Mobile Claims Office visit important stations to settle claims on the spot. The monetary limit of claims for compensation for fixation of inter-Railway liability has been raised upto Rs. 2,000/-. For settlement of

claims for compensation, requiring financial concurrence before payment, the monetary limit has been raised from Rs. 1,000/- to Rs. 5,000/- and above. Powers have been delegated to the Divisional Commercial Superintendent in Divisions to settle claims for compensation upto Rs. 1,000/- pertaining to Headquarters station in respect of local traffic.

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार

*419. **श्री राजसिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता की किस सीमा तक पूर्ति होगी और ट्राम्बे स्थित कारखाने के विस्तार से देश को कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). ट्राम्बे परियोजना के विस्तार से सम्बन्धित एक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया गया है और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस योजना की विदेशी वित्तीय व्यवस्था के बारे में विश्व-बैंक से भी बातचीत की गई है।

Looting of Khojewala Station on Ferozepur Jullundur Section

*420. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a few masked robbers looted Khojewala Station on Ferozepur—Jullundur Section on the 12th October, 1972 ;

(b) the loss suffered by the Railways as a result thereof ;

(c) whether any arrest has been made in this connection and if not, the reasons therefor ; and

(d) the reasons for which Government do not post policemen at such small stations to avoid such untoward incidents ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes Sir. 20 youngmen presumably students) armed with lethal weapons mobbed Khojewala Station, set fire to Station records, furniture and damaged block instruments Control phone.

(b) Rs. 1770/- approximately.

(c) Three persons have been arrested.

(d) Within the existing resources it is not possible to post policemen at every wayside station on the Indian Railways.

Punishment to Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors for not Realising enough Penalty from Ticketless Travellers (Western Railway)

3925. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any quota has been prescribed for Travelling Ticket Examiners and

Ticket Collectors of each Division of the Western Railway in respect of realisation of penalty from ticketless travellers and against excess luggage ;

(b) if so, the names of the Divisions for which such quota has been prescribed and the target fixed in this regard ; and

(c) the number of Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors who are working according to the fixed quota and the nature of punishment given to the Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors who do not work accordingly and the number of employees punished during the last two years in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) and (c). A statement is attached. [**Placed in Library. See No. L.T. 3992/72**]

मध्य प्रदेश की नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त योजना

3926. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की नदियों में बाढ़ों के नियंत्रण के लिये, केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

संकेत तथा दूर-संचार विभाग, दिल्ली के मेनटेनर्स, सहायक निरीक्षकों और निरीक्षकों की 'ड्यूटी लिस्ट'

3927. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग मेन्युअल के बारहवें और चौदहवें अध्याय में विभिन्न वेतन-मानों के मेनटेनर्स, सहायक निरीक्षकों और निरीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट का स्पष्ट रूप से और अलग अलग उल्लेख नहीं है; और

(ख) क्या दूर संचार कर्मचारियों के कार्यों और ड्यूटी के बारे में भी उपरोक्त नियमावली (मेन्यूअल) में कोई उल्लेख नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग नियमावली के अध्याय XIII में निरीक्षकों के और अध्याय XIV में अनुरक्षकों के कर्तव्य बताये गये हैं। ये कर्तव्य निरीक्षकों और अनुरक्षकों की कोटियों पर लागू होते हैं और इस सम्बन्ध में निरीक्षकों या अनुरक्षकों के विभिन्न ग्रेडों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। विभिन्न ग्रेडों में निरीक्षकों के कर्तव्य इस बात पर निर्भर है कि किस किस्म या टाइप के उपस्कर का अनुरक्षण किया जाना है और इन्हें नियमावली में साफ-साफ और अलग-अलग अनुबद्ध नहीं किया जा सकता जिसमें कि निरीक्षकों या सहायक निरीक्षकों

द्वारा आम तौर पर किये जाने वाले कर्तव्यों के लिये केवल मार्गदर्शक नियम दिये गये हैं। इसी प्रकार, अनुरक्षकों के कर्तव्यों का यान्त्रिक और बिजली अनुरक्षकों की मुख्य कोटियों में वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इन दोनों कोटियों के अलग-अलग ग्रेडों के लिये साफ-साफ और अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) दूर संचार निरीक्षकों के कर्तव्यों की स्थूल रूप रेखा सिगनल इंजीनियरिंग नियमावली के अध्याय XIII में दी गयी है। दूर संचार संगठन कार्य संचालन आदि के बारे में अधिक ब्यौरा, दूर संचार नियमावली में दिया गया है जो छप रही है और आशा है कि शीघ्र ही निकल जायेगी।

मेनटेनर्स और सहायक निरीक्षकों को नियमों की पुस्तकें सप्लाई किया जाना

3928. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के अधिकांश मेनटेनर्स और सहायक निरीक्षकों को सामान्य और सहायक नियम, सिगनल इंजीनियरिंग मेनुअल आदि जैसी नवीनतम नियम पुस्तकें सप्लाई नहीं की गई हैं;

(ख) क्या इन पुस्तकों की अपर्याप्त सप्लाई का रेलवे की कार्यकुशलता और सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं उन्हें छोड़कर, नवीनतम नियम पुस्तकें, मैनुअल आदि सभी सहायक निरीक्षकों और अनेक अनुरक्षकों को वास्तव में दे दी गयी हैं।

(ख) रेलों की दक्षता और संरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सामान्य और सहायक नियमावली, सिगनल इंजीनियरी मैनुअल आदि जैसी नियम पुस्तकों में उल्लिखित नवीनतम नियमों और विनियमों का अनुरक्षकों और सहायक निरीक्षकों के बीच प्रशिक्षण स्कूलों में तथा समय-समय पर विभिन्न पहलुओं पर परिपत्र जारी करके प्रचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन रेलवे स्कूल आफ सिगनल इंजीनियरिंग एण्ड टेलीकम्युनिकेशन, सिकन्दराबाद में कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों से खर्च वसूल किया जाना

3929. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेलवे स्कूल आफ सिगनल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिकन्दराबाद में कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों से किस प्रकार का प्रभार लिया जाता है;

(ख) क्या सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन जोनल ट्रेनिंग स्कूल, पदनूर, दक्षिण रेलवे और इण्डियन स्कूल आफ सिगनल इन्जीनियरिंग एण्ड टेलीकम्युनीकेशन, सिकन्दराबाद में प्रशिक्षणार्थियों से होस्टल में रहने का किराया वसूल किया जाता है; और

(ग) क्या कोई ऐसी कार्यवाही करने का विचार है जिससे कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों से ये खर्च वसूल न किया जाये और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) निम्नलिखित खर्च लिये जाते हैं :

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों से भोजन खर्च लिया जाता है :—

(i) प्रशिक्षु सहायक निरीक्षकों से प्रतिदिन 5 रुपये 50 पैसे की दर से।

(ii) इन्जीनियरी स्नातक प्रशिक्षु निरीक्षकों से प्रतिदिन 6 रुपये 50 पैसे की दर से; और

(iii) परिवीक्षाधीन/प्रारम्भिक अस्थायी अधिकारियों से प्रतिदिन 8 रुपये की दर से।

जहां तक सेवारत श्रेणी III के दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, दैनिक भत्ता की एवज में मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था है।

(2) केवल परिवीक्षाधीन / प्रारम्भिक अस्थायी अधिकारियों से कमरे का किराया।

(ख) जी हां, जहां तक दक्षिण रेलवे के पोदानूर स्थित प्रशिक्षण स्कूल का सम्बन्ध है।

जहां तक भारतीय रेल सिगनल इन्जीनियरिंग और दूर संचार संस्थान, सिकन्दराबाद का सम्बन्ध है, ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद (2) में सूचना दी गयी है।

(ग) सभी रेलों पर एक जैसी कार्यविधि निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के केरल में विद्युत प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता

3930. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विद्युत प्रजनन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है जिसकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूरी हो जाने की आशा है और यह राज्य की वास्तविक मांग की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उस राज्य में वर्तमान सभी पन-बिजली परियोजनाएं चालू हो जाने पर भी केवल आधी क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चौथी योजना के अन्त तक केरल विद्युत प्रणाली में, केवल 402 मैगावाट अनुमानित प्रणाली पीक भार के प्रति, प्रतिष्ठापित/विद्युत-जनन क्षमता 622 मैगावाट होगी। व्यस्ततम समय की इस मांग को पूरा करने के लिए यह प्रतिष्ठापित क्षमता पर्याप्त होगी।

(ख) केरल की जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर लगभग 1.5 मिलियन किलोवाट है जिसमें से अब तक स्वीकृत स्कीमों के पूर्ण होने पर, 0.9 मिलियन किलोवाट क्षमता का उपयोग होगा।

(ग) केरल की जल-विद्युत शक्यता के संसाधनों के आधार पर, पांचवीं योजना के दौरान

चालू करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया गया है :—

1.	इड्डिकी विस्तार	3 × 130	390 मैगावाट
2.	सायलेंट घाटी	2 × 40	80 मैगावाट
3.	लोअर पेरियर	2 × 70	140 मैगावाट

राज्यों में विद्युत प्रजनन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

3931. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्यों में जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, विद्युत प्रजनन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार के अधीन एक विशेष निधि बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना

3932. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये अपने हाथ में लेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल सरकार से इस स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास-त्रिवेन्द्रम मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के लिए डीजल इंजन

3933. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास त्रिवेन्द्रम मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डीजल इंजन का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल यात्रा की गति तेज करने और उसमें सुधार करने के लिये नये प्रयोग

3934. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल यात्रा की गति तेज करने और उसमें सुधार करने के लिये अनेक प्रकार के नये प्रयोग करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण नये प्रयोगों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ नये प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं जिन्हें लागू करने का विचार है :—

(i) कंकरीट के स्लीपरों और लचीले स्थिरकों के साथ जिनसे यात्रा आरामदेह और जल्दी होती है, एकीकृत रेल पटरियां और सुधरी हुई किस्म के मार्ग संरचनाएं लगाना ।

(ii) तेज रफ्तार से यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक आराम और सेवा के प्रति विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक तेज रफ्तार सवारी डिब्बे का अभिकल्प तैयार किया गया है ।

(iii) वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों (डीलक्स गाड़ियां) में उपयोग के लिये बड़ी लाइन के वातानुकूल तीसरे दर्जे के 2-टियर वाले 10 शयनयानों के निर्माण की योजना बनायी गयी है जिनमें 48 यात्रियों के बैठने/सोने की व्यवस्था होगी ।

(iv) अपेक्षाकृत तेज यात्रा के लिये बहुसंकेती सिगनलिंग, टोकनरहित ब्लाक पर कार्य, स्वचल ब्लाक सिगनलिंग, स्वचल चेतावनी सिगनलिंग, रूट रिले और पेनल अन्त:पाशन पद्धति जैसी सिगनल व्यवस्था की सुधरी हुई तकनीकों का विस्तार ।

जी० टी० एक्सप्रेस और आसाम मेल का पठानकोट तक चलाया जाना

3935. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दक्षिण और पूर्व की ओर से पठानकोट तक सीधी यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये जी० टी० एक्सप्रेस और आसाम मेल को पठानकोट तक चलाने का है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जी नहीं । दिल्ली-अम्बाला-राजपुरा खण्ड तथा गाजियाबाद सहारनपुर-अम्बाला-राजपुरा खण्डों पर पर्याप्त लाइन क्षमता के अभाव में 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस और 85/86 असम मेल गाड़ियों का चालन-क्षेत्र पठानकोट तक बढ़ाना परिचालन की दृष्टि से इस समय व्यावहारिक नहीं है ।

नंगल डैम से ऊना तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

3936. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में नंगल डैम से राज्य के जिला मुख्यालय ऊना तक रेलवे लाइन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). फिलहाल नांगल बांध से ऊना होकर तलवाड़ा तक एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और आशा है कि मार्च, 1973 के अन्त तक यह काम पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस परियोजना के बारे में आगे और विचार किया जायेगा।

सोन नदी बांध से नहर

3937. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोन नदी बांध से प्रारम्भ होने वाली पूर्व क्षेत्र की उच्च स्तरीय नहर से बिहार के गया जिले और पटना जिले के वरुन-औरंगाबाद, गोह कूच, टेकरी मुकदमपुर, कोसी, पटुआ जैसे सूखे क्षेत्रों की कब तक सिंचाई प्रारम्भ हो जायेगी;

(ख) इस नहर का निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है और क्या यह नहर 1973 तक चालू हो जायेगी; और

(ग) इस समय तक इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है और इसका कुल परिव्यय कितना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर से सिंचाई 1971 की खरीफ में आरम्भ हुई है। वरुन-औरंगाबाद के निकट के क्षत्र की सिंचाई की जा रही है। बिहार के पटना जिला और गया जिला में गोह कूंच, टेकड़ी, मुकदमपुर, घोषो और फतुआ के क्षेत्रों की 1974 और 1975 के जून के माह की खरीफ में सिंचाई अनुसूचित है।

(ख) नहर का निर्माण हो रहा है; इस वर्ष के लिये आर० डी० 124 तक लक्ष्य है। नहर ने गत खरीफ के दौरान आर० डी० 60 तक कार्य करना आरम्भ कर दिया है और 1973 की खरीफ के दौरान आर० डी० 124 तक कार्य करेगी।

(ग) 13.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रति अब तक कुल लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

बिहार की पुन-पुन नदी पर सिंचाई नहर का निर्माण

3938. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की पुन-पुन नदी पर सिंचाई की नहर की शृंखला के निर्माण सम्बन्धी काम के कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर नहरों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) उक्त नहरों से सिंचाई के लिये किन-किन क्षेत्रों को जल प्राप्त होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). राज्य सरकार से पुन पुन नदी पर सिंचाई नहर बनाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुन पुन पर प्रस्तावित स्कीम, जिसके बारे में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, के कमानगत क्षेत्र में बाढ़ें आ जाया करती हैं और इस क्षेत्र को बाढ़ों से मुक्त करने के पश्चात सिंचाई प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाएगी ।

Railway Platforms without Sheds

3939. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of platforms without sheds on Indian Railways at present ; and

(b) the reaction of Government in regard to such platforms ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) 6249.

(b) Provision of cover over platforms depends on the number of passengers handled at a time and climatic conditions. However, while considering the work for provision of cover over platforms on the stations, priority is given to the following :

(i) Junctions where passengers have to wait for trains connections.

(ii) District headquarters stations.

(iii) Cities with a population of more than a lakh.

(iv) Suburban stations, and

(v) Stations in a heavy rainfall area etc.

In accordance with the above, cover over platforms are provided at stations by Railways on a programmed basis in consultation with the Zonal Railway Users' Amenities Committee with which public opinion is associated and according to the availability of funds.

Annual Production of Kerosene Oil

3940. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the annual production of kerosene oil in the country at present ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to make the country self-sufficient in the matter of Kerosene Oil ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The actual production of kerosene oil in the country during 1971 and 1972 (till the end of October) was as follows :

	(Fig. in '000' MT)
1971	2994.5
1972 (upto the end of October)	2339.7

It is estimated that the total production during 1972 will be of the order of 2.88 million tonnes. The lower production in 1972 compared to 1971 has been due to crude oil import cuts imposed during the current year on imports by the foreign oil companies.

(b) The refinery capacity in the country is being progressively augmented with a view to achieving maximum possible self-sufficiency in this regard.

दुर्गापुर विद्युत उत्पादन केन्द्र, कलकत्ता को ठेकेदारों द्वारा कोयले की सप्लाई

3941. **श्री दशरथ देव : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले घटिया किस्म के कोयले के उपयोग से दुर्गापुर विद्युत उत्पादन केन्द्र में बिजली का कम उत्पादन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों और सम्बद्ध अधिकारियों से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विभिन्न कारणों से दुर्गापुर के दो विद्युत केन्द्रों में कम बिजली पैदा हुई है। इन विभिन्न कारणों में विभिन्न कोटि का वाशरी उपोत्पाद ईंधन भी शामिल है। बहरहाल, इसकी सप्लाई किसी ठेकेदार द्वारा नहीं की जा रही है।

मुस्लिम स्वीय विधि में परिवर्तन

3942. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मुस्लिम्स आस्क्ड टू मेक चेन्जिज इन परसनल ला" (स्वीय विधि में परिवर्तन करने के लिये मुसलमानों से अनुरोध) शीर्षक से प्रकाशित प्रधान मंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री की अपीलों के प्रत्युत्तर में कोई आशाप्रद परिणाम उपलब्ध हुए हैं ;और

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). इस विषय में इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सरकार की यह नीति है कि मुस्लिम स्वीय विधि में कोई सुधार करने की प्रेरणा तथा पहल मुस्लिम समुदाय से ही होनी चाहिए।

दक्षिण पूर्व जोन की आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन द्वारा पारित संकल्प

3943. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व जोन की आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन की 4 अगस्त, 1972 को एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता उड़ीसा सरकार के वित्त मंत्री ने की थी ;

(ख) क्या उपरोक्त बैठक में पास किये गये 14 संकल्प उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उन संकल्पों का सारांश क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पता चला है कि अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क्स एसोसियेशन के दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति की 6-8-1972 को राउरकेला में एक बैठक हुयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल के दुरुपयोग के कारण चम्बल नियंत्रण बोर्ड को राजस्व की हानि

3944. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के निर्बाध रूप से बहने में रुकावट, उसके दुरुपयोग और बरबादी और उसके परिणामस्वरूप राजस्व में हानि के कारण चम्बल नियंत्रण बोर्ड को चिन्ता महसूस हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चम्बल परियोजना चरण-एक और दो को राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5.66 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई के लिये हाथ में लिया गया था। इसके प्रति मार्च, 1972 के अन्त तक लगभग 2·75 लाख हैक्टेयर की सिंचाई सुविधा प्राप्त हो गयी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें, जिसको चम्बल नियंत्रण बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, समय समय पर स्थिति का पुनरवलोकन करती रहती हैं और जब भी आवश्यक होता है सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिये समुचित कार्रवाई करनी है तथा व्यवस्थित सिंचाई सुविधाओं के प्रयोग में तेजी लाती हैं।

नेशनल वाटर ग्रिड संबंधी प्रतिवेदन

3945. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सितम्बर, 1972 में स्वयं न्यूयार्क गए थे और नेशनल वाटर ग्रिड संबंधी प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया था ; यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन पहले कभी मन्त्रिमंडल और संसद् में लाया गया था और उस पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी; यदि नहीं, तो इस पर किन को विश्वास में लिया गया था ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र का विशेषज्ञ सिंचाई इंजीनियर न होकर केवल अर्थशास्त्री था और उसको भारत के उन पश्चिमी राज्यों में नहीं ले जाया गया, जो शुष्क हैं और जहां सूखा पड़ने का अंदेशा बना रहता है ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को 2 करोड़ एकड़ फुट पानी सप्लाई करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और गंगा कावेरी लिंक से मूल्यवान भूमि नष्ट हो जाएगी ; और

(घ) क्या उत्तर और पश्चिम भारत का काफी बड़ा क्षेत्र शुष्क, रेगिस्तानी, प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाला और पिछड़ा हुआ है तथा वहां खेती वाले क्षेत्र की मुश्किल से 15 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है ; और काफी कम खर्च से 10 करोड़ एकड़ फुट की सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा सकती हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक दल, जिसने दिसम्बर, 1971 और मार्च, 1972 में देश का दौरा किया था, के द्वारा पुनरवलोकन किया गया था। इस दल ने मार्च, 1972 में अपना प्रथम प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर उनके साथ विस्तार में विचार-विमर्श किया गया था। मई, 1972 में उन्होंने अपनी अन्तिम रिपोर्ट का प्रारूप भेजा था जिनपर उन्हें जून, 1972 में टिप्पणियां भेजी गई थीं। सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने भी, जो जल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर पेनल मीटिंग में भाग लेने के लिए अगस्त-सितम्बर, 1972 में अमरीका गए हुए थे, इस दल के साथ अमरीका में रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतियां भी वहां से अपने साथ लेते आए।

इस देश में अपने दौरों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के दल ने केन्द्रीय सरकार तथा उन राज्यों के कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बात-चीत की, जहां-जहां वे गए थे। इस रिपोर्ट में दल के अध्ययनों, दौरों और विचार-विमर्शों की रोशनी में उनके विचार दिए गए हैं ; और इस दल द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पूर्व इस पर सरकार अथवा संसद् के विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जब कि इस दल का नेता एक अर्थशास्त्री था, इसके सदस्यों में एक परिवहन विशेषज्ञ, दो जल-भू वैज्ञानिक, एक हाइड्रालिक इंजीनियर और एक जल संसाधन इंजीनियर शामिल थे, जैसा कि नीचे दिया गया है :

1. डा० जोजफ वार्नी, अर्थशास्त्री, निदेशक, संसाधन, तथा परिवहन विभाग, संयुक्त राष्ट्र दल—नेता ;

2. मि० जेकब ब्राडानोविक-परिवहन विशेषज्ञ, संसाधन तथा परिवहन विभाग, परिवहन अनुभाग, संयुक्त राष्ट्र।

3. मि० सालिस सी० ब्राऊन, जलवैज्ञानिक-परियोजना सलाहकार, संयुक्त राष्ट्र परियोजना "भू-जल विकास" राजस्थान और गुजरात (आई० एन० डी०—114)

4. मि० सन्फोर्ड स्ट्रासवर्ग, जल भू-वैज्ञानिक, संयुक्त राष्ट्र भू-जल परियोजना, राजस्थान और गुजरात ;

5. डा० रूडोल्फ पार्ट, हाइड्रालिक इंजीनियर तकनीकी सलाहकार, संसाधन और परिवहन विभाग, संयुक्त राष्ट्र।

6. मि० रोबिन रेनोल्डस, जल संसाधन इंजीनियर, केलिफोर्निया, जल संसाधन विभाग, अमरीका।

समय की कमी के कारण वे उन सभी राज्यों में नहीं जा सके जिनमें से सम्पर्क गुजरता

है अथवा जो सम्पर्क से फायदा उठा सकते हैं। यद्यपि पश्चिमी भारत के दौरे के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था, दल ने यह महसूस किया कि गुजरात और राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र की भू-जल परियोजना के संबंध में उनके सदस्यों में से दो सदस्यों के पूर्ण ज्ञान से मिशन के निष्कर्ष के लिए एक छोटे-से क्षेत्रीय दौरे की अपेक्षा अधिक सहायता मिल सकती थी।

(ग) और (घ). केवल कार्यालय अध्ययनों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि गंगा-कावेरी सम्पर्क जो कि राष्ट्रीय जल ग्रिड का एक भाग है, पर लगभग 2900 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से 2100 से 2200 करोड़ रुपये सिंचाई के लिए हो सकते हैं और शेष नौवहन के लिए। इसकी सही लागत स्कीम का अनुसंधान हो जाने के पश्चात् हो पता लगेगी। यह प्रारम्भिक अनुमान 28 मिलियन एकड़ फुट के स्थानान्तरण के लिए ही है। जल के किसी भी राज्य-वार आवंटन पर विचार नहीं किया गया है। लागत को निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह मान लिया गया है कि 6 मिलियन एकड़ फुट दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार में इस्तेमाल किया जाएगा जो कि गंगा बेसिन में पड़ते हैं। व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित जल 15 मिलियन एकड़ फुट है, जो केन्द्रीय तथा प्रायःद्वीपीय नदियों के 7 मिलियन एकड़ फुट जल के साथ, सिंचाई आयोग तथा कृषि मंत्रालय द्वारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा तमिलनाडु में बताए गए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए समुपयोजन करना प्रस्तावित है। सिंचाई आयोग द्वारा यह मूल्यांकन किया गया है कि हाथ में ली हुई सभी परियोजनाओं अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शक्यता परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भी वे कठिनाई से अपने फसली क्षेत्र का 25% सिंचित करेंगी।

लिंक की लगभग 1642 मील की कुल लम्बाई में से केवल 677 मील की लम्बाई नहर के रूप में होने की संभावना है और शेष लम्बाई नदियों तथा सरिताओं के रूप में होगी।

ऐसा आशय नहीं है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड उत्तरी, पश्चिमी अथवा भारत के किसी अन्य भाग में परियोजनाओं के पूरक के रूप में होनी चाहिए, बल्कि ऐसी परियोजनाएं समस्त देश में यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। यह लिंक केवल वृहत् नदियों जैसे गंगा आदि के जल-समुपयोजन के पूरक के रूप में ही प्रस्तावित है जोकि नदी बेसिनों के स्वयं की आवश्यकताओं से फालतू होगा और जो अन्यथा बेकार में बह कर समुद्र में चला जाता है। यह मूल्यांकन किया गया है कि इस शताब्दी की समाप्ति तक ऐसे जल के स्थानान्तरण की बहुत आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए आवश्यक परियोजनाओं के अनुसंधान और कार्यान्वयन के लिए समय पर पग उठाए जाने हैं।

समान सिविल संहिता

3946. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुप्रसिद्ध वकीलों ने सुझाव दिया है कि सभी भारतीय नागरिकों के लिये, चाहे किसी की कोई जाति, मत या धर्म हो, समान सिविल संहिता बनाई जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के पास इस समय एक समान सिविल संहिता अधिनियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

Demand for Bonus to Railway Employees

3947. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether the All India Railwaymen Federation has also demanded payment of 8.33 percent bonus to Railway employees under the Bonus Act ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : Yes.

नार्थ कनारा जिला (मैसूर) में गैर-सरकारी क्षेत्र के कास्टिक सोडा प्लांट को संयुक्त क्षेत्र में लाना

3948. **श्री बी० वी० नायक : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा बनाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने को संयुक्त क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास मैसूर राज्य में नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा बनाने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के कारखाने को संयुक्त क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शारदा ऐक्ट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम का क्रियान्वित किया जाना

3949. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारदा ऐक्ट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, जो कि बहुत पहले पास किए गए थे, ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (जो आम तौर पर शारदा ऐक्ट के नाम से ज्ञात है) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का प्रशासन मुख्यतः राज्य सरकारों के हाथों में है । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इन दो अधिनियमों को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demand for an Atomic Plant in the Eastern Region

3950. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Chief Ministers of Eastern region (Bihar, West Bengal

and Orissa) was held during the second week of November at which the Union Minister for Irrigation and Power was also present ;

(b) if so, whether a unanimous demand was made at the said meeting for setting up an atomic power station in the eastern region ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). The Chief Ministers of Eastern Region (Bihar, West Bengal and Orissa) during a conference with the Union Minister of Irrigation and Power on the 9th November, 1972 suggested setting up of an Atomic Power Station in the Eastern Region.

(c) There is no proposal so far by the Department of Atomic Energy, to set up an Atomic Plant in the region.

हेमवती, अपर कृष्णा और मालाप्रवना परियोजनाओं की क्रियान्विति

3951. **श्री के० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हेमवती, अपर कृष्णा और मालाप्रवना परियोजनाओं की गलत योजना बनाने और दोषपूर्ण टेंडर स्वीकार करने, जिनके कारण उनको क्रियान्विति में विलम्ब हुआ है, के लिए जिम्मेदार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की उपरोक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सिंचाई एक राज्य का विषय है और इसलिए सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान, अभिकल्पन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

ऊपरी कृष्णा और मालप्रभा परियोजनाओं के लिए जो कि राज्य सरकार द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं के भाग के रूप में निर्मित की जा रही हैं, किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । अभी तक मैसूर की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए हेमवती परियोजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता, सम्पूर्ण राज्य योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है, न कि किसी एक विकासशीर्ष अथवा विशेष परियोजना के लिए । मैसूर के लिए चतुर्थ योजना परिव्यय राशि 350 करोड़ रुपये की है जिसमें से केन्द्रीय सहायता 173 करोड़ रुपये की है ।

Suicide by Sweeper at Rewari Railway Station

3952. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Sweeper ended his life at Rewari Railway Station on 4th July, 1972 by throwing himself before a Railway engine ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether some papers have been recovered from his pocket in which he had written that he had committed suicide due to the alleged atrocities perpetrated on him by the Sanitary Inspector ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Police investigation discloses that it was a case of suicide.

(c) Three papers were recovered from the pocket of the sweeper, but according to the police report, there was no evidence on record to show that the suicide was due to the atrocities perpetrated by the Sanitary Inspector.

ईराक से अशोधित तेल के आयात के बदले वहां निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुऐं

3954. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईराक को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं के बदले में उस देश से अशोधित तेल का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल के बदले ईराक को किन किन वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान भारत ईराक व्यापार समझौते जो 1 सितम्बर, 1971 से 31 मार्च, 1973 की अवधि के लिए वैध है, में ईराक से 5 मिलियन पौंड (90 मिलियन रुपये) के मूल्य के कच्चे तेल के आयात के लिए व्यवस्था है। यह इस अवधि के दौरान भारत के ईराक को निर्यात किये जाने वाले बराबर के मूल्य की जांच, अन्य माल तथा सेवाओं के प्रति ईराक से आयात किये जाने वाले 11.5 मिलियन पौंड (207 मिलियन रुपये) के मूल्य के खजूर, कच्चे तेल तथा सलफर के समस्त पैकेज का एक अंश है।

हरियाणा में नालोन धागा बनाने वाला कारखाना लगाया जाना

3955. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में नायलोन धागा बनाने वाला कारखाना लगाये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां , तो उपरोक्त कारखानों पर कितना व्यय होने का अनुमान है और उसमें प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष 2100 मीटरी टन नाइलोन फिलामैण्ट यार्न के विनिर्माण के लिए हरियाणा राज्य में एक नये

औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु 29 दिसम्बर, 1971 को हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया था। इस आकार की प्रायोजना की पूंजीगत लागत 7 करोड़ रुपये है। इस प्रायोजना के लिए पूंजीगत माल का मूल्य लगभग 6.25 करोड़ रुपये है ; जिसमें से आयातित पूंजीगत माल की लागत उक्त मूल्य का 60 प्रतिशत होगी। ये केवल प्रारम्भिक आंकड़े हैं और विस्तृत आंकड़े तब उपलब्ध होंगे जब पार्टी पूंजीगत माल के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगी।

अल्जीरिया से अशोधित तेल

3956. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीरिया निकट भविष्य में भारत को अशोधित तेल सप्लाई करेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।
(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता

3957. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 1971-72 में उर्वरकों के उत्पादन के लिए कुल स्थापित क्षमता निम्नप्रकार थी :—

	(लाख मीटरी टनों में)
(1) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक	14.64
(2) फास्फेटिक उर्वरक	5.00

सुन्दरवन तक रेल सेवा का विस्तार

3958. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पूर्ति मंत्री ने, रेल मंत्री से, सुन्दरवन तक रेल सेवा का विस्तार करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जिन रेल सम्पर्कों के लिए सुझाव दिया गया है उनका प्रारम्भिक यातायात मूल्यांकन पूर्व रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उस पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् सुझावों पर आगे विचार किया जायेगा।

उत्तर-रेलवे, जनरल स्टोर, शकूरबस्ती के नैमित्तिक खलासियों और कैंटीन कर्मचारियों के साथ एक सा व्यवहार करना

3959. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, जनरल स्टोर शकूरबस्ती की स्टाफ कैन्टीन में नियमित रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों को पासों, पी० टी० ओ० आकस्मिक अवकाश और नियमित वेतन की सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं जबकि उत्तर रेलवे में नैमित्तिक खलासियों को इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या कैन्टीन में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थानापन्न खलासियों के रूप में नैमित्तिक खलासियों के समान नहीं माना जाता है जबकि उनकी स्थिति नैमित्तिक खलासी की अपेक्षा दृढ़ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). कैन्टीन कर्मचारियों और नैमित्तिक खलासियों की सेवा की शर्तों की तुलना नहीं की जा सकती है। कैंन्टीन कर्मचारी प्रबन्ध समिति के कर्मचारी हैं और वे प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित मान के अनुसार पास और पी० टी० ओ० और नैमित्तिक छुट्टी तथा वेतनमान पाते हैं लेकिन नैमित्तिक खलासी छः महीने की निरन्तर रेल सेवा पूरी कर लेने के बाद सभी प्रयोजनों के लिए नियमित रेल कर्मचारी समझे जाते हैं।

उत्तर-रेलवे के मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम

3960. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्यालय (बड़ौदा हाउस) में, 130-300 रुपये (ए० एस०) के वेतन मान में कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिए एक वर्ष पूर्व परीक्षा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, अब तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). नवम्बर, 1971 से जुलाई, 1972 तक चार बार परीक्षा ली गयी थी। परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। पेनल के प्रवर्तन में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि कुछ पदों के लिए पहले ही मंजूरी दी जाने वाली थी लेकिन इस वर्ष धन के अभाव में उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में ही प्रवर्तित करना पड़ेगा।

सिग्नल और दूर संचार विभाग, विजयवाडा डिवीजन (दक्षिण-मध्य रेलवे) में विभिन्न श्रेणियों के लिए छुट्टी-आरक्षित स्टाफ

3961. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाडा डिवीजन में ई० एस० एम०, एम० एस० एम०, टी० सी० एम०, सिग्नल इंस्पैक्टरों और दूर संचार इंस्पैक्टरों की श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) विजयवाडा डिवीजन के उपरोक्त स्टाफ के लिये नियमानुसार कितनी छुट्टी आरक्षित स्टाफ अपेक्षित है ;

(ग) क्या ऐसे स्टाफ की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है और इसमें दूसरे कर्मचारियों को छुट्टी मिलने में कठिनाई होती है ; और

(घ) यदि हां, तो छुट्टो आरक्षित स्टाफ की यह कमी प्रशासन द्वारा कब तक पूरी करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) 194

(ख) 24

(ग) ई० एस० एम०/एम० एस० एम० और टी० सी० एम०/बेतार अनुरक्षकों की प्रत्येक कोटि में छुट्टी एवजा कर्मचारी का एक पद कम है।

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक कोटि में छुट्टी एवजी कर्मचारी के अतिरिक्त पद के सृजन के लिए रेल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

कलकत्ता में सियालदह स्टेशन से महात्मा गांधी रोड और कस्बा से बालीगंज तक 'फलाई ओवर' बनाना

3962. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, कलकत्ता में एक "फलाई ओवर" सियालदह स्टेशन से महात्मा गांधी रोड तक तथा दूसरा कस्बा से बालीगंज तक बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) "फलाई ओवर" का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सियालदह स्टेशन से महात्मा गांधी रोड तक एक "फलाई ओवर" के निर्माण की कोई योजना नहीं है परन्तु कस्बा से बल्लीगंज तक एक फलाई ओवर के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गयी है।

(ख) यह बल्लीगंज स्टेशन के सियालदह छोर पर वर्तमान समपार के बदले में है।

(ग) 1973 के आरम्भ में।

भारतीय रेल इंजनों का निर्यात

3963. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये गये रेल इंजनों का कुछ विदेशों को निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी भारत से रेल इंजनों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत से सूडान, जोर्डन, दक्षिणी कोरिया, और

(घ) पेरू, फिलीपीन, सीरिया, न्यूजीलैण्ड, टर्की, नाइजीरिया, श्री लंका, थाईलैण्ड और गायना देशों को रेल इंजनों की सप्लाई की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में कुछ पूछताछ हुई है । यद्यपि कुछ मामलों में दरें भेजी गयी थीं, अन्य बहुत से मामलों में अपनी आवश्यक जरूरतों और रेलवे के उत्पादन यूनिटों में सीमित निर्माण क्षमता के कारण, निर्यात सम्बन्धी इस पूछ-ताछ पर विचार नहीं किया गया है ।

आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश और हिन्दुस्तान ऐन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में तैयार दवाइयों के लागत मूल्यों में कमी

3964. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश और हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में बनी दवाइयों के लागत मूल्य में और कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या इनके लागत-मूल्यों में और कमी करने के लिये उत्पादन में और वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

हिन्दुस्तान एल्मीनियम निगम को बिजली की सप्लाई

3965. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, हिन्दुस्तान एल्मीनियम निगम की बिजली की सप्लाई के

लिए बिड़ला बन्धुओं के साथ किए गए समझौते को रद्द करने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार की सलाह मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में केलेघई तटबंध के निर्माणार्थ अर्जित भूमि के लिए मुआवजा

3966. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बहुत से लोगों को मुआवजा अभी दिया जाना है जिनके मकानों और जमीनों का अर्जन पश्चिम बंगाल में केलेघई तट बंध के निर्माण के लिए किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो दिए गए मुआवजे की राशि क्या है और कितने व्यक्तियों को मुआवजा अभी दिया जाना है ;

(ग) क्या प्रभावित लोगों ने शीघ्र और उचित मुआवजा दिए जाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि कालियाघई स्कीम द्वारा प्रभावित लोगों को 32.46 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। लगभग 8495 लोगों को अभी मुआवजा दिया जाना है।

राज्य सरकार को प्रभावित लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दुबदा बेसिन जल-निस्सारण योजना की क्रियान्विति से प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवजा

3967. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कन्हाई सब डिवीज़न के रामनगर क्षेत्र में नहर की खुदाई सम्बन्धी दुबदा बेसिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिन लोगों की भूमि तथा मकान खाली करवाए गए थे, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नहर योजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए तुरन्त मुआवजे को व्यवस्था करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने उन लोगों को अग्रिम अदायगी के लिए 73,516 रुपये स्वीकृत किए हैं जिनके घर तथा भूमि दुब्धा बेसिन निकास स्कीम के लिए अर्जित किए गए हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति बांड भरने पर अदायगी कर दी जाएगी। भू-अर्जन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है और भू-अर्जन अधिनियम, के अन्तर्गत औपचारिकताएं पूर्ण करने पर मुआवजा शीघ्र ही दे दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में जल निकास की समस्याएं

3968. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में जल-निकास को अनेक समस्याएं हैं ;

(ख) क्या वहां की इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और ये समस्याएं हल करने के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कन्टाई सब-डिवीजन वर्षा ऋतु के दौरान जल निकास अवरोध से प्रभावित होता है।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि स्थानीय लोगों से समय-समय पर बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निकास समस्या से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हाथ में ली जाने वाली स्कीमों का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार, पहले ही, 37 लाख रुपये की लागत पर कंटाई बेसिन जल-निकास स्कीम चरण-एक कार्यान्वित कर चुकी है। 268 लाख रुपये की लागत की दुबदा जल-निकास स्कीम इस समय, क्रियान्वित की जा रही है। 47.83 लाख रुपये की लागत की कंटाई बेसिन जल-निकास स्कीम भाग दो तथा 32 लाख रुपये को लागत पर, बड़ा चौक बेसिन में जल-निकास में सुधार करने के लिए वलियाछाई नाले का पुनर्रूपण करने की स्कीम कार्यान्वियन करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु इन पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य-योजना में किए गए प्रावधानों में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों को सड़कों में बदलना

3969. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने अलाभप्रद रेलवे लाइनों को सड़कों में बदलने के लिये राज्यों को सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था के बीच समन्वय

3970. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था के बीच समन्वय के लिये काफी गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के तालमेल के लिये कौन-कौन से तत्व सहायक हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन के सभी साधनों, अर्थात रेल, सड़क, समुद्र, अंतर्देशीय जल परिवहन और पाइप लाइनों, के विकास की काफी गुंजाइश और आवश्यकता है । फिर भी, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि परिवहन प्रणाली एक इकाई के रूप में देखी जाय जिसमें उसके विभिन्न साधन यथासम्भव अन्तः निर्भर और सहायक तथा पूरक हों । परिवहन समन्वय, विशेष रूप से सड़क और रेल परिवहन समन्वय, की विभिन्न समस्याओं पर रेल, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय तथा योजना आयोग पूरा और निरन्तर ध्यान दे रहे हैं । सरकार की यह नीति होगी कि परिवहन के विभिन्न साधनों को ऐसे अनुपात और संयोजन के साथ पूरक सेवाओं के रूप में विकसित किया जाये कि अर्थ व्यवस्था पर न्यूनतम बोझ डाल कर ही जनता की कुल आवश्यकताएं पूरी हो सकें ।

विजयवाड़ा डिवीजन में इक्कीस रेलगाड़ियों को रोका जाना

3971. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन के विभिन्न स्थानों पर 12 नवम्बर, 1972 को 21 रेल गाड़ियां रोकी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या मद्रास जाने वाली 11 ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी को स्टुवर्टपुरम और चीराला के मध्य चार घण्टे तक रोका गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) मुल्की नियमों से सम्बन्धित आन्दोलन के कारण ।

(ग) जी हां ।

बोनस विवाद पर हड़ताल के लिए मत-संग्रह करना

3972. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे मैंन्स फैडरेशन की जनरल कौंसिल ने 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की मांग पर जोर देने हेतु हड़ताल के लिये मत-संग्रह करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कर्मचारियों को ऐसी कार्यवाही न करने हेतु राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) आल इण्डिया रेलवे मैन्स फैडरेशन ने इस प्रकार के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ तथा लुधियाना के बीच रेलवे सम्पर्क

3973. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ को लुधियाना से रेल द्वारा जोड़ने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य से कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) उक्त लाइन का निर्माण कार्य अनुमानतः किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). जगाधरी-चंडीगढ़-लुधियाना रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण इस समय किया जा रहा है और इसके 1972 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है । ये सर्वेक्षण पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ की सरकारों के खर्च पर किये जा रहे हैं । सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने और उन पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया जान लेने के पश्चात् इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा । अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इस रेल सम्पर्क अथवा इसके किसी भाग का निर्माण किया भी जायेगा या नहीं और यदि किया भी गया, तो कब ।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के लिये अध्यापकों / मुख्याध्यापकों की भर्ती पदोन्नति के लिये अर्हताएं / नियम

3974. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में मुख्याध्यापकों, अध्यापकों

के पदों पर भर्ती के लिए कुछ विशिष्ट अर्हताएं निर्धारित हैं और इन स्कूलों में कार्य करने वालों की मुख्याध्यापकों / प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति के लिए भी कुछ विशिष्ट नियम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अर्हताएं और नियम उस राज्य के स्कूलों में लागू अर्हताओं और नियमों के समान हैं, जहां ये स्कूल स्थित हैं अथवा केन्द्रीय स्कूलों में लागू नियमों के समान हैं ; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

अक्टूबर, 1972 में अनेक दंगों के कारण रद्द की गयी गाड़ियां

3975. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे गाड़ियां कितनी तथा कौन-कौन सी हैं जिनको देश में अनेक दंगों के कारण माह अक्टूबर, 1972 में रद्द किया गया था ;

(ख) क्या ऐसी स्थितियों का समाधान करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ताकि यात्रियों को गाड़ियों के इस प्रकार रद्द करने से होने वाली असुविधाएं न हों; और

(ग) इन दंगों से रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3993/72**]

(ख) सम्बन्धित रेल प्रशासनों द्वारा राज्य के सिविल और पुलिस प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क रखा जाता है । जहां व्यावहारिक होता है वैकल्पिक मार्गों से गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था की जाती है ताकि यातायात के प्रवाह को यथासम्भव कायम रखा जा सके ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बंगाल की खाड़ी में तटदूर तेल की खोज

3976. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया का बंगाल की खाड़ी में कच्चे तेल की तटदूर खोज करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

3977. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में कितने नल-कूपों के लिए और गांवों में बिजली पहुंचाई गई है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 30-9-72 तक विद्युतीकृत ग्रामों और ऊर्जित पम्पसैटों/नलकूपों की संख्या नीचे दी जाती है:—

	विद्युतीकृत ग्राम	ऊर्जित पम्पसैट/ नलकूप
	सं०	सं०
पश्चिम बंगाल	4234	1613
आन्ध्र प्रदेश	9421	2,21,308

Setting up of New Petroleum and Chemical Factories and Expansion of the Existing Factories to achieve self-Sufficiency

3978. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the broad outlines of the proposals under consideration of the Central Government for setting up new petroleum and chemical factories and to expand the existing ones in the country ; and

(b) the time by which the country would achieve self-sufficiency in respect of chemical Fertilisers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Presumably information is required in respect of Public Sector projects, which is given below :—

(I) **Petroleum Industry**

(i) Oil Exploration :—The Oil and Natural Gas Commission has drawn up a five-year plan of operations (1973-74 to 1977-78) with a view to establishing additional recoverable reserves of 64 million tonnes of crude oil and development of annual production capacity of about 8 million tonnes of crude oil by 1977-78.

(ii) Refining :— To meet the rising demand of petroleum products, refining capacity is planned to be progressively increased inter alia by setting up three new refineries at Haldia, Mathura and Bongaigaon and expanding capacities of the existing refineries at Cochin, Barauni and Koyali.

(II) **Fertilizers** :—14 fertilizer projects (including expansion of three existing units) are at present under implementation. Four more projects are expected to be taken up for implementation shortly. Certain other proposals creating additional fertilizer capacity are also under consideration.

(III) **Drugs Industry and other Chemical Industries**

(i) The Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. a public sector undertaking, is

contemplating to increase its share of drugs market in the country from 5% in 1971-72 to 12.5% in 1978-79 by expansion/diversification of its products.

(ii) The Hindustan Organic Chemicals have drawn up expansion plan during the Fourth and Fifth Plans at an estimated cost of Rs. 3460 lakhs as phase II of the project.

(iii) The Hindustan Insecticides Ltd. is contemplating establishment of capacities for the manufacture of Endosulfan (1600 tonnes p. a.), Malathion (600 tonnes p. a.) and BHC Granulation (6000 tonnes p. a.).

(iv) The Hindustan Antibiotics Ltd. is at present contemplating establishment of three units for the manufacture of Vitamin 'C' (125 tonnes p. a.), Neomycin Sulphate (2000 Kg. p. a.) and semi-synthetic penicillin (5000 Kg. p. a.). Besides, four expansion/diversification proposals for the manufacture of streptomycin sulphate, erythromycin etc. are under consideration.

(IV) **Petro-chemical Industry** :—The Indian Petro-chemical Corporation Ltd. is setting up the following projects in Gujarat :—

(i) An aromatics project to produce—

DMT—24,000 tonnes p. a.

Ortho Xylene—21,000 tonnes p. a.

Mixed Xylenes—2,500 tonnes p. a.

This project is expected to start commercial production in March, 1973.

(ii) An olefins plant designed to produce 1,30,000 tonnes of ethylene and other related streams by cracking naphtha.

This plant is expected to be commissioned by the end of 1974.

In addition, nine other petro-chemical projects will be set up to produce the following materials :—

(i) Polypropyene.
(ii) Acrylic Fibre.
(iii) Ethylene Glycol.
(iv) Detergent Alkylate
(v) Low Density Polyethylene.
(vi) Acrylonitrile.
(vii) Cis polybutadiene Synthetic rubber.
(viii) Polyester filament yarn.
(ix) Polyester staple fibre integrated with DMT.

(b) On present indications, it is expected that the country may achieve near self-sufficiency in fertilizer production by about the end of the Fifth Plan.

केरल में नयी रेल लाइनें बिछाने के बारे में पहले के प्रस्ताव

3979. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने सम्बन्धी पूर्व प्रस्ताव त्याग दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). रेलवे विकास कार्यक्रम राज्यवार या क्षेत्र-वार धारणाओं के आधार पर नहीं बनाया जाता बल्कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से समग्र विकास के आधार पर बनाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव पर समुचित ध्यान दिया गया है और जहां कहीं औचित्य पाया गया है, आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

केरल राज्य में पूर्णत: या आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित नई लाइनों के निर्माण बदलाव का काम हाल ही में शुरू किया गया है और काम जारी है।

(i) नगरकोइल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक एक नया रेल सम्पर्क और कन्या कुमारी तक शाखा लाइन (बड़ी लाइन 167 कि० मी०; लागत 14.53 करोड़ रु०)

(ii) एर्णाकुलम कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम मीटरलाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव (220 कि० मी०; लागत 13.60 करोड़ रु०)

केरल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3980. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र द्वारा संचालित कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं ;

(ख) उनमें से कितनी पूर्ण होने के निर्धारित समय से पिछड़ी हुई हैं ;

(ग) क्या इनमें से किसी परियोजना को विदेशी सहयोग की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). सिंचाई एक राज्य विषय है। सिंचाई की कोई स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित नहीं की गयी तथा सिंचाई परियोज-नाओं का आयोजन, अन्वेषण और निर्माण राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाता है।

केरल सरकार के पास सात बृहद सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं कई वर्षों तक चलती आ रही हैं क्योंकि राज्य सरकार इनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं थी।

केरल सरकार से इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

3981. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है और इसमें कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है ;

(ख) क्या चौथी योजना में शेष भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग). केरल में शक्य-गत क्षेत्र लगभग 2.35 मिलियन हेक्टेयर है और प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार यह आशा की जाती है कि अगली चार अथवा पांच योजना अवधियों के दौरान सभी सम्भव सिंचाई कार्यों के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र के लगभग 67 प्रतिशत भाग की आखिरकार सिंचाई हो जायेगी।

1968-69 में सिंचाई शक्यता शक्यगत क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत थी जिसके चतुर्थ योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो जाने की तथा इस समय निर्माणाधीन 7 वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा पूर्ण रूप से विकसित होने पर लगभग 31 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है।

रेलवे कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके इस्पात वैगनों का अपहरण करना

3982. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार मिला है कि इस्पात के वैगनों का नागपुर को अपहरण करने वाले इस्पात वैगन अपहरणकर्ताओं के साथ कुछ रेलवे कर्मचारियों ने सांठ गांठ की थी; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई जांच की गई हो तो उसके क्या परिणाम निकले और रेलवे कर्मचारियों सहित उन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह विकेन्द्रीकरण

3983. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों ने गुजरात पेट्रो-रसायनिक उद्योग समूह के विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार को किसी विशेषज्ञ द्वारा गुजरात पेट्रो रसायन उद्योग समूह के विकेन्द्रीकरण के बारे में सुझाव दिये जाने की जानकारी नहीं है। किन्तु पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न प्रायोजना सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

संयुक्त राष्ट्र के जल संसाधनों सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार का प्रेस वक्तव्य

3984. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र के जल संसाधनों सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार द्वारा प्रेस को दिये गये इस वक्तव्य के बारे में पता है कि गंगा-कावेरी सम्पर्क योजना पर 10,000 करोड़ रुपये लागत आयेगी न कि 2250 करोड़ रुपये, जैसा कि उन्होंने बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक अन्तर के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों का पुनरवलोकन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मिशन ने यह अनुमान लगाया है कि गंगा-कावेरी सम्पर्क, जो कि ऐसे ग्रेड का एक भाग है, पर 2900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। संयुक्त राष्ट्र के किसी तकनीकी सलाहकार द्वारा कोई भी विवरण भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है जिसमें इससे भिन्न आंकड़े दिये गये हों।

आंध्र प्रदेश में चल रही भारतीय उर्वरक निगम की शाखाओं के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप

3985. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के आठ संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उन्हें हाल में प्रस्तुत किया है जिसमें भारतीय उर्वरक निगम की आन्ध्र प्रदेश में चल रही शाखाओं में कुप्रबन्ध का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें लगाये गये मुख्य आरोप क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ज्ञापन में मुख्यतः रामागुण्डम प्रायोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब पर्याप्त संख्या में स्थानीय लोगों की बेरोजगारी तथा श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख है। भारतीय उर्वरक निगम के परामर्श से इस ज्ञापन की जांच की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं

3986. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश में कितनी ग्राम विद्युतीकरण योजनायें अब तक मन्जूर की हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी और कितने पम्पसैटों को बिजली मिलेगी; और

(ग) मन्जूरशुदा प्रत्येक योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, जुलाई, 1969 में अपने आरम्भ होने के समय से अब तक 22 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें आन्ध्र प्रदेश के लिये पाइलाट सहकारी परियोजना के लिये एक स्कीम सम्मिलित है ।

प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत ग्रामों/पम्पों की संख्या और लागत का ब्यौरा उपाबन्ध-एक में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3994/72**]

प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि स्वीकृत स्कीमों पर कार्य प्रगति कर रहा है । 1970-71 में स्वीकृत स्कीमों की प्रगति का ब्यौरा उपाबन्ध-दो में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3994/72**]

सरकार द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों को विदेश धन भजने से रोका जाना

3987. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाहर धन भेजने की आवश्यकता, उपयुक्तता और धन की राशि की विस्तृत जांच किये जाने तक विदेशी तेल कम्पनियों पर लाभ के अतिरिक्त, बाहर धन भेजने पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख). यह निर्णय लिया गया है कि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी सेवाओं रायल्टीज, लाइसेन्स फीस और विदेशों में स्थित कार्यालय पर होने वाला व्यय (होम आफिस) शीर्षकों के अन्तर्गत (बाहर भेजे जाने वाली) रकमों की पूर्व जांच की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन मामलों में जिनके लिये देशीय जानकारी उपलब्ध है, विदेश से सेवाएं प्राप्त नहीं की जायेंगी । एक नई पद्धति, जिसके द्वारा उपयुक्त शीर्षकों के अन्तर्गत वैयक्तिक सेवाओं आदि के लिए विधियों के देश प्रत्यावर्तन के दावों आदि के लिए निधियों दावों की औचित्य अथवा अन्यथा जाना जा सके, को मालूम करने के प्रश्न पर तेल कम्पनियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है ।

शोरानूर-मंगलौर बड़ी लाइन का रख रखाव

3988. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को इस सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें मिली हैं कि शोरानूर-मंगलौर बड़ी लाइन की उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) इस शिकायत को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) शेरावन्नूर-मंगलूर बड़ी लाइन के अनुरक्षण से सम्बन्धित कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। अलबत्ता, शौचालयों और प्रतीक्षालयों की कमी के बारे में और छोटे स्टेशनों पर पहुंच-मार्ग में सुधार करने की आम किस्म की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) उपयुक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के छंटनी किये गये संकेत और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना

3989. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से दक्षिण पूर्व रेलवे में संकेत और दूर संचार विभाग से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों ने उक्त विभाग में तीन वर्ष से अधिक सेवा की है; और

(ग) छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को कब तक फिर से काम पर लगा लिया जायेगा ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कार्य पूरा हो जाने पर सिगनल विभाग के निर्माण स्कन्ध से 390 अकुशल श्रमिकों की छंटनी कर दी गयी है।

(ख) 100

(ग) 47 को पहले ही अन्य निर्माण कार्यों में लगाया जा चुका है। बाकी के लिये काम ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

Report on Gandak Project

3990. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Central Government have asked for a report on the progress made in regard to Gandak project from the Government of Bihar ; and

(b) if so, the extent to which the work has been completed and the expenditure incurred thereon so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Reports on the progress made in the construction of the Gandak Project are received from the Government of Bihar periodically.

(b) The Gandak Barrage has been completed. Work on Tirhut main canal has been completed upto 30th Mile. Don, Sugauli, Vaishali and Jaitpur branch canals have also been completed. The other works are in progress.

The expenditure incurred by Bihar till September, 1972, is Rs. 105.50 crores.

Report of the Power Economy Committee on Power Projects

3991. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Power Economy Committee has hinted in its report that the specific

hurdles in the way of power projects are more due to lack of know-how than the inadequacy of capital investment ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard to ensure efficient execution of the projects ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Power Economy Committee have not stated that there is a lack of know-how for the execution of power projects.

(b) Does not arise.

Opening of Fair Price Shops for Railway Employees

3992. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Tha Kiruttinan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in view of the rise in prices, Government propose to open fair price shops in each Railway colony to provide essential commodities to the Railway Employees at cheap rates

(b) if so, the time by which these shops would be opened ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Opening of fair price shops is the responsibility of the State Government. However, on the Railways, majority of the places having a concentration of 300 or more railway employees, are covered by fair price shops run through the agency of the Railwaymen's Consumer Cooperative Societies or state authorised dealers.

(b) and (c). Do not arise.

केरल को समुद्री कटाव से रोकने के लिए समुद्री दीवारें बनाने के लिए सहायता देना

3993. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्री कटाव रोकने के लिए समुद्री दीवारें बनाने हेतु केरल को हाल ही में धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) केरल द्वारा इस कार्य के लिए कितनी धन राशि की मांग की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). केरल सरकार ने 1972-73 और 1973-74 के दो वर्षों के दौरान 8 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक समुद्री-कटाव रोधी कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। इसके प्रति राज्य योजना में 2.8 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य में समुद्र-कटाव रोधी उपायों के द्रुत विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 करोड़ रुपये के व्यय के साथ निर्माण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए चतुर्थ योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार इस शर्त पर सहमत हो गई है कि राज्य योजना में व्यवस्थित की जाने वाली 1973-74 के दौरान 150

लाख रुपये की राशि और 1972-73 के दौरान 130 लाख रुपये की राशि से अधिक खर्च को पूरा करने के लिए यह सहायता दी जाएगी। चूंकि 1972-73 के दौरान अभी तक यह खर्च 130 लाख रुपये से बढ़ा नहीं है, चालू वर्ष के दौरान कोई राशि नहीं दी गई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा रांची में रेलवे के लिए एक 'स्क्रैप यार्ड' बनाया जाना

3994. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने रेलवे के लिए रांची में एक "स्क्रैप यार्ड" अपने खर्च पर बनाने तथा उसे चलाने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एच० ई० सी० ने अपनी भट्टियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलवे का रद्दी सामान प्राप्त करने के उद्देश्य से रांची में एक रद्दी सामान यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। विशिष्ट रूप से यह नहीं बताया गया था कि क्या इस रद्दी सामान यार्ड की स्थापना और इसका संचालन एच० ई० सी० द्वारा अपनी लागत पर किया जायेगा।

(ख) एच० ई० सी० ने यह प्रस्ताव रखा था कि रेलवे द्वारा इस तरह के अपने रद्दी सामान यार्ड के बजाय रांची में एक केन्द्रीय रद्दी सामान यार्ड स्थापित किया जाये जिससे एच० ई० सी० को अपनी भट्टियों के लिए रद्दी सामान मिलने में सुविधा हो।

(ग) यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि

(1) प्राथमिकता के आधार पर रद्दी सामान के कई उपयोगकर्ता हैं जिनमें से एच० ई० सी० केवल एक है,

(2) रेलवे के रद्दी सामान यार्ड में ही रद्दी सामान का वर्गीकरण होता है, अतः इस काम को दो बार करना पड़ जायेगा।

इसके अलावा एक प्रक्रिया विद्यमान है जिसके अनुसार रेलें रद्दी सामान की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

ओलावाक्कोट-मंगलौर रेल-मार्ग पर डीजल के इंजनों का प्रयोग

3995. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावाक्कोट और मंगलौर के बीच चलने वाली गाड़ियों के साथ डीजल के इंजन लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). 26-1-1973 से नयी दिल्ली और कोच्चिन/मंगलौर के बीच हफ्ते में दो बार एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चालाने का प्रस्ताव है, जो नयी दिल्ली और मंगलौर के बीच डीजल रेल इंजनों से चलायी जायेगी।

शोरानूर तथा कन्नानोर के बीच डीजल कारें चलाना

3996. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार शोरानूर तथा कन्नानोर के बीच डीजल कारें चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अग्रिम बुकिंग तथा बर्थों के आरक्षण को सरल बनाने के उपाय

3997. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम बुकिंग तथा बर्थों के आरक्षण को अधिक सरल बनाने के लिए रेलवे ने कुछ उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ; और

(ग) क्या इन प्रायोगिक उपायों के परिणाम संतोष प्रद रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). गाड़ियों में स्थान के लिए अग्रिम बुकिंग और आरक्षण की प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय किये जाते हैं । इस में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गयी है । समिति के सुझाव के अनुसार 15-11-72 से एक महीने के लिए परीक्षण के तौर पर अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा को बढ़ा कर समान रूप से 30 दिन कर दिया गया है और वातानुकूल तीसरे दर्जे, दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को असीमित कर दिया गया है । बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में आरक्षण कार्यालयों का समय भी परीक्षण के तौर पर एक महीने के लिए 21.00 बजे तक कर दिया गया है ।

(ग) परीक्षण पूरा हो जाने पर स्थिति का अध्ययन किया जायेगा ।

वित्तीय आयुक्त (रेलवे) के अधीन स्वतन्त्र एकक

3998. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति (24 वें प्रतिवेदन) के सुझाव के अनुसार, वित्तीय आयुक्त (रेलवे) के अधीन एक स्वतन्त्र एकक बना दिया गया है जिसके कर्तव्य वित्त मंत्रालय के स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट जैसे ही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). इस सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है, इसके बारे में शीघ्र विनिश्चिय किया जायेगा । एक ऐसी योजना तैयार करनी होगी जो कम खर्चीली हो तथा जिससे सिफारिश की भावना को क्रियान्वित किया जा सके ।

नंगल उर्वरक कारखाने के प्रमुख भाग के स्थान पर उर्वरक एकक स्थापित किया जाना

3999. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब के बीच बिजली सम्बन्धी लम्बे विवाद को समाप्त करने के लिए नंगल उर्वरक कारखाने के प्रमुख भाग के स्थान पर शीघ्र ही 80 करोड़ रुपये का एक उर्वरक एकक स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). कच्चे माल के रूप में बिजली के स्थान पर ईंधन तेल/भारी अवयवों पर आधारित नंगल संयंत्र के विस्तार का कार्यक्रम विचाराधीन है। प्रायोजना (जब कार्यान्वित की जायेगी) की प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया के उत्पादन की क्षमता होगी। इस 900 मीटरी टन में से 300 मीटरी टन अमोनिया का वर्तमान संयंत्र में अपवर्तन किया जायेगा। शेष क्षमता का प्रतिदिन 1000 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन में प्रयोग किया जायेगा। यह प्रायोजना जिस पर लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, विश्वबैंक से सहायता के लिए है।

महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर अलाभकर रेलवे लाइन पर यातायात बढ़ाने के प्रयास

4000. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित रेलवे लाइन अलाभकारी सिद्ध हुई है और 99 प्रतिशत यातायात क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर लगभग 60 करोड़ व्यय करने से पूर्व कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का आशय जिस विशिष्ट लाइन से है, उसका ब्यौरा देने पर ही सूचना इकट्ठी करके उत्तर देना संभव हो सकेगा।

रेलवे के लेखा कार्यालयों में श्रेणी I और II के क्लर्कों के वेतन-मान मिलाना

4001. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 110-180 रुपये के वेतन-क्रम में ग्रेड II के क्लर्क परिशिष्ट II-ए परीक्षा

पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी वही कार्य करते हैं जो श्रेणी II के क्लर्क करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या श्रेणी I और II के क्लर्कों के वेतन-क्रम को मिला कर एक ही करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । यद्यपि क्लर्क ग्रेड II और क्लर्क ग्रेड I का काम लगभग एक ही प्रकार का है तो भी क्लर्क ग्रेड I को अधिक महत्वपूर्ण लिपिक वर्गीय काम पर लगाया जाता है जबकि क्लर्क ग्रेड II को कम महत्व वाला और नेमी काम दिया जाता है ।

(ख) रेलवे लेखा कार्यालयों में काम करने वाले ग्रेड I और ग्रेड II के क्लर्कों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतनमान आदि के परिशोधन का प्रश्न तीसरे वेतन आयोग के विचाराधीन है और उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

धनबाद के रेलवे क्लब के अहाते में रेल कर्मचारियों का कन्वेंशन

4002. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति ने एक पत्र द्वारा पूर्व रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, धनबाद, से रेलवे में भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये 2 अप्रैल, 1972 को रेलवे क्लब, धनबाद के अहाते में रेल कर्मचारियों की कन्वेंशन आयोजित करने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो अनुमति न देने के क्या कारण हैं और डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, धनबाद द्वारा अनुमति देने से इनकार करते हुए भेजे गए उत्तर का सारांश क्या है ;

(ग) क्या डिवीजनल सहायक बिजली इन्जीनियर, धनबाद ने आवश्यक प्रभारों के भुगतान पर 2 अप्रैल, 1972 को इस कन्वेंशन के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन के उक्त समिति के पत्र द्वारा किये गये अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया ; और

(घ) इस इनकार के क्या कारण हैं, और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ). मण्डल रेल कर्मचारी समन्वय समिति ने मण्डल अधीक्षक, धनबाद से 2 अप्रैल, 1972 को सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं मांगी थी ।

मान्यताप्राप्त या गैर मान्यताप्राप्त रेल कर्मचारियों के किसी भी यूनियन या एसोसिएशन को रेल परिसरों में बैठकों के आयोजन का अधिकार नहीं है । फिर भी, मान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा रेल परिसर में बैठक के आयोजन के लिए आवेदन-पत्र दिये जाने पर सामान्यतः अनुमति दी जाती है ।

रेलवे क्लब और संस्थान, धनबाद में, ठेकेदार द्वारा सिनेमा चलाना

4003. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल कर्मशियल रिक्रियेशन क्लब के अध्यक्ष और कोल एरिया सुपरिंटेंडेंट, पूर्वी रेलवे ने 3 फरवरी, 1972 के एक पत्र में रेलवे क्लब, धनबाद के अनैतिक महासचिव से 10 और 11 अप्रैल, 1973 को सांस्कृतिक समारोह करने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के समान उन्हें अनुमति न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) रेलवे क्लब और संस्थान में ठेकेदारों द्वारा सिनेमा चलाने से सम्बन्धित नियम और रेलवे बोर्ड के अन्तिम आदेश क्या हैं और क्या रेलवे क्लब और संस्थान, धनबाद में इन नियमों और आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि क्लब समिति द्वारा सहयोगी संगठनों को हाल का उपयोग करने की अनुमति देना सम्भव नहीं था क्योंकि इससे, विशेषकर रेलवे सप्ताह के दौरान, क्लब के अपने कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता था, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकी ।

(ग) वर्तमान आदेश ये हैं कि संस्थानों में सिनेमा टेंडर मंगाकर ठेकेदारों द्वारा चलाये जायं बशर्ते कि इससे संस्थान की सामान्य गतिविधियों के संचालन में कोई बाधा न पड़े । धनबाद स्थित रेलवे क्लब और संस्थान में इन नियमों का पालन किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972-73 में उर्वरकों के उत्पादन में कमी के कारण

4004 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में उर्वरकों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 14 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन के पहले अनुमान की तुलना में 1972-73 के दौरान उर्वरक के उत्पादन का अब लगभग 11 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन का अनुमान है । लगभग 30 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन की प्रत्याशित कमी के निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) बिजली में कटौतियां एवं वोल्टेज में अस्थिरता ;

(ख) श्रमिक समस्याओं के परिणामस्वरूप कुछ संयंत्रों में हुई हड़तालें ;

(ग) यांत्रिक खराबियों तथा अन्य समस्याओं के कारण कुछ पुराने संयंत्रों में क्षमता का कम प्रयोग ;

(घ) कच्चे माल की कमी तथा अन्य स्थानीय समस्याएं ; और

(ङ) कुछ नई परियोजनाओं के चालू किये जाने में विलम्ब ।

जम्मू के निकट तेल खुदाई में अधिक लागत आना

4005. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू के निकट तेल खुदाई में अत्यधिक लागत आ रही है और वह आशा से भी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां कुओं की प्रति मीटर खुदाई की क्या लागत है तथा अन्य स्थानों पर तेल के कुओं की प्रति मीटर खुदाई की औसत लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) यह सत्य है कि जम्मू (सुरिनसर कुंआ संख्या 1) के निकट कुएं की व्यधन लागत मूल लागत अनुमान की तुलना से अधिक है ।

(ख) व्यधन की अधिक लागत के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :

(1) शैल समूह के झुकाव के बृहत कोण के कारण व्यधन की धीमी प्रगति ; जिसके कारण अनुज्ञेय सीमाओं के पश्चात् कुएं के विचलन से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है ।

(2) व्यधन जो कीचड़ निकालने के पम्पों के प्लुइड एण्ड पार्ट्स (धारा छोर अंशों) को जल्दी ही खराब कर देता है, के प्रारंभिक चरणों से प्रत्यागमन व्यधन कीचड़ का अकल्पित अधिक ताप ।

(3) अत्यधिक दाब, जिसका प्रतिरोध करने के लिए कीचड़ के विशिष्ट घनत्व को बहुत अधिक परिमाणों तक बढ़ाया जाना है, के अन्तर्गत पानी का बारंबार अर्न्तवाह ।

(4) 804 मीटर की गहराई पर व्यधन करते समय वरना जो खुल गया था, के प्रेषण कार्य ।

(5) विभिन्न गहराइयों पर जमाव तथा उन जमावों को खाली करने में व्यतीत हुआ समय ।

(6) $13\frac{3}{8}''$ क्षति ग्रस्त केसिंग का परिष्करण एवं मरम्मत जो अभी प्रगति पर है ।

(ग) सुरीनसर कुएं में व्यधन कार्य अभी प्रगति पर है । अतः संपूर्ण कुएं के लिए इस व्यवस्था पर इस कुएं के व्यधन की प्रति मीटर लागत का आंकन नहीं किया जा सकता है गलेकी 5 अम्गुरी । बधमरा, मोहन्द्र और रक्सौल जैसे अन्य स्थानों में व्यधन किये जा रहे तेल कुओं की औसत लागत प्रति मीटर 3717 रुपये है । किसी भी हालत में व्यापक रूप में असमान परिस्थितियों सहित परिचालनों, परिचालन परिस्थितियों आदि के बीच व्यधन लागत की लाभदायक तुलना नहीं हो सकती है ।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्रों में तापीय बिजली घर स्थापित करने का अनुरोध

4006. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सरकार के कोयला खान क्षेत्रों में तापीय बिजली घर स्थापित करने का अनुरोध किया है ताकि दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई कमी को काफी सीमा तक कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस विशाल क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 31 अक्तूबर, 1972 को बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र में एक बृहत् पिट-हैड ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे क्षेत्र के राज्यों को विद्युत् सप्लाई की जा सके।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि 2 मिलियन किलोवाट की अंतिम प्रतिष्ठापित विद्युत् जनन क्षमता वाले एक केन्द्र को उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करे। चूंकि केन्द्र को एक से अधिक राज्य की आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी, यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया जाए। राज्य इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए एक स्थान चयन समिति के गठन करने का प्रस्ताव है।

पूर्वी क्षेत्र में तापीय विद्युत् उत्पादन के लिए घटिया इंधन का उपयोग

4007. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पूर्वी क्षेत्र में विद्युत् की कमी तापीय विद्युत् उत्पादन के लिए घटिया ईंधन का उपयोग करने के कारण हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) पूर्वी क्षेत्र में कुछ केन्द्रों के प्रचालन में रुकावटें घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के परिणामस्वरूप बार-बार पोर्स्ड आउटेजिज तथा अनुरक्षण के लिए संयंत्र बन्द करने के कारण आई। विद्युत् केन्द्रों को, मजबूरन, घटिया किस्म का कोयला तथा अधिक मात्रा में राख और अपधर्मी पदार्थों युक्त वाशरी उपोत्पाद ईंधन प्रयोग करना पड़ता है। इससे वायलर उपस्कर एवं इसके सहायक पुर्जों में काफी टूट-फूट होती है।

(ख) (1) क्षेत्र में विभिन्न ताप केन्द्रों के लिए अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने हेतु प्रबंध किए जा रहे हैं।

(2) मरम्मत और अनुरक्षण कार्य में देरी को रोकने हेतु विद्युत् केन्द्र प्राधिकारियों को

अनिवार्य देशी तथा आयातित फालतू पुर्जों के पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखने की सलाह दी गई है।

(3) ताप केन्द्र प्रचालन पर विशेषज्ञों का एक दल विभिन्न तापविद्युत् कन्द्रों का सामायिक दौरा करने, खराबियों का पता लगाने और औपचारिक उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है। इस दल ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है।

राज्यों में बिजली का उत्पादन

4008. **श्री डी० के० पंडा : क्या सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन बिजली उत्पादन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). जून-जुलाई 1972 में श्रीनगर में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के छठे सम्मेलन में यह मतैक्य था कि पांचवीं योजना के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत् उत्पादन केवल बृहद् अंतर्राज्यीय विद्युत् परियोजनाओं के लिए अथवा राज्यों द्वारा विद्युत् उत्पादन के अनुपूरक के रूप में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और मणिपुर राज्यों में केन्द्र द्वारा विद्युत् केन्द्र पहले से ही निर्माणाधीन हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्रीय क्षेत्र में, दलखोला में एक विद्युत् केन्द्र के निर्माण के लिए सहमत हो गई है। कुछ राज्यों से कन्द्रीय क्षेत्र में बृहद् पिट-न्हैड तापीय विद्युत् केन्द्रों की प्रतिष्ठापना के लिए भी हाल में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय आधार पर बिजली का उत्पादन

4009. **श्री डी० के० पंडा : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय आधार पर बिजली पैदा करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). विद्युत् सेक्टर में आयोजन के लिए क्षेत्रीय आधार चौथी योजना में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। अतः विद्युत् उत्पादन तथा पारेषण स्कीमों का आयोजन और चयन समग्र क्षेत्र, न कि राज्य-विशेष की विद्युत् आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है।

Payment of Daily Allowance in lieu of Break-Down Allowance to Signal and Telecommunication Department Staff on Railways

4010. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to

refer to the reply given to Unstarred Question No. 3941 on the 29th August, 1972 regarding payment of daily allowance in lieu of Break-down Allowance on Railways and state:

(a) whether the information in respect of parts (b), (c) and (d) thereof has since been collected; and

(b) if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor and the time by which this information would be collected?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Information has since been collected and already furnished to the Department of Parliamentary Affairs in fulfilment of the Assurance on 17.11.1972. A copy thereof is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 3995/72].**

Bangladesh shown as "East Bengal" in May, 1972 issue of Railway Time Table

4011. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the map of 'Indian Railways' included in the Railway Time Table published in May, 1972 in which the words 'East Bengal' have been printed instead of 'Bangladesh'; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to the said map?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The maps included in Zonal Railway Time Tables as also the All India Railway English Time Table published by the Railway Board in May '72 correctly indicate the territory as 'Bangladesh'. However, the map included in All India Railway Hindi Time Table, which is published by a private organisation at Varanasi, shows the areas as 'East Pakistan'.

(b) The private organisation at Varanasi has been suitably addressed to rectify the map in the next issue of the Time Table.

Percentage of Railway Budget spent on Administration

4012. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Department is overstaffed with officers unnecessarily as a result of which a huge expenditure has to be incurred on the Railway administration; and

(b) the percentage of Railway budget spent on administration?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The increase in gazetted cadre on Railways is mainly due to upgradation of about 2000 doctors from Class III to Class II, new constructions, drive for capturing more goods traffic and reducing claims, dieselisation, electrification, indigenisation of spares and equipment etc. It is not correct that the Railway Department is overstaffed with officers unnecessarily.

(b) As per budget estimate for 1972-73, the total revenue expenditure on "Administration" accounts for only 9.4% of the total expenses. This figure includes expenses on officers as well as non-gazetted staff in the administration.

Number of Passengers Travelling in various Classes in Railway

4013. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Third Class passengers and the number of passengers who travel by First Class and higher classes, annually; and

(b) the number of Third Class coaches as also the number of First Class and Higher Class coaches ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The Break up of the number of passengers for the three years ending 1971-72 by classes of travel is as under :

	1969-70	1970-71	(in Millions) 1971-72
Air Conditioned class	0.3	0.3	0.3
Air Conditioned Chair Cars	0.3	0.3	0.4
1st Class	85.6	78.0	83.0
2nd Class	10.9	9.8	9.9
3rd Class	2,241.4	2,342.7	2,442.1
Total all Classes	2,338.5	2,431.1	2,535.7

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 3996/72].**

करवार में एक 'सोडा एश' संयंत्र लगाने के लिये मैसर्स बालापुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड्स लिमिटेड को लाइसेंस देना

4015. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवार में एक 'सोडा एश' संयंत्र लगाने के लिए मैसर्स बालापुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड्स लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) क्या वे संयंत्र को करवार की बजाय विनागा में स्थापित कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा कृष्णा नदी बेसिन के बारे में निर्णय

4016. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने कृष्णा बेसिन में नदियों के विवाद को निपटा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के सम्मुख न्याय निर्णयन से सम्बन्धित कार्यवाही न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही के समान की जा रही है, जबकि यह बताना सम्भव नहीं कि यह कार्यवाही कब खत्म होगी, यह उम्मीद की जाती है कि क्योंकि यह काफी प्रौढ़ावस्था में है, न्यायाधिकरण का पंचाट लगभग एक वर्ष में मिल सकता है।

शोलापुर-शाहाबाद तथा धौंदं-वाडी के बीच में रेलवे लाइनें

4017. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर-शाहाबाद तथा धौंदं-वाडी के बीच रेलवे लाइनों का कार्य आरम्भ करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). शोलापुर-शाहाबाद खण्ड पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। धौंदं-वाडी खण्ड पर लाइन क्षमता से सम्बन्धित जो काम किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:—

(i) निम्नलिखित स्टेशनों के बीच पार स्टेशन बनाना :

(क) माढ़ा-अंगार

(ख) कुलाली-गंगापुर

(ii) माथूर में अतिरिक्त लूप की व्यवस्था।

हरियाणा में लोहारू में 'लिफ्ट' सिंचाई व्यवस्था को क्षति

4018. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में कई लाख रुपये की लागत वाली लोहारू लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था की पम्पिंग प्रणाली में 15 नवम्बर, 1972 को विस्फोट हो गया और उससे क्षति हुई; और

(ख) यदि हां, तो विस्फोट के क्या कारण हैं, कितनी क्षति हुई और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि 15 नवम्बर, 1972 को लोहारू लिफ्ट स्कीम में पम्पिंग प्रणाली में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। इस स्कीम के मुख्य वाहक तथा वितरणियों पर सभी 12 पम्पिंग स्टेशन वर्षा ऋतु में (जुलाई से अक्तूबर तक) चलाये गये तथा उनका कार्य संतोषजनक रहा। बहरहाल, नहर को बन्द करने के पश्चात सिस्टर्नों का अधिकतम स्थापन जो कि रेतीले डिब्बे पर किया जा सकता था, देखने के लिये पम्पिंग केन्द्रों का परीक्षण किया गया था। यह पाया गया कि पम्प गृह-3 की एक दीवार में कुछ दरारें आ गयी हैं तथा सिस्टर्न के स्थापन के कारण उसका कुछ भाग गिर गया है। हरियाणा सरकार ने आगे सूचना दी है कि इसकी प्रतिस्थापना की जा रही है।

केरल (दक्षिण रेलवे) में कारखानों, वर्कशापों, स्टोरों, डिपुओं और स्क्रैप डिपुओं का स्थित होना

4019. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे के वर्तमान कारखाने, वर्कशाप, स्टोर, डिपो और स्क्रैप डिपो आदि इस समय एक भी केरल में स्थित नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में कुछ रेलवे के प्रतिष्ठान स्थापित करने का है जिनसे ऐसे प्रतिष्ठानों के आवंटन में वर्तमान क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके और उस राज्य में रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ायी जा सके ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे कारखाने, भण्डार डिपो और रद्दी सामान के डिपो क्षेत्रीय आधार पर स्थापित नहीं किये जाते बल्कि उन्हें रेलों पर उन उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाता है जिन्हें रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सबसे अधिक लाभप्रद समझा जाता है ।

(ग) बढ़ते हुये यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, यदि केरल राज्य में किसी मरम्मत संस्थापन, डिपुओं आदि को स्थापित करना लाभप्रद सिद्ध होता है और रेलवे के कार्य की कुशलता में वृद्धि होती है तो उक्त राज्य में सबसे अधिक लाभप्रद स्थान पर इन संस्थापनाओं को स्थापित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उत्तरी क्षेत्र में बिजली की अनुमानित कमी

4020. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए उत्तरी क्षेत्र में बिजली मांग की तुलना में बिजली की सप्लाई में अनुमानतः कितनी कमी होगी ; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1973-74 तथा 1974-75 वर्षों के लिए प्रायोजित मांग की तुलना में उत्तरी क्षेत्र में विद्युत् शक्ति की सप्लाई में कमी का अनुमान क्रमशः 872 मैगावाट और 252 मैगावाट लगाया गया है ।

(ख) इस कमी को कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. निर्माणाधीन विद्युत् जनन क्षमता को चालू करने में शीघ्रता लाई जा रही है ।
2. बोर्डों के पास निष्क्रिय पड़े लघु उत्पादन सेटों की मरम्मत की जा रही है तथा उन्हें कार्य में लगाया जा रहा है ।
3. निजी उद्योगों को केप्टिव विद्युत् जनन संयंत्रों की प्रतिष्ठापना करने की स्वीकृति दी जा रही है ।

4. अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण पथों को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

5. राज्य बिजली बोर्ड डीजल उत्पादन सेटों की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं ।

दक्षिणी राज्यों में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करना

4022. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहां नए उर्वरक कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का सारांश क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). चारों दक्षिणी राज्यों में निम्नलिखित उर्वरक परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

राज्य का नाम	कम्पनी का नाम जो परियोजना (ए) स्थापित कर रही हैं	स्थान	वार्षिक क्षमता ('000 मीटरी टनों में) एन०	पी2 ओ5
1. मैसूर	मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, लि०	मंगलौर	160	—
2. तमिलनाडु	सदरन पेट्रोरसायन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	तूतीकोरन	258	52
3. केरल	एफ० ए० सी० टी०	कोचीन		
		चरण I	152	—
		चरण II	48	45
4. आंध्र प्रदेश	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	रामगुंडम	228	—

देश में उर्वरक की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कई नई परियोजनाओं की जरूरत होगी, उनके स्थान का निर्धारण तकनीकी आर्थिक सोच विचार एवं अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर किया जायेगा ।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना की प्रगति

4023. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री पश्चिम कोसी नहर परियोजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने चौथी योजना में पश्चिम कोसी नहर के भारतीय भाग को पूरा करने के लिए कोई ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) परियोजना को पूरा करने की निश्चित समयावधि क्या है ; और

(घ) क्या परियोजना की पूरी लागत को पूरा करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी व्यवस्था की जा रही है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि परियोजनाओं को अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध किया जाए। चूंकि भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के अनुसार मुख्य नहर का नेपाल क्षेत्र में आने वाला भाग 1975 तक निर्मित किया जाना है, भारत सरकार, इसकी लागत को पूरा करने के लिए, चौथी योजना के दौरान बिहार सरकार को राज्य-योजना की सीमा के बाहर विशेष सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। नेपाल का लाभ-भाग राज्य सरकार को ऋण के रूप में दिया जाएगा। 1973-74 के लिए राज्य योजना में, बिहार भाग में प्रारम्भिक कार्यों को हाथ में लेने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 1.65 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भी इस परिव्यय की सिफारिश की है।

(ग) बिहार राज्य इस परियोजना को पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण करने का प्रस्ताव रखती है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जाए।

(घ) इस स्कीम के लिए पांचवीं योजना में धन का पूरा प्रावधान राज्य योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दरभंगा में तापीय विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना

4024. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में तापीय विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कमला नदी तटबंधों का विस्तार

4025. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कमला नदी तटबंधों के विस्तार के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमला नदी तटबन्धों के विस्तार संबंधी योजना के विस्तृत प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ;

(ख) क्या इस योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 64 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र में पानी भर जाने के अलावा, नेपाली क्षेत्र का एक बड़ा भाग भी जलमग्न हो जाता है और नेपाल तथा भारत सरकारें इस योजना से सहमत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). नेपाल सरकार ने नेपाल क्षेत्र में मिरचिया तक जय नगर के परे बिहार में कमला तटबंधों के विस्तार के लिए प्रस्ताव से सहमती प्रगट की थी। भारतीय क्षेत्र में लगभग 64 वर्ग किलोमीटर की सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त इस प्रस्ताव से नेपाली क्षेत्र में लगभग 180 वर्ग किलोमीटर को लाभ पहुंचेगा। बिहार सरकार ने, जिन्हें इस स्कीम को अंतिम रूप देना है, वह तारीख नहीं बताई जब तक रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। स्कीमों की विस्तृत रिपोर्टें सापेक्ष प्राथमिकताओं को तथा कार्यान्वयनार्थ उपलब्ध होने वाली धनराशियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। चौथी योजना में नेपाल क्षेत्र में कमला बालान तटबंधों के विस्तार की स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पांचवीं योजना में स्कीमों को शामिल करने का फैसला इनको ध्यान में रखकर किया जाना है, व्यवस्थित किये जाने वाले परिव्यय ; सापेक्ष प्राथमिकताएं और स्कीमों की अर्थ-व्यवस्था।

कोयले की कमी के कारण गाड़ियों को रद्द करना

4026. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से अब तक कोयले की कमी के कारण कुल कितनी गाड़ियां रद्द की गईं ;

(ख) कोयले की कमी को दूर करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) उक्त अवधि में सभी जोनों में गाड़ियों के रद्द किये जाने के फलस्वरूप अनुमानत कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ग). क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) रेलों के उपभोक्ता स्थलों में से प्रत्येक पर कोयला पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं। परिचालनिक बाधाओं, कोयला खानों में गड़बड़ी, दुर्घटनाओं, श्रमिक अशान्ति आदि के कारण कुछ दृष्टान्त हो सकते हैं जब शेडों में कोयला पहुंचने में विलम्ब हो गया हो जिसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों को अस्थायी रूप से रद्द करना पड़ा हो।

नेफ्था की कमी

4027. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के उत्पादन के लिए नेफ्था के प्रयोग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये नेफ्था की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक गैस के पश्चात् नेफ्था को अधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) और (ग). उन उर्वरक सन्यन्त्रों, जिनमें नेफ्था प्रयोग किया जाता है, की आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी की जा रही है । जहां तक आवश्यक है, देशीय उत्पादन की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । किन्तु नेफ्था की समस्त कमी को ध्यान में रखते हुए, सभी नये उर्वरक कारखाने यथा सम्भव कच्चे माल के रूप में या तो ईंधन तेल अथवा अन्य भारी पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित होंगे ।

दक्षिण रेलवे में समस्त डिवीजनों के आधार पर वरिष्ठ अधीनस्थों को वरिष्ठता निर्धारित करना

4028. **श्री था० किरुतिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विभागों की तरह दक्षिण रेलवे के यातायात विभाग में 250-380 रु० के वतनमान में सभी डिवीजनों के आधार पर कर्मचारियों की समूची वरिष्ठता सूची बनाकर वरिष्ठ अधीनस्थों के पदों को 325-480 रु० के वेतनमान में लाने का प्रस्ताव है ताकि पहले नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता का उल्लंघन करके अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता न दी जा सके;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) श्रम संगठनों के परामर्श से, 335-425 रु० और 250-380 रु० के वेतनमानों में स्टेशन मास्टरों/यातायात निरीक्षकों, खण्ड नियंत्रकों के पदों को 1-1-63 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया था । क्योंकि आमतौर पर सम्बन्धित कर्मचारी पदोन्नति पर भी एक मण्डल से दूसरे मण्डल में जाने को तैयार नहीं होते थे, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के परिचालन के लिए पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब होता था ।

कोयम्बतूर शहर के पोदानूर क्षेत्र के सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन वर्कशाप के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर भत्ता देना

4029. **श्री था० किरुत्तिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सिगनल एंड टेलीकम्यूनिकेशन वर्कशाप पोदानूर के कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ते तथा नगर भत्ते की मंजूरी के लिये किये जा रहे आन्दोलन की जानकारी है, क्योंकि वह क्षेत्र कोयम्बतूर शहर से लगता है;

(ख) क्या उनकी मांग को पूरा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). कोयम्बतूर शहर के लिये स्वीकार्य दरों पर मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिकर भत्ते के लिये पोद्दानूर के रेल कर्मचारियों द्वारा की गयी मांग पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे के प्रस्ताव के साथ प्राप्त कोयम्बतूर शहर पर पोद्दानूर की निर्भरता का प्रमाणपत्र, जिसे सम्बन्धित कलक्टर द्वारा जारी किया गया था, दोषपूर्ण था। उसे ठीक करने के लिये वापस कर दिया गया है। वैध निर्भरता प्रमाण-पत्र मिलने पर, रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देने के प्रश्न पर, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, विचार किया जायेगा।

सेलम मार्किट क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के लिये पेय जल

4030. **श्री था० किरुत्तिनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम मार्किट स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त पेय जल प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में उनके मंत्रालय को जानकारी है;

(ख) क्या पेय जल की पर्याप्त तथा ठीक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। स्टेशन और बस्ती की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये स्थायी उपाय के रूप में नगरपालिका से पानी लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे की पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन को बन्द करना

4031. **श्री विक्रम महाजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी रेलवे लाइन को कुछ दिनों के लिये बन्द किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). सिंचाई और बिजली मंत्रालय से प्राप्त वर्तमान संकेतों के अनुसार आशा है, पोंग बांध जून, 1973 तक बनकर तैयार हो जायेगा और उसके बाद उससे जलाशय में पानी इकट्ठा होने लगेगा। इससे 1973 की वर्षा ऋतु में गाज पुल के पास जवांवाला शहर और गुलेर के बीच रेल-पथ पानी में डूब जायेगा। इसलिये 1-4-73 से जवांवाला शहर से आगे रेल-सेवा स्थगित करनी पड़ेगी ताकि मानसून से पहले ही रेल पथ के सामान और गर्डरों को उखाड़ कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। जवांवाला शहर और गुलेर के बीच ऊंची सतह पर एक वैकल्पिक रेल मार्ग (29.8 किलोमीटर) की योजना बनायी गयी थी और अप्रैल, 1969 में इसे

स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन अभी हाल तक यह काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि व्यास बांध परियोजना प्राधिकारियों ने इस मार्ग के लिये अपेक्षित भूमि रेलवे को नहीं सौंपी है। चूंकि पुनः मार्ग-निर्धारण का यह काम 31-12-1974 से पहले पूरा नहीं हो पायेगा इसलिये रेल सेवा स्थगित रखने की अवधि को दिसम्बर 1974 के अन्त तक बढ़ाना पड़ेगा। यदि व्यास बांध परियोजना प्राधिकारी 1975 के मानसून तक जलाशय में पानी इकट्ठा करना स्थगित रखने को सहमत हो जायें, तो यातायात स्थगित करना रुक सकता है।

रेलवे श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन

4032. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन० एम० मियाभाई रेलवे श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो परिचालक वर्ग (रनिंग स्टाफ) की सुविधाओं के सम्बन्ध में उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे श्रम अधिकरण, 1969 की रिपोर्ट में, रनिंग कर्मचारियों के काम के घंटे वेतनमान आदि से सम्बन्धित सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गयी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) रनिंग कर्मचारियों की रनिंग ड्यूटी सामान्यतः लगातार 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिये लेकिन यह ड्यूटी अधिक से अधिक 12 घंटे तक बढ़ायी जा सकती है बशर्ते सम्बन्धित प्राधिकारी उस कर्मचारी को 10 घंटे की ड्यूटी समाप्त होने से 2 घंटे पहले नोटिस दे कि उसे दो घंटे और रनिंग ड्यूटी करनी होगी, बशर्ते ड्यूटी पर आने और ड्यूटी से छूटने के बीच ड्यूटी के घंटे 14 से अधिक न हों, आगे साथ ही यह भी कि इस रिपोर्ट की तारीख से प्रति दो वर्ष पर अधिक घंटों में आधे घंटे की क्रमशः कमी की जाती रहे जब तक कि वह घटकर 12 घंटे न हो जाये अर्थात् इस रिपोर्ट की तारीख से 8 वर्ष की समाप्ति पर ड्यूटी पर आने और ड्यूटी से छूटने तक, लगातार काम करने के अधिकतम घंटे 12 से अधिक नहीं होंगे।

(2) ड्यूटी के लिये यात्रा पर फालतू व्यतीत किये गये पूरे समय को ड्यूटी की अवधि माना जायेगा सिवाय इसके कि—

(1) जब कर्मचारी को कर्मी विश्राम यान की सुविधा दी गयी हो और

(2) जब कर्मचारी किसी दिन अपनी ड्यूटी के स्थान पर 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा नहीं करता।

(3) दो सप्ताहों के औसत निकाले गये विधिक साप्ताहिक घंटों से अधिक समय तक काम करने के लिये समयोपरि की दर वेतन की सामान्य दर की दूनी होगी।

(4) वेतनमानों के सम्बन्ध में, अन्तर्मण्डलीय तथा लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों का ग्रेड बढ़ा कर उन्हें ग्रेड 'ए' माना जाये बशर्ते यात्रा की कुल दूरी 250 किलोमीटर से कम न हो।

(ग) विभिन्न सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और उन पर सरकार का विनिश्चय यथासम्भव शीघ्र लिया जायेगा। इस स्थिति में कार्यान्वयन की ठीक-ठीक तारीख निर्धारित करना कठिन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ियों का देरी से चलना

4033. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ियां बराबर घंटों देरी से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में गाड़ियों को समय से चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गाड़ियों के समय पालन पर क्षेत्रीय रेलों में सभी स्तरों पर और महत्वपूर्ण गाड़ियों के मामले में रेलवे बोर्ड के स्तर पर कड़ी निगाह रखी जाती है। गाड़ियों के परिहार्य रूप से रुके रहने के मामले में तुरन्त जांच पड़ताल की जाती है और समय-पालन की स्थिति में सुधार लाने के लिये उपयुक्त निवारक अथवा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। समय-पालन में सुधार लाने के लिये कुछ गाड़ियों में खतरे की जंजीर को भी नाकाम कर दिया गया है।

राजस्थान के माही सागर परियोजना की स्वीकृति

4034. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में माही सागर परियोजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना व्यय किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) सिंचाई के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लाया जायेगा तथा परियोजना के परिणामस्वरूप कितनी बिजली पैदा होगी; तथा बिजली की मांग को पूरा करने के मामले में वह परियोजना किस हद तक राजस्थान के लिए सहायक होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) माही बजाजसागर परियोजना को राजस्थान और गुजरात की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिये स्वीकृत कर लिया गया है।

(ख) और (ग). परियोजना की अनुमानित लागत 31.36 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से राजस्थान में 46558 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने और गुजरात में माही क्षेत्रों को अतिरिक्त सप्लाई देने की सम्भावना है। इस परियोजना में इस समय विद्युत उत्पादन परिकल्पित नहीं है। बहरहाल, भविष्य में बिजली पैदा कर सकने के लिये कार्यों में इसके लिये व्यवस्था की जा रही है।

राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता योजनाओं के लिये सम्पूर्ण रूप में ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है और यह किसी विशेष सेक्टर अथवा विकास शीर्ष अथवा किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए नहीं दी जाती ।

राजस्थान द्वारा पंजाब को विद्युत की सप्लाई

4035. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पंजाब पावर क्राइसिस में वर्सन बाई मिड डिसेम्बर" (पंजाब में विद्युत संकट दिसम्बर के मध्य तक और विकट रूप ले सकता है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) विद्युत की इस कमी से दिल्ली पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा, जहां पहले से ही गम्भीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या पंजाब को पर्याप्त मात्रा में बिजली देने के पश्चात् राजस्थान बिजली की घरेलू आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । देहली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) पंजाब की सहायता के लिये विद्युत राजस्थान पारेषण तार जाल के द्वारा मध्य प्रदेश से सप्लाई की जा रही है । राजस्थान अपने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपनी प्रणाली के द्वारा बिजली आगे भेजने के प्रयत्न कर रहा है । उन्होंने संकेत दिया है कि राजस्थान की विद्युत आवश्यकताओं में शीघ्रता से वृद्धि होने के कारण, वे मध्य प्रदेश से पंजाब को पर्याप्त ऊर्जा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है । पारेषण लाइन की कुछ सीमायें भी होती हैं । दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 220 के० वी० जयपुर-कोटा पारेषण लाइन को अर्जित करने के पश्चात स्थिति में सुधार होने की प्रत्याशा है ।

Construction of Punasa Dam in M.P.

4036. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land and the number of villages in Harsood Tehsil of East Nimar District which are being affected because of the construction of Punasa Dam by Government of Madhya Pradesh ; and

(b) the action being taken by the Central Government for providing necessary assistance for the land and villages which are being vacated due to construction of the said dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The project as proposed by the Government of Madhya Pradesh (with a full reservoir level of R.L. 860) indicates that the Punasa reservoir will submerge an area of 156221 acres

and effect 126 villages (120 Revenue villages and 6 Forest villages) in Harsud Tahsil. The project has not yet been accepted for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh.

It has been indicated in the project report that Rs. 24.89 crores would be provided for compensation of land and properties being affected and for the rehabilitation of displaced persons, who are proposed to be resettled in the adjoining areas by giving them plots of land in existing villages and where necessary by developing new model villages.

Major and Medium Irrigation Projects Sanctioned for Madhya Pradesh

4037. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of major and medium irrigation projects sanctioned by his Ministry and the Planning Commission for Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the amount allocated for the purpose ; and

(c) the progress made in this regard so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The new major and medium schemes accepted during the last three years for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh are as follows :—

Project	**Estimated Cost** (As per Annual Plan 1972-73) (Rs. lakhs).
Major :	
1. Mahanadi Reservoir Project-Stage I.	1534
Medium :	
2. Kunwarpur	98.83
3. Bargoor	71.74
4. Putka Nala	63.53
5. Jamni Dam	61.26
6. Mayana Tank	46.92
7. Sindh River Project ..	494.95

(b) and (c). The Government of Madhya Pradesh have proposed an outlay of 14 crores during the Fourth Plan on the new schemes mentioned in para (a) above as well as on the other new schemes as may be approved in the remaining period of the Fourth Plan.

While work will be started on the new schemes, it is expected that they will be completed and or will start yielding benefits towards the end of the Fifth Plan.

Implementation of Sukta Project in East Nimar District of Madhya Pradesh

4038. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the latest position regarding the implementation of Sukta project in East Nimar District in Madhya Pradesh and the time fixed for its completion ;

(b) whether there is any scheme for construction of embankments on both the banks of the Sukta river ; and

(c) whether there is any scheme to construct bridges and sluice gates near villages adjacent to project, and if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). The Sukta Project, as earlier proposed by the Government of Madhya Pradesh, had been estimated to cost Rs. 632 lakhs. In 1969, the State Government intimated that the project proposals were being modified. The modified report has not so far been received from the State Government.

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण परियोजना

4039. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की दो बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को योजना आयोग तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की स्वीकृति मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) माननीय सदस्य शायद शाहदरा जल निकास स्कीम तथा नजफगढ़ नाले का पुनर्रूपण एवं लाइनिंग के हेतु स्कीम और इसके तल में कुन्नीटी की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं जिन्हें, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा कार्यान्वियन के लिये स्वीकृत किया जा चुका है।

(ख) शाहदरा जल निकास स्कीम दिल्ली संघीय क्षेत्र में समस्त क्षेत्र तथा यमुना के बायें किनारे पर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लाभ हेतु बाढ़ जल निकास प्रबन्धों की व्यवस्था के लिये है। इसकी अनुमानित लागत 219 लाख रुपये है और इससे दिल्ली संघीय क्षेत्र में 7690 हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 6960 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा।

भरतनगर पुल से इसके मुहाने तक, नजफगढ़ नाले की वर्तमान क्षमता को दो गुना करने के लिये, इसके पुनर्रूपण तथा लाइनिंग करने और बसईदारापुर पुल से इसके यमुना में गिरने तक इसके तल में कन्नुटी की व्यवस्था के लिये स्कीम की अनुमानित लागत 205 लाख रुपये है। इससे दिल्ली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बाढ़ के जल के तेजी से निकास में सहायता मिलेगी तथा नाले की निम्न पहुंचों में अस्वस्थ्यकारी स्थितियों से बचाव के लिए वर्षा ऋतु के अतिरिक्त ऋतुओं में भी जल निकास में सहायता मिलेगी।

गया होकर पटना से धनबाद तक के लिये सीधी गाड़ी चलाना

4040. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया होकर पटना से धनबाद तक के लिये एक सीधी गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या गया होकर पटना और धनबाद की दूरी किऊल होकर पटना और धनबाद की दूरी की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो पहले किये गये निर्णय के अनुसार गया के बजाय किऊल होकर गाड़ी चलाने के क्या कारण हैं ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) धनबाद-गोमो-गया खण्ड पर क्षमता उपलब्ध न होने के कारण नं० 25/26 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गाड़ियां जो जनता द्वारा निरन्तर की जा रही मांगों को पूरा करने के लिए चलाई गयी थीं, किऊल के रास्ते चलायी जा रही हैं ।

कार्मिक शाखा, दानापुर डिवीजनल आफिस (पूर्वी रेलवे) में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या

4041. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री डिवीजनल कार्यालय, दानापुर की कार्मिक शाखा के क्लर्कों के लिये काम का मापदण्ड निर्धारित करने के बारे में 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के उत्तर को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) क्या एक संसद सदस्य द्वारा दिनांक 10 मई, 1972 का एक दल रेलवे मंत्री को भेजा गया था और उनके द्वारा उसकी पावती अर्ध-सरकारी पत्र संख्या एम० आर०/1740-ए/72 दिनांक 12 मई, 1972 द्वारा स्वीकार की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पूर्व रेलवे नये सिरे से मंडल कार्यालय, दानापुर की कार्मिक शाखा के कार्य का विश्लेषण कर रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेल उपमंत्री द्वारा माननीय संसद सदस्य को उत्तर भेज दिया गया था ।

भविष्य निधि अनुभाग में लेखा लिपिकों के लिए समान मापदंड

4042. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री डिवीजनल कार्यालयों और मुख्यालयों के भविष्य निधि अनुभागों में लेखा लिपिकों के कार्यभार के बारे में 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि अनुभाग में लेखा लिपिकों के लिये कार्यभार का समान मापदंड तथा निश्चित ड्यूटी लिस्ट निर्धारित करने और मापदंड के अनुसार कर्मचारियों की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में हेड टाइपिस्ट की नवीनतम कर्तव्य सूची लागू करना

4043. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे, बम्बई के महाप्रबन्धक के सुझाव के अनुसार हेड टाइपिस्ट की कर्तव्य सूची कोटा डिवीजन में लागू नहीं की गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) प्रधान टाइपिस्टों की ड्यूटी लिस्ट कोटा मंडल में कार्यान्वित कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे के बारे में शंकर सरन पंचाट की क्रियान्विति

4044. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकर सरन पंचाट भारतीय रेलों के बिजली कर्मचारियों पर भी सामान्य रूप से लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवोजन में पंचाट के अनुसरण में कितने पद बनाये गये और यदि पंचाट की क्रियान्विति में कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं। शंकर सरन पंचाट केवल यान्त्रिक कारखानों के लिये था। बाद में, रेलों के श्रम संगठनों के हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, इस पंचाट को 1969 में, रेल मंत्रालय के विशेष आदेशों के अधीन, समान कार्यभार की तुलना के आधार पर रेलों के गैर यान्त्रिक कारखानों और चालू लाइन स्थापनाओं अर्थात बिजली सिविल इंजीनियरी, सिगनल और दूर संचार विभागों आदि पर भी लागू कर दिया गया।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विशेष आदेशों के अनुसरण में पश्चिम रेलवे के प्रत्येक मण्डल के बिजली विभाग में जितने पदों का सृजन किया गया, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

	ग्रेड ऊंचा किये गये पदों की संख्या	
मण्डल	175-240 रु० वेतनमान के अति कुशल ग्रेड I में	130-212 रु० वेतनमान के अति कुशल ग्रेड II में
बम्बई	18	25
बड़ौदा	16	33
रतलाम	7	21
कोटा	24	7

	ग्रेड ऊंचा किये गये पदों की संख्या	
मण्डल	175-240 रु० वेतनमान के अति कुशल ग्रेड I में	130-212 रु० वेतनमान के अति कुशल ग्रेड II में
अजमेर	11	19
जयपुर	7	14
राजकोट	9	26
भावनगर	7	15

इस काम में कोई देरी नहीं हुई और ग्रेड ऊंचे करने का काम पूरा हो चुका है। ट्रेड परीक्षा लेकर ये पद भरे जा रहे हैं।

रियायती दरों पर तेल देने के लिये ईराक से पेशकश

4045. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने भारत को रियायती दरों पर तेल देने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). ईराक नेशनल आयल कम्पनी और इंडियन आयल कार्पोरेशन के बीच नार्थ रूमेला क्रूड आयल के विक्रय/क्रय के लिये एक व्यापारिक करार हुआ है। इस करार की शर्तों को बताना जनहित में नहीं है।

संश्लिष्ट रेशों का निर्माण करने वाले एकक

4046. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संश्लिष्ट रेशों के निर्माण के लिये प्रत्येक वर्ष कितने एककों को लाइसेन्स दिये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक एकक में कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेन्स की संख्या तथा तारीख	निर्माण की जाने वाली मद तथा वार्षिक क्षमता मीटरी टनों में	निवेश की राशि (भूमि इमारत तथा मशीनें) आवेदक द्वारा अनुमानित
		1969 में कुछ नहीं		करोड़ रुपयों में
1970				
1.	मैसर्स मोदीपोन लि० मोदीनगर	एल/23/5/11/70 केमीकल-I दिनांक 28.3.70	नाइलोन फिलामेंट यार्न 400	2.22
2.	मैसर्स इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि० बम्बई	एल/23/5/12/70 केमीकल-I दिनांक 22.4.70	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर 6100	7.76
3.	मैसर्स गार्वरे नायलोन्ज लि० बम्बई	एल/23/5/14/70 केमिकल-I दिनांक 24-10-70	नाइलोन फिलामेंट यार्न 1244	5.54
4.	मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लि० कानपुर	एल/23/5/15/70 केमिकल-I दिनांक 7.10.70	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर 6100	7.15
5.	मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं० लि० अहमदाबाद	एल/23/5/16/70 केमिकल-I दिनांक 24.10.70	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर 6100	7.48
1971				
6.	मैसर्स गुप्तालीन लि० लुधियाना	एल/23/5/17/71 केमिकल-I दिनांक 15.3.71	नायलोन यार्न 1000	4.09
7.	मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लि० बम्बई	एल/23/5/18/71 केमिकल-I दिनांक 3.2.71	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर 1600	1.73

सम्बलपुर में सिंचाई योजनाओं के लिये राशि

4047. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी गई है जिनके लिये केन्द्रीय दल के दौरे के पश्चात् सम्बलपुर के जिला स्तर पर विशेष अध्ययन किये गये थे ; और

(ख) क्या उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र पर्याप्त राशि देगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय विद्युत् अधिनियम में परिवर्तन

4048. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विद्युत् अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में विद्युत् ऊर्जा की सप्लाई और प्रयोग के संबंध में नियम दिए हुए हैं । अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वियन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, आवश्यकतानुसार समय समय पर संशोधन किए जाते हैं और ऐसा अन्तिम संशोधन 1969 में किया गया था । संशोधन के लिए कुछ प्रस्तावों को राज्य सरकारों के साथ सलाह करके जांच हो रही है । प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इच्छित संशोधनों का पता चल सकता है ।

बिहार में हटिया स्टेशन पर चोरी

4049. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1972 के रामगढ़ कैंट, हजारीबाग, बिहार से प्रकाशित "हजारीबाग समाचार" में रांची में हटिया स्टेशन पर हुई चोरी के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Misbehaviour of Bad Characters with Passengers in Ambala Passenger Train

4050. **Shri Narendra Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item appearing in 'Daily Hindustan' dated the 18th November, 1972 that some bad characters grossly misbehaved with lady passengers in Ambala-Passenger train between Modi Nagar and Murad Nagar Stations; and

(b) if so, the facts of the incident and the steps proposed to be taken by Government to check such incidents in future?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) Yes.

(b) **Facts of the Incident**: When train No. 4 DSU (Ambala-Delhi passenger) running from Ambala to Delhi arrived at Murad Nagar on 11.11.72 some girl students alongwith two lady teachers who were returning to Ghaziabad, boarded a 3rd Class Compartment. Some boys also entered the same compartment at Murad Nagar and started passing indecent remarks on the young girls. Shri Sekhon, who was travelling on the upper berth, tried to stop the boys from their undesirable activities which developed into a fight between Shri Sekhon and the boys and Shri Sekhon's wrist watch was snatched. There was no physical molestation of the girls at all. The boys were not carrying hockey sticks, knives etc. nor had they slapped any teacher as alleged. The boys made good their escape before the arrival of the Police. The incident was reported to the Government Railway Police, Meerut City, who have registered a case under Section 392 IPC and Section 108 of Indian Railways Act. Three persons have been arrested so far.

The following measures are taken for preventing dacoities, robberies and other heinous crime in trains and Railway premises:

(a) To the extent possible Government Railway Police escorts are provided on all important night passenger trains to ensure safety of passengers in the affected areas;

(b) Railway Protection Force staff have been directed to extend active co-operation to Government Railway Police and Civil Police in tracking down criminals responsible for incidents on Railways;

(c) Close liaison is maintained with Government Railway Police and Civil Police to keep strict surveillance over the bad characters operating in the sections;

(d) Raids in the affected sections are also arranged by Government Railway Police; and

(e) Frequent meetings at all levels are held by the Railway Protection Force with the Government Railway Police officials with a view to ensuring better co-ordination and effective prevention and detection of crime.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मैसर्स मोटे एडीसन के साथ करार

4051. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद-सदस्यों की ओर से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि

भारतीय उर्वरक निगम ने मैसर्स मोटे-एडीसन के साथ संदेहपूर्ण ठेका किया है जिसका विश्व में स्थित कोई कारखाना आधी से अधिक क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के सहयोग के अन्तर्गत परियोजनाएं समय पर पूरी हो गई है तथा सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच करने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निकाले गये तथा सेवा में पुनः बहाल किये गये रेलवे कर्मचारी

4052. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर डिवीजनवार कितने रेल कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया ;

(ख) प्रत्येक मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रतिकूल रिपोर्टों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान कुछ कर्मचारियों को बहाल किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो डिवीजन-वार उनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेल सेवा में सभी नियुक्तियां पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषप्रद सत्यापन की शर्त पर की जाती हैं। सामान्यतः इस तरह का सत्यापन नियुक्ति से पहले ही किया जाता है। लेकिन कभी कभी सत्यापन रिपोर्ट मिलने से पहले भी अनन्तिम रूप से नियुक्ति कर दी जाती है। यदि ऐसे मामलों में बाद में पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है और कर्मचारी को सेवा में बनाये रखना वांछनीय नहीं समझा जाता तो सेवा समाप्त कर दी जाती है।

इस तरह अनन्तिम नियुक्तियों के कितने मामलों में सेवा-समाप्त की गयी, इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रत्येक मामले में पुलिस ने किस प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्ट दी यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पिछले तीन वर्षों में गम्भीर दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुई रेलवे की संपत्ति और मृत व्यक्तियों की संख्या

4053. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, गंभीर दुर्घटनाओं के कारण कितने मूल्य की रेलवे संपत्ति नष्ट हुई, और कितने मारे गये तथा कितने घायल हुए ; और

(ख) प्रत्येक मामले में गंभीर दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). संभवत: आशय उन गाड़ी दुर्घटनाओं से है जो भारतीय रेलों पर 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान हुई और जिनकी जांच रेलवे संरक्षा आयोग द्वारा की गयी थी। ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :–

	1969-70	1970-71	1971-72
दुर्घटनाओं की संख्या	16	20	17
रेल संपत्ति को हुई क्षति का मूल्य	रु० 40,61,542	रु० 30,81,576	रु० 18, 51,331
मारे गये व्यक्तियों की संख्या	192	34	62
घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	451	339	196
कारण			
(1) रेल कर्मचारियों की गल्ती	10	8	7
(2) इंजनों का चल स्टाक की खराबी	1	1	1
(3) रेल-पथ की खराबी	—	2	–
(4) बिजली-उपस्कर की खराबी	1	—	1
(5) गाड़ी विध्वंसन	3	2	1
(6) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गल्ती	1	3	2
(7) अन्य विविध कारण	—	4	5

विदेशी इक्विटी वाली औषध-निर्माता फर्मों के विरुद्ध भारी मात्रा में औषधियों के आयात में कदाचार के आरोप

4054. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध-निर्माता फर्मों, विशेषकर विदेशी इक्विटी वाली फर्मों पर भारी मात्रा में औषधियों तथा अन्य कच्चे माल के आयात में कदाचारों के आरोप लगाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). विदेशी इक्विटी वाली औषधियों का निर्माण करने वाली फर्मों द्वारा अन्य स्थानों में उपलब्ध प्रतियोगी मूल्यों

से अधिक मूल्यों पर प्रपुंज औषधियों / कच्चे माल के आयात करने के बारे में कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं। ऐसे सभी मामलों में मूल्यों को प्रतियोगी स्तर पर लाने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है। अधिकतम मूल्यों, जिन पर कुछ औषधियां आयात की जा सकती हैं, का उल्लेख आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तिका में किया जा चुका है। कई औषधियों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और इस योजना के अन्तर्गत मदों का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यदि आवश्यक हो तो परिवर्धन किये जा सकें।

विदेशी नियंत्रण वाली दो फर्मों को कीटनाशी पदार्थों के आयात के लिये दिये गए लाइसेंस

4055. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नियंत्रणवाली दो फर्मों यथा यूनियन कारबाईड इंडिया लिमिटेड, बम्बई को हाल ही में क्रमश: 614 मीट्रिक टन तथा 280 मीट्रिक टन कीटनाशी पदार्थों का आयात करने हेतु लाइसेंस दिये गए थे ;

(ख) क्या सरकार ने इस विशेष मद का आयात राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से करने की सम्भावना का पता लगाया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। मैसर्स यूनियन कारबाईड इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स होइस्ट फार्मास्यूटिकल्स को क्रमश: 614 मीटरी टन कारब्राइल और 280 मीटरी टन एण्डोसल्फान (टेक्नीकल) का आयात करने की इजाजत दे दी गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि इन दो कीटनाशी दवाइयों का इस समय राज्य व्यापार निगम की मार्फत आयात नहीं किया जाता है, गत खरीफ की फसल के कपास के क्रेश प्रोग्राम की विशिष्ट आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिये इनके आयात करने का प्रबन्ध करना पड़ा था।

कीटनाशी औषधियां बनाने के लिये विदेशी फर्मों को दिये गये आशय पत्र तथा सरकारी क्षेत्र के ऐसे संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव

4056. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी औषधियां बनाने के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, नई दिल्ली तथा मैसर्स होइचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई नाम की दो विदेशी कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये गए हैं ; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) क्या कीटनाशी औषधियों के उत्पादन के लिए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने का है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3997/72**]

(ख) डी० डी० टी० एवं बी० एच० सी० नामक दो कीटनाशी दवाइयां इस समय हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्ज लि० जो इस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षत्रीय उपक्रम है, द्वारा उत्पादित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस उपक्रम ने निम्नलिखित कीटनाशी दवाइयों को शामिल करने के लिये उत्पाद मिश्र के व्यपवर्तन की योजना बनाई है :–

1. एंडोसल्फान 2. मालाथियोन 3. बी० एन० सी० ग्रेनुलेशन 4. मालाथिअन, फेनिट्रोथिअन आदि 5. फोटिफाइड बी० एच० सी० 6. केल्थेन 7. मेंथोक्सीक्लोर 8. काबोफुरान।

वर्तमान संकेतों के अनुसार इस प्रोग्राम पर 2760 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

Electrification of Railway Lines between Bombay and Baroda

4057. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work of electrification of Railway lines between Bombay and Baroda is in progress ;

(b) whether the work done in connection with electrification of the line is likely to be done again because the level of track has been raised ; and

(c) if so, the length of the track (in kilometres) on which the work of re-erecting electric poles would be undertaken after uprooting the existing electric poles and the expenditure already incurred thereon as also the expenditure to be incurred again ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Yes, but only partly.

(c) The length of track involved is approximately 20 route kilometres. The expenditure already incurred on electrification work in such sections is about Rs. 12 lakhs. Further expenditure of about Rs. 8.5 lakhs is yet to be incurred out of which only Rs. 3 lakhs approximately, would be on account of re-erection of overhead equipment.

Construction of Soda Ash Factories in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat

4058. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the setting up of Soda and Soda Ash factories, one each in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat States, are under construction ; and

(b) if so, the locations thereof and the time by which these factories would go into production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b). Letters of Intent for expansion of existing units and for setting up of new units have been issued to the following parties for manufacture of Soda Ash in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat.

1. Tata Chemicals Limited.	Expansion	Mithapur Gujarat
2. Dhrangadhra Chemicals Works.	Expansion	Dhrangadhra Gujarat.
3. Baroda Rayon Corpn.	New Unit	Gujarat.
4. Laxman S. Agarwal	New Unit	U.P./M.P.
5. Rajasthan State Industrial Development Corporation.	New Unit	Rajasthan.
6. A. C. Gulati.	New Unit	Punjab/U.P./Haryana/ Rajasthan.

The firms mentioned against S. Nos. 1 & 2 are existing manufacturers of Soda Ash and are undertaking expansion of their units located in the State of Gujarat. They are likely to complete their expansion by 1975. Letters of intent to the rest were issued on the condition that specific location of the units should be intimated to Government. The holder of the letter of intent at Sl. No. 6—A. C. Gulati—has informed the final location of the unit to be at Kotah in Rajasthan State. Replies from the rest are awaited. The letters of intent are valid for a period of one year which has not yet expired. The progress made in implementing the conditions stipulated in the letters of intent is being reviewed.

Major Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

4059. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of major irrigation schemes in Madhya Pradesh in progress and under consideration for which the Central Government have given or propose to give more than 25 per-cent amount in the form of grant or loan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : Major irrigation projects under execution in Madhya Pradesh are Chambal Stage I, Chambal Stage II, Tawa, Barna Hasdeo barrage, Hasdeo Right Bank Canal and Mahanadi Reservoir Stage I. New major irrigation schemes proposed by Government of Madhya Pradesh are Narmadasagar, Bargi, Sukta, Upper Wainganga, Bansagar and Hasdeo dam.

Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated and constructed by the State Governments as a part of their developmental plans. Central assistance to State plans is provided in the form of block loans and grants for the State Plan as a whole and is not related to any individual head of developments or project.

Increase in the Incidents of Loot and Theft in Bareilly Division

4060. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of cases of loot and theft in North Eastern Railway was the largest in Bareilly Division during the period from January, 1972 to date; and

(b) if so, the reasons therefor and the effective steps taken to check them?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes. There was some increase in the incidence of robbery and dacoity in trains and railway premises.

(b) General deterioration of law and order is attributed to be the cause of increase. The following preventive measures have been taken to ensure safety of passengers and their property :

(i) To the extent possible important passenger trains are escorted by unarmed/armed personnel of the Government Railway Police.

(ii) Surprise checks/supervision of escort duties has been further intensified.

(iii) Deterrent punishments are inflicted on trains escorts who are found negligent in their duties.

(iv) Concerned at the growing incidence of such crimes in trains railway premises, the Minister of Railways has addressed the Chief Minister of U. P. requesting him to provide armed guards on important passenger trains particularly in badly affected areas, so that greater security could be provided to the travelling public.

Extension of Tundla-Etah Line

4061. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken a survey for the extension of Tundla-Etah Branch line ; and

(b) is so, the outcome thereof ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Based on the recommendations made by the Uneconomic Branch Lines Committee of 1969, a traffic survey for extension of Tundla-Barhan-Etah Branch line to Kasganj was carried out during 1970-71. According to the Survey Report the project is not financially justified, yielding a return of 1% only at the estimated cost of Rs. 1.9 crores. In view of this and also the difficult ways and means position, the extension of this Branch line is not being considered.

Appointment of Attendant in Upper Class Waiting Rooms on Bareilly Division

4062. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an Attendant is appointed by Government in each upper class waiting room of ladies and gentlemen ; and

(b) if so, the names of stations in Bareilly Division on North-Eastern Railway where Attendants have not been appointed in the upper class waiting rooms and the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Waiting room bearers are not provided at the following stations of Izatnagar Division (not Bareilly Division) where traffic is not regular.

Hathras City

Sikandra Rao

Sahawar Town

Ganj Dundwara

Karim Ganj

Haldwani

Ujhani

Kachhla Bridge

Manpur Nagaria

Soron

Puranpur

Khatema

Bazpur

Ramnagar

Bisalpur

Vrindavan

Kannauj

Bhojupura

At less important stations where upper class passenger traffic is not regular, the waiting rooms are kept locked and are opened at the request of the passengers.

पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन

4063. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन न किये जाने के क्या कारण हैं तथा भारत में उनका उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : इस समय पोटाश के कोई ज्ञात स्रोत नहीं हैं जिन्हें पोटाशियम क्लोराइड के उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया जा सके। तथापि देश में कई यूनिटों द्वारा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जा रहा है।

उर्वरक के उत्पादन में कमी

4064. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर नंगल और गोरखपुर कारखानों में उर्वरक का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। देश में उर्वरकों के कुल उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से नंगल तथा गोरखपुर के संयंत्रों में गत वर्ष की तुलना में 1971-72 में अधिक उत्पादन हुआ है।

मक्खन लाने-ले जाने के लिये प्रशीतक माल डिब्बे

4065 : **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मक्खन उत्पादन केंद्रों से, जिनकी संख्या बहुत कम है तथा जो फालतू कुछ क्षेत्रों में स्थित हैं, दूर-दूर के उपभोक्ता केंद्रों में मक्खन ले जाने के लिये सरकार प्रशीतक माल डिब्बों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी सुविधा दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा उसने मक्खन लाने-लेजाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये प्रशीतक माल डिब्बे देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों के लिये "अपना माल डिब्बा खरीदो" योजना

4066. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के लिये "अपना माल डिब्बा खरीदो" योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) तरल अमोनिया जैसे विशेष उत्पादनों के परिवहन के लिए विशेष किस्म के टंकी माल-डिब्बों के निजी स्वामित्व की योजना विचाराधीन है ।

(ख) इस योजना में फर्मों अथवा पार्टियों को रेलवे द्वारा अनुमोदित अभिकल्प के अनुसार निचले ढांचे सहित माल डिब्बों का पूर्ण स्वामित्व देने और भाड़े में उपयुक्त छूट देने की व्यवस्था की गयी है ।

रेलवे संचार के बारे में नई दिल्ली में भारत और बंगला देश के बीच वार्ता

4067. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच रेलवे संचार के बारे में परस्पर सहयोग करने के लिये नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गिनी के प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

4068. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिनी प्रतिनिधि मण्डल की हाल की भारत यात्रा के दौरान सरकार ने गिनी में रेल विकास के लिये सहायता देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) उस देश की रेल प्रणाली के विकास के लिए भारतीय रेलों से सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान देने का प्रस्ताव किया गया था। गायना में चल स्टाक के अनुरक्षण सम्बन्धी फालतू पुर्जों की जरूरतों की जांच और गायना सरकार विदेशों से चल स्टाक मंगाने के लिए जो आर्डर देना चाहती थी, उसकी विशिष्टियों का मूल्यांकन भारतीय रेलों के एक छोटे से तकनीकी दल द्वारा किया जाना था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंकरीट के स्लीपरों का उपयोग

4069. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पटरी के आधुनिकीकरण के बारे में हुई एक गोष्ठी में रेलवे के प्रमुख इंजीनियरों ने भारतीय रेलवे में बड़े पैमाने पर कंकरीट के स्लीपरों का शीघ्र प्रयोग किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कंकरीट स्लीपरों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिये जाने पर, हाल ही में रेल पथ आधुनिकीकरण के विषय में रेलपथ इंजीनियरों के संस्थान द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) भारतीय रेलों के लिए कंकरीट स्लीपरों के निर्माण और सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार पहले ही प्रयास कर रही है।

सासनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को साधारण निर्वाचन क्षेत्र बनाना

4070. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सासनी निर्वाचन क्षेत्र एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसको साधारण निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन यह स्थान परिसीमन आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान के रूप में घोषित किया गया था ।

(ग) 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रश्न पर विचार करना संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) के अनुसरण में संसद् द्वारा बनाई गई विधि के अधीन गठित परिसीमन आयोग का काम है, न कि सरकार का ।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ का स्थापित किया जाना

4071. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिये मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है और निर्णय यथासम्भव शीघ्र किया जाएगा ।

भारतीय उर्वरक निगम के संतुलन पत्र में आस्थगित व्यय के द्वारा लाभ दिखाना

4072. **श्री जगदीश नारायण मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारतीय उर्वरक निगम के सन्तुलन पत्र में लाभ दिखाने के लिये करोड़ों रुपयों के चालू विपणन व्यय को आगामी पांच वर्षों में समायोजित करने के लिये स्थगित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रक्रिया से सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). भारतीय उर्वरक निगम की 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा, निगम की वार्षिक जनरल बाडी मीटिंग में अंशधारियों के सम्मुख विचारार्थ और अनुमोदनार्थ नहीं रखे गये हैं।

गुजरात में गैस का उचित उपयोग

4073. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में गैस को बेकार ही जलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका उपयोग उपभोग के लिए करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवागांव और कैम्पे जैसे स्थापित तेल क्षेत्रों से गैस की उपलब्धि को विचार में रखते हुए, विभिन्न उद्योगों/उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई की बचनबद्धताओं को पूरा किया गया है और गत कई वर्षों से सप्लाई की जा रही है। किन्तु उन तेल क्षेत्रों से, जहां पर इस समय उत्पादन प्रारम्भिक चरण में है, गैस की सप्लाई की कोई वचनबद्धता नहीं की गई है क्योंकि इन क्षेत्रों से गैस की सम्भावनाओं के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इन क्षेत्रों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हो जाते हैं और सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक ऐसी संरचनाओं से उत्पादन की गई गैस को (भभके के रूप में) उड़ाया जायेगा। इस समय गुजरात में ऐसी कुछ संरचनाएं प्रारम्भिक उत्पादन की अवस्था में हैं।

अशोधित तेल के साथ उत्पादित सम्मिलित गैस ग्रुप गैदरिंग केन्द्रों पर विभिन्न दावों द्वारा तेल से अलग-थलग की जाती है। इस समय अंकलेश्वर और नवागांव पर स्थापित तेल क्षेत्रों से प्राप्त उच्च दाब वाली गैस उपभोक्ताओं को (सप्लाई के लिए) पाइपलाइन द्वारा भेजी जाती है और कम दाब वाली उड़ा दी जाती है।

उद्योगों को गैस की सप्लाई के लिए अंकलेश्वर और नवागांव जैसे तेल क्षेत्रों में कम दाब वाली गैस के संपीडन हेतु संपीडकों को लगाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

जापानी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनायें

4074. **श्री एम० सुदर्शनम : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में नयी उर्वरक परियोजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). इस विषय पर कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों को सीधी बिक्री के माध्यम से सप्लाई की गई मोटर स्प्रिट की मात्रा

4075. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन 1966 से "सीधी बिक्री" के आधार पर विदेशी तेल (विपणन) कम्पनियों को मोटर स्प्रिट सप्लाई कर रहा है जो उक्त स्प्रिट को उपभोक्ताओं को बेच कर विपुल लाभ अर्जित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कितनी मात्रा में स्प्रिट सप्लाई की गई तथा प्रत्येक कम्पनी द्वारा इसमें कितना लाभ अर्जित किया गया ; और

(ग) सरकार ने उन कम्पनियों द्वारा ऐसे लाभ को अपने मूल देशों को भेजने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). विनिमय प्रबन्ध के अन्तर्गत भारतीय तेल निगम मोटर स्प्रिट को शामिल करते हुये सभी उत्पादों की विदेशी तेल विपणन कम्पनियों को 1966 से भी पहले से ही सप्लाई करता रहा है । इससे क्रमबद्ध संचलन सुनिश्चित होता है और परिवहन पर बोझ नहीं पड़ता । यद्यपि भारतीय तेल निगम ने अन्य उत्पादों को वापिस ले लिया है लेकिन मोटर स्प्रिट की निम्नलिखित मात्राओं को वापिस नहीं लिया जा सका है :—

	(15° सी पर किलोलिटरों में आंकड़े)		
	1969-70	**1970-71**	**1971-72**
बर्मा-शैल	516,747	483,045	477,153
एस्सो	381,459	334,128	312,144
कालटैक्स	189,670	199,792	191,365

भारतीय तेल निगम के मोटर स्प्रिट की पूरी मात्राएं वापिस लेने में असमर्थ रहने के मुख्य कारण हैं :—

(I) भारतीय तेल निगम का बाजार में देर से प्रवेश करना तथा इसके परिणामस्वरूप इसका बड़े पैमाने पर फुटकर बिक्री केन्द्र (पम्प) स्थापित न कर पाना, विशेषकर उन शहरों में जहां पर अधिकांश अच्छे स्थान पहले के प्रवेशकों द्वारा लिये जा चुके थे और जहां

पर मोटर स्प्रिट की मांग अधिक है। इस परिस्थिति को देखते हुये सरकार ने 1966 में फुटकर विक्रय केन्द्र समिति नियुक्त की थी। इसकी सिफारिशों के अनुसार तमाम नये फुटकर विक्रय केन्द्रों के 95 प्रतिशत अब केवल भारतीय तेल निगम द्वारा स्थापित किये जाते हैं। इससे भारतीय तेल निगम को मार्किट साझेदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

(II) हाल ही तक, नेफ्था के लिये पर्याप्त देशीय मांग उत्पन्न न होने के कारण, असम में दिग्बोई में स्थित सबसे छोटी शोधनशाला को छोड़कर, देशीय शोधनशालाओं, जो सरकारी क्षेत्र में हैं, का मोटर स्प्रिट का उत्पादन सीधे कलकत्ता तथा बम्बई में भेजा जाता था। इससे विदेशी तेल कम्पनियों की शोधनशालाओं के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मोटर स्प्रिट का उत्पादन करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। इसलिये यह तेल कम्पनियां, अधिकांशतः नेफ्था उत्पादित करती थीं, जिसका शोधनशाला के बाहर मूल्य मोटर स्प्रिट के मूल्य से लगभग 50 रुपये प्रति किलोलिटर कम है, और इसे निर्यात और/अथवा इसे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एंव पैट्रो-रसायन संयंत्रों को सप्लाई करती थी। नेफ्था की खपत में वृद्धि हो जाने से, इस परिस्थिति में उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहा है और इसलिये भारतीय तेल निगम मोटर स्प्रिट की अधिक मात्राएं वापिस ले सकने में समर्थ हो गया है और विदेशी तेल कम्पनियों को शोधनशालाओं को मोटर स्प्रिट की अधिक मात्राओं का उत्पादन करने की इजाजत दी जा रही है। देश में अधिकांश फुटकर विक्रय केन्द्रों की स्थापना करने से भारतीय तेल निगम भविष्य में इस बारे में काफी सुधार कर लेने की आशा करता है।

इस बारे में तीनों विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कमाये गये मुनाफे का ठीक ठीक अनुमान बताना संभव नहीं है।

उर्वरक और रसायनों का उत्पादन कर रही विदेशी कम्पनियां

4076. **श्री बरके जार्ज :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उर्वरक और रसायनों का उत्पादन कर रही हैं तथा इन कम्पनियों द्वारा स्थापित सन्यन्त्रों की अधिष्ठापित और प्रयुक्त क्षमता कितनी थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

नई दिल्ली में मोतीबाग की रेलवे कालोनी में पहली मंजिल के क्वार्टरों में बालकनी

4077. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मोतीबाग की रेलवे कालोनी में तीन मंजिले क्वार्टरों की पहली मंजिल में बालकनी बनाए जाने से संबंधित कार्य गर्मी का मौसम आने से पहले पूरा हो जाएगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी यह काम सरकार के इस विनिश्चय को देखते हुए स्थगित रखा गया है कि मितव्ययिता के उपाय स्वरूप अभी इमारतों के परिवर्तन और परिवर्द्धन संबंधो कार्यों पर कोई व्यय न किया जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

4078. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिसकी सेवा पांच वर्ष से अधिक है परन्तु जिनको अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) उनको स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं और उनको कब तक स्थायी बना दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के मैकेनिकल विभाग के छुट्टी रिजर्व संगचल कर्मचारी पदों का भरा जाना

4079. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के मैकेनिकल विभाग के छुट्टी रिजर्व संगचल कम्पनियों के लगभग 20 प्रतिशत पदों को भरा नहीं गया है और यह काम स्थानापन्न कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जो कि गलत है और जिससे लम्बी सेवा वाले केबिन इलैक्ट्रिक खलासियों की पदोन्नति में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत संहिता के खण्डों को अद्यतन बनाये रखना

4080. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत संहिता में रखे अधिनियमों के पाठ को समय समय पर संशोधन पत्र निकाल कर अद्यतन रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारत संहिता के प्रत्येक खंड के अंतिम दो संशोधन पत्र किस-किस तारीख को प्रकाशित किए गए थे और इन संशोधन-पत्रों में किस अवधि को लिया गया था ; और

(ग) क्या मंत्रालय का विचार कुछ ऐसा तरीका निकालने का है जिससे भारत संहिता को अद्यतन बनाने में अपेक्षाकृत कम समय लगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3998/72]**

(ग) संशोधन-पत्रों के प्रकाशित करने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि सरकारी मुद्रणालयों के पास बहुत अधिक मुद्रण कार्य आ रहा है। भारत संहिता के संशोधन-पत्रों के मुद्रण-कार्य के लिए पूर्विकता प्राप्त करने तथा उनको यथासंभव शीघ्र प्रकाशित कराने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

किसानों को विद्युत् की सप्लाई

4081. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को हाल में कहा है कि वे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली सप्लाई करने के लिए, जो कि आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए अति आवश्यक है, उचित कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों का सारांश क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, हां। इस वर्ष देश में वर्तमान सूखा स्थितियों के कारण, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत् बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे पंपों/नलकूपों के ऊर्जन को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की सप्लाई पर पाबन्दी न लगाई जाए और यदि कोई बिजली की कमी है तो सिनेमाघरों, वाणिज्यिक विज्ञापनों तथा सजावट के लिए बिजली की सप्लाई में कमी कर दी जाएगी ।

क्योंझर उड़ीसा में सालन्दी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

4082. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में सालन्दी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए कोई पुनर्वास कार्य नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Compensation to Persons in Punjab whose goods were set on fire during Student's Agitation

4083. **Shri Iswar Chaudhry :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway property damaged during the students agitation in Punjab included parcels also sent by people ;

(b) if so, whether some compensation is proposed to be given to those persons whose goods were lying on the stations after having been booked and were set on fire by the rioting mob ; and

(c) if so, the value thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The exact value of claims can be determined only after claims are preferred.

नर्मदा जल विवाद में प्रधान मंत्री का पंचाट

4084. **श्री वनमाली पटनायक :**
श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच नर्मदा जल विवाद पर प्रधान मंत्री ने अपना पंचाट दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो पंचाट कब तक दे दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). संबंधित चार राज्यों के मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गए हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग के लिए क्रमशः 0.5 और 0.25 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा का पानी लेंगे तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच शेष पानी के आवंटन तथा गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित नवगांव बांध की ऊंचाई के बारे में प्रधान मंत्री के निर्णय को मानेंगे। प्रत्याशा है कि प्रधान मंत्री का निर्णय दो महीने में प्राप्त हो जाएगा।

रेल वैगनों की कमी

4085. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक रेल वैगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के उपरान्त भी देश के कुछ भागों में रेल वैगनों की कमी महसूस की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिक रेल वैगन उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) माल-डिब्बों की कुछ कमी और उसके साथ-साथ बारबार सामाजिक उपद्रवों और टर्मिनल स्टेशनों पर माल-डिब्बों के अटक जाने, आदि के कारण माल-डिब्बों के वर्तमान बेड़े की कम उत्पादकता।

(ग) जहां-जहां संभव है संचलन को सुप्रवाही बना दिया जाता है और तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1972-73 के चल-स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खाते में 15,000 माल-डिब्बों के लिए तदर्थ आर्डर भी दे दिये गये हैं।

Assistance to Rajasthan Electricity Board for Electrification of Villages in Rajasthan

4086. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of villages in Rajasthan for the electrification of which the Central Government have so far granted funds in the form of assistance or loan to the Rajasthan Electricity Board and the amount of assistance or loan still to be given during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : Additive finances are provided by the Rural Electrification Corporation for rural electrification schemes of State Electricity Boards over and above the State Plan outlays. The Corporation has so far sanctioned 23 rural electrification schemes of Rajasthan State Electricity Board envisaging loan assistance of Rs. 1226.591 lakhs for the electrification 1,399 villages, 32,056 pumpsets and power supply to 3,343 small scale and agro-industries. Till 6.12.72 the Corporation has disbursed Rs.646.895 lakhs to Rajasthan State Electricity Boards and an amount of about Rs. 200 lakhs is scheduled for disbursement during the remaining part of the year.

New Railway Lines/Trains in Backward Areas

4087. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board propose to introduce trains in those areas of the country which have remained backward economically, culturally and from the point of view of development in the absence of means of transportation ;

(b) whether any scheme has been formulated or is proposed to be formulated in this regard during the next Five Year Plan ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be formulated ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c). Railway development is not envisaged on any State-wise or Region-wise concepts, but on overall considerations of national economic development. Government are aware of the necessity for providing adequate transport in underdeveloped and backward areas but for this purpose, various alternative modes are to be considered on the basis of relative cost to the economy. Since new railway lines have to be financed out of capital borrowed from the General Revenues involving payment of dividend obligations, the construction of only such lines as are expected to be financially viable, is normally considered, as otherwise their maintenance will become a drain on the national exchequer. However, some of the lines constructed recently/under construction and under consideration, incidentally serve some backward/under developed areas. The Fifth Plan proposals for new lines have not yet been formulated and it is not possible, at present, to indicate the areas where new lines will be taken up for construction during this period.

मालदा से गजल होकर बलूरघाट तक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण

4088. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा से गजल होकर बलूरघाट तक नई बड़ी लाइन के लिये यातायात सर्वेक्षण करने के बारे में उनके मंत्रालय ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रारंभिक व्यवस्था कर दी गयी है और सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा रहा है, अगले मानसून के प्रारम्भ होने से पहले ही सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के "रिलीविंग" सहायक स्टेशन मास्टरों को यात्रा भत्ता तथा स्थानापन्न भत्ता

4089. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 1969 में आदेश जारी किये थे कि एवजी सहायक स्टेशन मास्टरों को यात्रा तथा स्थानापन्न दोनों प्रकार के भत्ते स्वीकार्य हैं ;

(ख) क्या उन सहायक स्टेशन मास्टरों को भी एवजी स्थानापन्न भत्ता स्वीकार्य है जिनके मामले में रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी करते समय निर्णय के लिये निलंबित थे ; और

(ग) यदि हां, तो जिनके मामले उस समय निलम्बित पड़े थे उन सहायक स्टेशन मास्टरों को भत्तों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। अप्रैल, 1969 में इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि रिलीविंग/छुट्टी एवजी कर्मचारियों को जब उनके मुख्यालय के अलावा अन्यत्र उच्चतर ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारी के एवज में प्रतिनियुक्त किया जाये, तो उन्हें अपने स्थान से बाहर ठहरने की अवधि में स्थानापन्न वेतन/भत्ते के अलावा दैनिक भत्ता भी दिया जाये बशर्ते दैनिक भत्ता देने की अन्य शर्तें पूरी हो जाती हों।

(ख) रेलवे बोर्ड की उपर्युक्त आदेश के जारी होने के समय स्थानापन्न भत्ते का कोई दावा बकाया नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर

4090. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को आदेश दिये हैं कि उत्तर रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों के स्टेट ड्यूटी रोस्टरों को कार्यरूप दिया जाये ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के अतिरिक्त 6 डिवीजनों में स्टेट ड्यूटी रोस्टर लागू कर दिये गये हैं ; और

(ग) दिल्ली डिवीजन में स्ट्रेट ड्यूटी रोस्टर लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। लेकिन इसके पूर्व पूर्ण क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 1971 से दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी थी क्योंकि स्ट्रेट ड्यूटी रोस्टर निर्धारित किये जाने से पहले बहुत से सहायक स्टेशन मास्टरों को माल ड्यूटी में प्रशीक्षित करना पड़ा।

(ख) जी नहीं, स्थिति यह है कि कुछ स्टेशनों में स्ट्रेट ड्यूटी रोस्टर लागू करना संभव हो सका है लेकिन सब में नहीं।

(ग) उत्तर रेलवे के सभी मण्डलों में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए स्ट्रेट ड्यूटी रोस्टर लागू नहीं किये गये हैं क्योंकि अभी माल के काम में प्रशीक्षित ऐसे कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों / सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवाओं को स्थायी बनाना

4091. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन के स्टेशन मास्टरों / सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन में 25 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लेने वाले स्टेशन मास्टरों/ सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवाओं को स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उन सहायक स्टेशन मास्टरों/ स्टेशन मास्टरों के स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किये गये हैं जिन्होंने प्रतिपूर्ति धन जमा नहीं किया और जो दण्ड भुगत रहे हैं या जिनके विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत / सतर्कता सम्बन्धी मामले चल रहे हैं।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों की संख्या

4092. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में 130-240 रुपये के वेतनमान वाले सहायक स्टेशन मास्टरों तथा 205-280 रुपये के वेतन-मान वाले स्टेशन मास्टरों / सहायक स्टेशन मास्टरों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक वेतनमान में कितने कितने रिक्त स्थान पर नियुक्तियां की जानी हैं और रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क)

कोटि	**वास्तविक संख्या**	**स्वीकृत संख्या**
सहायक स्टेशन मास्टर (130240 रुपये)	476	518
स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर (205-280 रुपये)	308	313

(ख) •130-240 रुपये और 205-280 रुपये के ग्रेड में पदों की संख्या क्रमश: 42 और 5 है रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, चन्दौसी में 107 उम्मीदवारों का एक दल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है जो कि मार्च, 1973 के अन्त तक सहायक स्टेशन मास्टरों के पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध होंगे। 205-280 रुपये के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्यवाई की गई है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में विश्राम देने वाले सहायक स्टेशन मास्टर

4093. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन को छोड़कर 6 डिवीजनों में 250 से 280 रुपये के ग्रेड में विश्राम देने वाले सहायक स्टेशन मास्टर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली डिवीजन में उक्त ग्रेड में विश्राम देने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) सहायक स्टेशन मास्टरों के ऊंचे ग्रेड के पद निर्धारित प्रतिशत के आधार पर, आवंटित किए जाते हैं। दिल्ली मण्डल में अभी तक, 205-280 रुपये के वेतनमान में कार्य रत पदों और विश्राम दाताओं के पदों को अलग-अलग नहीं किया गया है। 250-380 रुपये के वेतन मान में भी 24 पद अधिक हैं, जिसके कारण इस वृद्धि के समाप्त हो जाने तक 205-280 रुपये के निचले ग्रेड में कुछ पद अप्रवर्तित रखे गये हैं।

205-280 रुपये के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टर के विश्रामदाताओं के पदों को कार्यरत पदों के कर्मचारियों की संख्या से अलग करने और विश्रामदाता सह-सहायक स्टेशन मास्टरों को उपयुक्त वेतनमान देने के लिए कार्रवाई अब शुरू कर दी गयी है।

Setting up of Thermal Power Plant in Jhansi District

4094. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to State :

(a) whether Government propose to set up a thermal power plant on Matatila dam or Betwa river in Jhansi District (Uttar Pradesh) ; and

(b) if so, the main features thereof and time by which it is expected to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The Uttar Pradesh Government propose to set up a thermal power plant of

about 400 MW capacity in Bundelkhand region near Parichha Dam in Jhansi District. The project report is under preparation by the Uttar Pradesh Government.

अम्बगुडा तथा केसिंगा के बीच रेल लाइन

4095. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बगुडा और केसिंगा के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये सर्वेक्षण के लिये आदेश दे दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कोरापुट तथा बस्तर के बीच रेल लाइन

4096. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कोरापुट और बस्तर क्षेत्र में भावी सम्भावित यातायात के लिये वैकल्पिक रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण करने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे को आदेश दे दिये गये हैं, क्योंकि डी० बी० के० रेल केवल लौह अयस्क के परिवहन के लिये ही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). कोरापुट और बस्तर तथा अम्बागुडा और केसिंगा के बीच रेल सम्पर्क के लिये न तो सर्वेक्षण किये गये हैं और न ही उनके लिये आदेश दिये गये हैं । लेकिन अम्बागुडा से लंजीगढ़ रोड तक रेलवे लाइन के लिये 1965-66 में किये गये व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययनों से मालूम हुआ कि वित्तीय दृष्टि से यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं होगा ।

बस्तर के रास्ते दिल्ली-राजहरा से दांतेवाड़ा/जगदलपुर तक एक बड़ी लाइन के लिये यातायात सर्वेक्षण हाल में पूरा हुआ है और रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने और उसके परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद इस लाइन (दिल्ली-राजहरा-दांतेवाड़ा/जगदलपुर) के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

खेती करने के लिए रेलवे के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को परती भूमि का आवंटन

4097. **श्री जे० जी० कदम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद में रेल मंत्री की घोषणा के अनुरूप खाद्यान्न उगाने के लिये वर्ष 1972-73 में रेल कर्मचारियों की रेलवे को कितने हेक्टेयर परती भूमि दी गयी; और

(ख) उक्त योजना का, राज्यवार, चतुर्थ श्रेणी के कितने रेल कर्मचारियों ने लाभ उठाया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 13,012.788 हेक्टेअर

(ख) श्रेणी-4 के 20,920 कर्मचारी। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

आन्ध्र	325	असम	38
बिहार	2,794	दिल्ली	7
गुजरात	1,198	हरयाणा	144
हिमाचल प्रदेश	127	केरल	831
मध्य प्रदेश	1,789	महाराष्ट्र	1,688
मैसूर	429	नागालैंड	1
उड़ीसा	408	पंजाब	589
राजस्थान	1,156	तमिलनाडु	1,031
त्रिपुरा	12	उत्तर प्रदेश	6,046
पश्चिम बंगाल	2,307		
जोड़ :	20,920		

बरास्ता घाघरा नदी बिचिया स्टेशन से कौड़ियालाघाट तक रेलवे लाइन

4098. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर जिलों को मिलाने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे पर बरास्ता घाघरा नदी बिचिया स्टेशन से कौड़ियालाघाट तक रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार का इस कार्य को कब तक पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) बाराबंकी समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना के अनुषंगी-कार्य के रूप में इस रेल सम्पर्क के निर्माण की मंजूरी 25-4-1972 को दे दी गयी है। काम शुरू करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है।

(ख) मार्च, 1975 तक।

नेपाल में एक विद्युत परियोजना का स्थापित किया जाना

4099. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बिजली की सप्लाई करने के लिए भारत नेपाल के तत्वाधान में बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) के निकट नेपाल के क्षेत्र में निकट भविष्य में एक विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उक्त क्षेत्र को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करने के लिये कोई और वैकल्पिक योजना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। नेपाल में करनाली में एक वृहद जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये नेपाल सरकार का एक प्रस्ताव है जिसमें से उत्तर प्रदेश को बिजली दी जा सकती है।

(ख) 590 मैगावाट की वास्तविक विद्युत क्षमता और 5200 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

4100. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने उस राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) मैसूर सरकार किन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता चाहती है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). मैसूर सरकार ने अपनी वृहद सिंचाई परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं में नामशः ऊपरी कृष्णा परियोजना, मालप्रभा परियोजना, घटाप्रभा परियोजना चरण-दो और हेमावती परियोजना के लिये विशेष सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, ऊपरी कृष्णा चरण-एक, मालप्रभा और घटाप्रभा चरण-दो परियोजना के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये अक्तूबर, 1972 के आरम्भ में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल भेजा गया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

मैसूर स्थित शरावती पन-बिजली योजना को हुई हानि

4101. **श्री के० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य को शरावती पन-बिजली योजना को जल निकासी व्यवस्था को क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या उसकी मरम्मत करायी जा रही है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कोई तकनीकी सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) 28 जून, 1972 को मरम्मत आरम्भ की गयी थी और 3 दिसम्बर, 1972 को पूर्ण हो गयी थी। भारत सरकार द्वारा, जल कन्डक्टर प्रणाली में हुई क्षतियों के प्रेक्षण हेतु तथा की जाने वाली मरम्मतों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए, तीन तकनीकी विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किये गये थे।

(ग) पाट-होल्स में कमजोर कन्क्रीट को काट कर साफ किया और नई कन्क्रीट लगाकर बुनाइट कर दिया गया। मरम्मत सन्तोषजनक रूप से की गई थी और सुरंग को 4 सितम्बर, 1972 को प्रचालन के लिये खोल दिया गया।

नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4102. **श्री भान सिंह भौरा**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की मांग पूरा करने के उद्देश्य से 65 लाख टन की क्षमता का नाइट्रोजन संयंत्र तथा 25 लाख टन की क्षमता का फासफेट्स संयंत्र वर्ष 1978-79 तक स्थापित किये जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि इन पर पूंजी निवेश सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार, पांचवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों की खपत 5.2 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 2.1 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ होगी। इस खपत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष के बहुत पहले ही लगभग 7 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 2.5 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ की कुल क्षमता का विकास करना पड़ेगा।

(ख) और (ग). उपर्युक्त क्षमता और अन्य सम्बद्ध समस्याओं के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समेकित आधार पर अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गई है। इस सम्बन्ध में अध्ययन कार्य जारी है।

उद्योग की वैगन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए रेलवे की क्षमता

4103. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में वैगनों की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में है ;

(ख) छः माह पूर्व वैगनों की मांग कितनी थी; और

(ग) यह मांग कितनी पूरी की जा सकी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सभी आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकतीं।

(ख) और (ग). जनवरी से जून, 1972 तक की अवधि में, 46,26,643 माल-डिब्बे सप्लाई किये गये थे जबकि 76,62,142 माल डिब्बों की मांगें थीं। लेकिन उन सभी मांगों को

वास्तविक नहीं माना जा सकता क्योंकि जब माल डिब्बे सप्लाई किये गये तो बहुत सी मांगें रद्द करा दी गयीं।

पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया 'आपरेशन साबरमती'

4104. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे प्रशासन ने बाबरमती गुड्स शैड (टी० पी०) में 15 जनवरी, 1971 से 14 फरवरी, 1971 तक 'आपरेशन साबरमती' चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आई थीं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ;

(ग) अप्रैल, 72 से अक्तूबर, 72 तक महीनेवार, साबरमती स्टेशन पर कितने बड़े वैगनों तथा छोटे वैगनों में से माल चढ़ाया उतराया गया था; और

(घ) माल के चढ़ाने तथा उतारने के लिये कितने क्लर्कों को नियुक्त किया गया था तथा निर्धारित माप दंड के अनुसार वस्तुतः कितने क्लर्कों की आवश्यकता थी और यदि इस कार्य में कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) अभियान के दौरान जो प्रमुख अनियमितताएं नोटिस में आयी हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) माल डिब्बों को अनियमित ढंग से लगाना।

(2) प्रेषण स्टेशनों से गलत मार्का और लेबल लगाना तथा गलत ढंग से लदान।

(3) क्षति की रिपोर्ट और न्यूनता संदेशों में गलती, अर्थात पैकिंग स्थिति, वजन का ब्यौरा, पैकेजों की संख्या, पैनल कटने की स्थिति/आदि का न होना।

(4) कुछ मामलों में सील करने के लिए सूती टेप की बजाय जूट के जूने का उपयोग।

(5) खुले माल डिब्बों पर बांधे जाने वाले लेबल न लगाना।

(6) माल डिब्बों के अन्दर निर्देशों और बीजकों की प्रतियां न रखना।

(7) पर्याप्त संख्या में रिवट न लगाना।

(8) जहां निभार लगाना जरूरी हो, उसे न लगाना।

जहां तक साबरमती यानान्तरण स्थल का सम्बन्ध है, अधिकांश अनियमितताओं को वहीं ठीक कर दिया गया था। अन्य के मामले में, आवश्यक अनुगामी कार्रवाई की गयी थी।

(ग) सूचना अनुबन्ध 'क' पर रखे विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3999/72]**

(घ) यानान्तरण कार्य के लिये साबरमती में 45 माल बाबू नियुक्त किये गये हैं। मानदण्ड के अनुसार यातायात की सामान्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर्मचारियों की यह संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

अहमदाबाद स्टेशन पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेषित माल की बुकिंग

4105. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद पार्सल कार्यालय से अप्रैल और मई, 1972 के दौरान, महीनेवार, जोधपुर दिल्ली, जयपुर, अजमेर, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जटलसर और जूनागढ़ स्टेशनों के लिये अलग-अलग, कुल कितनी संख्या में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेषित माल की बुकिंग हुई थी;

(ख) ऐसे पार्सलों की कुल संख्या कितनी है जो अपने गन्तव्य स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचे थे और उसके बदले दावे के रूप में कुल कितने धन का भुगतान किया गया है; और

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सूचना नीचे दी गयी है:

गन्तव्य स्टेशन	बुक किये गये परेषणों की संख्या	
	अप्रैल, 1972	मई, 1972
जोधपुर	9001	4879
दिल्ली	30238	13293
जयपुर	8443	6872
अजमेर	6891	7938
राजकोट	23	20
जामनगर	149	48
भावनगर	319	49
जैतलसर	–	–
जूनागढ़	60	68

(ख) उपर्युक्त गन्तव्य स्टेशनों पर न पहुंचने वाले पार्सलों की कुल संख्या 381 थी। दावों की जिस रकम का अब तक भुगतान किया गया है वह 10,280 रुपये 75 पैसे बनती है ।

(ग) यह हानि बुकिंग स्टेशन पर अनियमित लदान या गन्तव्य स्टेशनों से आगे माल भेजने के कारण हुई। इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने के लिये रेल प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी किये हैं कि सभी पार्सलों का सही लदान किया जाता है तथा सम्बन्धित पार्सल रवन्ना हमेशा साथ भेजे जाते हैं और मार्का, पैकिंग तथा लेबल ठीक ढंग से लगाये जाते हैं। कम लदान या विशेष मामलों में गन्तव्य स्टेशनों से आगे लदान करने के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी की जाती है ।

भारतीय तेल निगम में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की मांग के लिये विभिन्न सरकारी विभागों से भारतीय तेल निगम का अनुरोध

4106. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने पत्र सं० पी एण्ड ए/1121/जनरल दिनांक 1 अप्रैल, 1970 के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को निगम में नियुक्ति हेतु भेजें ताकि वहां का आरक्षित कोटा पूरा हो जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्तर में इन जातियों के कितने प्रत्याशियों ने आवेदन-पत्र भेजे हैं; और

(ग) कितने प्रत्याशियों का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है और उन्हें नियुक्त कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 532

(ग) किसी भी आवेदक को चुना नहीं जा सका क्योंकि निगम द्वारा पालन की जा रही भर्ती की कार्य प्रणाली के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण निगम ने अन्तिम रूप से भर्ती न करने का फैसला कर दिया था।

भारतीय तेल निगम में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4107. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1972 को भारतीय तेल निगम में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या थी और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कितने कर्मचारी थे ;

(ख) क्या वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित पदों पर इन्हीं जातियों और जनजातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके लिये निर्धारित कोटे में कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय तेल निगम

में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	क्लास I	II	III
(i) 1-1-72 को (श्रेणीवार) कर्मचारियों की संख्या	2559	3745	8699
(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	21	64	974

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से योग्य उम्मीदवारों के न मिलने के कारण, उक्त जातियों के व्यक्तियों के आरक्षण के लिये निर्धारित कोटे को बनाये रखना निगम के लिये सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट तेल कम्पनियों की सुविधाओं के क्रय के परिणाम-स्वरूप, भारतीय तेल निगम को इन कम्पनियों के कुछ कर्मचारियों को भी नौकरी में लेना पड़ेगा किन्तु इन कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति/जन-जाति श्रेणियों का नहीं है।

(ग) निगम ने इन जातियों के व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भर्ती हेतु निम्नलिखित पद्धति को अपनाना जारी रखा है :–

(i) प्रार्थना-पत्रों की प्रारम्भिक छंटनी और अभ्यर्थियों के अन्तिम चयन के समय दोनों कार्य-योग्यताओं के सम्बन्ध में छूट।

(ii) निगम ने तकनीकी प्रकार के पदों के लिये मानकों में दी गयी छूट पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है।

(iii) इन जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाता है।

Complaint by Traders of Beawar Station against Divisional Operating Superintendent, Ajmer Division (Western Railway)

4108. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether traders of Beawar Station on the Western Railway have lodged a complaint against the Divisional Operating Superintendent, Ajmer Division;

(b) whether the Divisional Operating Superintendent told the traders that they should not bring their goods inside the Railway premises at all ;

(c) the total loadings of various commodities made at Ajmer, Beawar Marwar Junction, Palanpur, Disa, Bhamar, Jawal Bandh Stations during the period April to October of 1970, 1971 and 1972 separately and the revenue earned thereby with reasons for variations ; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) No.

(c) The total loading of wagons and earnings during the period from April to October, 1970, 1971 and 1972 at Ajmer, Beawar, Marwar Jn, Palanpur, Deesa, Bhamar and Jawai-Bandh stations was as under :

Station	No. of Wagons Loaded (April to October)			Earnings (April to October)		
	1970	1971	1972	1970	1971	1972
				Rs.	Rs.	Rs.
Ajmer	1072	2301	1364	3,48,681	14,72,435	6,78,482
Beawar	681	1485	1018	3,83,721	9,94,004	6,19,711
Marwar Jn.	181	383	236	65,155	1,89,635	83,165
Palanpur	1310	2890	1916	5,16,071	12.84,330	8,30,592
Deesa	403	1097	755	1,82,641	4,00,831	2,66,057
Bhamar	48	164	210	11,957	76,737	94,746
Jawai-Bandh	415	1015	741	1,91,623	5,56,379	5,43,564
Total :	4110	9335	6240	16,99,849	49,74,351	31,16,317

The loading and earnings from these stations dropped during April to October. 1972, as compared with the same period of 1971 due to less availability of wagons on Ajmer Division as loading had to be regulated and empties withdrawn and worked away for meeting demands of committed traffic like cement at Chanderia and Khemili and fertilizer at Udaipur and Kandla.

(d) Action has been taken to build up wagon stock on Ajmer Division so that loading at these stations can be stepped up.

बाराबंकी से बरौनी तथा मुजफ्फरपुर तक मीटर गेज लाइन की बड़ी लाइन में बदलने पर व्यय

4109. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराबंकी से बरौनी तक तथा मुजफ्फरपुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर कुल कितनी धन राशि व्यय होगी; और

(ख) क्या इसके लिये प्रशासनिक तथा अन्य स्वीकृतियां नहीं दी गई हैं; यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 46.36 करोड़ रुपये ।

(ख) इस काम से सम्बन्धित अनुमान की स्वीकृति 25-4-1972 को दे दी गयी है । काम शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का अधिकार में लिया जाना

4110. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग के प्रभावकारी नियंत्रण को अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने से उत्पन्न संकट को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भारत सरकार, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपायों के आयोजन तथा कार्यान्वियन के लिए एक स्वायत्त-शासी संगठन की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप में सहमत हो गयी है। राज्य सरकार की ब्यौरे पर सहमति प्राप्त होने के पश्चात इसे अन्तिम रूप दिया जाना है।

Directive Issued to General Managers not to Reply to Letters Sent by Members of Parliament

4111. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain directives have been issued to the General Managers and other higher officers of the Railways that letters sent by Members of Parliament should not be replied to ;

(b) if so, whether a copy of the directions would be laid on the Table of the House ; and

(c) the reasons for which such directives were given ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय उर्वरक निगम में आन्तरिक गड़बड़ी के कारण उर्वरक के उत्पादन में कमी

4112. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1972 के स्टेट्समैन में 'डिमान्ड्स फार फर्टिलाइ-जर्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय उर्वरक निगम में आन्तरिक गड़बड़ी के कारण उर्वरक के उत्पादन को धक्का लगा है और इसके अदक्ष प्रबंध के कारण सिन्दरी गोरखपुर और नंगल संयंत्रों को पंगु बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। सिन्द्री में समस्या यह है कि कारखाना पुराना है जो समाचार यांत्रिक खराबियों और अन्य रुकावटों से

आक्रान्त रहता है । आवश्यक प्रकार के कच्चे माल अर्थात् जिस जिप्सम और कोयले की अनुपलब्धि भी उत्पादन क्षमता में अड़चन सिद्ध हो रही है । इन समस्याओं पर काबू पाने और उत्पादन को बढ़ने के लिए कई सुधारक उपाय अपनाए गये हैं या अपनाए जा रहे हैं । अन्य बातों के साथ साथ फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक युक्तिकरण योजना जो प्राकृतिक जिप्सम पर निर्भरता को दूर करेगी कार्यान्वयन की जा रही है । दूसरी योजना, जो सिन्द्री आधुनिकीकरण योजना के नाम से जानी जाती है, विचाराधीन है । यह योजना कोयले और कोक ओवन गैस जिनका इस समय सिन्द्री में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, की जगह पर भारी पेट्रोलियम अवयव के रूप में कच्चे माल पर आधारित है ।

गोरखपुर के उत्पादन पर विशेष रूप से श्रमिक हड़ताल जो एक मास तक रही, का दुष्प्रभाव पड़ा ।

नांगल प्लांट पूरी क्षमता या उससे भी अधिक पर काम कर सकता है यदि उसे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाये । परन्तु इस क्षेत्र में बिजली की कमी के फलस्वरूप इस समय बिजली की सप्लाई 98 मेगावाट प्रतिदिन तक सीमित की गई है जब कि अनुबंधित मांग 164 मेगावाट है । इसका तात्पर्य प्रतिवर्ष लगभग 3000 मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन की हानि है । इस संदर्भ में एक नांगल विस्तार योजना जो बिजली के स्थान पर ईंधन तेल/भारी मांग का उपयोग करेगी, भी विचाराधीन है ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं प्रक्रिया का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय पश्चात ऐसा कर सकते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सांयकालीन कालेजों और तीन संकायों के बन्द किये जाने के समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Education and Social Welfare to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported indefinite closure of Evening Colleges and three Faculties of Banaras Hindu University as a result of student unrest there."

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : दशहरे की छुट्टियों के बाद, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दोबारा खुलने के तुरन्त बाद, छात्रसंघ के उपाध्यक्ष श्री महेन्द्रनाथ सिंह और महामंत्री श्री पी० एन० श्रीवास्तव ने कुछ मांगें पूरी कराने के लिए आन्दोलन शुरू किया । 17 नवम्बर, 1972 को उन्होंने विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर एक बैठक का आयोजन किया और 34 मांगें पेश कीं । इन मांगों में से शामिल हैं :–

निष्कासन आदेशों को वापस लेना तथा पिछले वर्ष के निष्कासित सभी छात्रों को दोबारा दाखिल करना, पिछले वर्ष निष्कासित वाणिज्य तथा कलासंकायों की भांति ही सभी संकायों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नति देना, वरिष्ठता क्रम से विभागाध्यक्षों को दो वर्ष की अवधि के लिए

बारी-बारी से नियुक्त करना, सांयकालीन कालेजों का सिटी कैम्पस से मुख्य कैम्पस में स्थानान्तरण और भारतीय बार परिषद के विनियमों में संशोधन । इससे पहले कुलपति ने आपस में विचार विमर्श करने तथा विशेषकर छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त छात्र संकाय परामर्शदात्री समिति का गठन किया था, जिसमें उसके सदस्यों के रूप में छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महामंत्री भी शामिल थे, किन्तु छात्र संघ के उपाध्यक्ष और महामंत्री ने उक्त समिति की बैठक में भाग नहीं लिया । इससे विपरीत वे बनारस से बाहर चले गए । उनके वापिस आने पर, रजिस्ट्रार ने उनसे मुलाकात करके कुलपति से मिलने और उनसे विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया । महामन्त्री ने कुलपति से 25 नवम्बर, 1972 को मुलाकात की और कुछ मांगों पर विचार-विमर्श किया तथा दोबारा मिलने का वायदा किया किन्तु संघ के उपाध्यक्ष कुलपति से कभी नहीं मिले । इसके विपरीत अपनी मांगें मनवाने के लिए दोनों ने बैठकें आयोजित करनी शुरू कीं और छात्र दलों को विश्वविद्यालय कार्यालय की ओर ले जाना शुरू किया । लगभग दो सप्ताह तक बाहर के व्यक्तियों के साथ मिलकर उन्होंने बैठकों का आयोजन किया (जिनकी अनुमति कालेज के समय के दौरान नहीं दी गई थी), लाउडस्पीकरों का प्रयोग किया जिससे कक्षाओं में व्यवधान पड़ा तथा जिससे कैम्पस के अन्दर यातायात अव्यवस्थित हो गया ।

1 दिसम्बर, 1972 को जब कुलपति डी० ए० वी० कालेज के छात्रों की एक बैठक में अभिभाषण करने गए, एक भीड़ ने निष्कासन आदेशों को वापिस लेने और निष्कासित छात्रों को दोबारा दाखिल करने के लिए नारे लगाए तथा उन पर हमला किया और उनकी कार को क्षति पहुंचाई । कुलपति पुलिस की सहायता से समारोह में गए । बैठक से वापिस होते समय, भीड़ के एक हिस्से ने उनसे बुरा बर्ताव किया । डी० ए० वी० कालेज से कैम्पस को लौटते समय लगभग 500 छात्रों तथा बाहर के समाज विरोधी तत्वों की एक भीड़ ने उनका घेराव किया । इस पर पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस के आने पर भीड़ तितर-बितर हो गई ।

2 दिसम्बर, 1972 को, छात्रसंघ के उपाध्यक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने कुलपति को यह आश्वासन दिया कि यदि कैम्पस से पुलिस हटा ली जाए तो वे अपनी मांगों पर शांति पूर्ण तरीके से जोर देंगे । फलस्वरूप जिला प्राधिकारियों से पुलिस को हटाने का अनुरोध किया गया और 3 दिसम्बर, 1972 को पुलिस हटा ली गई ।

4 दिसम्बर, 1972 को छात्रसंघ के उपाध्यक्ष तथा महामंत्री ने रजिस्ट्रार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया तथा लगभग 200 छात्रों की भीड़ को विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय की ओर ले गए । लगभग 40 छात्रों ने रजिस्ट्रार के कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश किया तथा उन्हें धमकी देते हुए कुलपति को दिल्ली से वापस बुलाने के लिये कहा, जहां पर वह बैठक में भाग लेने गए थे ।

5 दिसम्बर, 1972 को छात्र संघ के उपाध्यक्ष तथा उसके समर्थकों ने, "काला दिवस" मनाया तथा टाउन हाल की तरफ जलूस निकाला ।

7 दिसम्बर, 1972 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न, जबकि कुलपति विश्वविद्यालय से बाहर थे, छात्रों की भीड़ ने उनके निवास स्थान को घेर लिया और उनके चपरासी के जरिए यह कहलवाया कि यदि कुलपति उन्हें 2 बजे अपराह्न तक न मिले तो वे जैसा उचित समझेंगे वैसी ही कार्रवाई करेंगे । छात्रों ने धमकी दी कि यदि उनकी मांगे स्वीकार न की गईं तो पूरा विश्वविद्यालय जला दिया जाएगा । इसी अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कैम्पस में प्रवेश

करके भीड़ से शांति पूर्वक तितर बितर हो जाने के लिए अनुरोध किया । भीड़ ने ऐसा करने से मना कर दिया । पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी के हौजपाइपों का प्रयोग किया। भीड़ हिंसात्मक हो गई तथा भारी पथराव और आगजनी करने लगी । विश्वविद्यालय के कार्यालय जबरदस्ती तोड़ दिये गए तथा स्टेट बैंक की विश्वविद्यालय शाखा पर हमला किया गया और उसे लूटने की कोशिश की गई । विश्वविद्यालय के डाक खाने को आग लगाने की कोशिश भी की गई । अल्पाहारगृह (कैफेटेरिया) तथा नगर प्रतिनिधिमण्डल (डेलीगेसी) के कार्यालय को तोड़ दिया गया तथा कुछ वस्तुएं वहां से उठा ली गईं । विश्वविद्यालय टेलीफोन एक्सचज के एक तम्बू को आग लगा दी गई तथा एक्सचेंज के दो हैडगीयर लूट लिए गए । विश्वविद्यालय का औषधालय तोड़ दिया गया तथा विश्वविद्यालय की एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई । रेलवे स्टेशन से लाए जा रहे वैज्ञानिक सामग्री के लगभग आधा दर्जन बक्से छीन लिए गए और उन्हें आग लगा दी गई । कैम्पस में एक महिला का हार लूट लिया गया ।

भारी पथराव, आगजनी तथा लूट को देखते हुए, कुलपति ने विद्या परिषद के परामर्श से सांय कालीन कालेजों सहित विधि, कला तथा सामाजिक विज्ञान के संकायों को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने का निर्णय किया।

8 दिसम्बर, 1972 को हिंसा फिर भड़क उठी । अर्थशास्त्र के रीडर डा० उमेश प्रसाद पर गुंडों ने हमला किया और उन्हें पीटा । उन्हें हस्पताल ले जाया गया, जहां उनके आगे के उन दो दांतों को निकालना पड़ा जोकि मार के कारण हिलने लग गए थे । एक वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता को भी बुरी तरह से पीटा गया । विश्वविद्यालय सहकारी भंडार को पूरी तरह से लूट कर उसमें आग लगा दी गई । दो अन्य भंडार भी तोड़ कर लूट लिए गए । लोक निर्माण विभाग के भंडार को भी आग लगाने की कोशिश की गई । विद्या परिषद से परामर्श करने के बाद कुलपति ने सभी संकायों को बंद करने के आदेश दे दिए तथा छात्रों को 24 घंटों के अन्दर छात्रावास खाली कर देने की सलाह दी ।

सरकार इन बातों को बड़ी गम्भीरता से लेती है तथा इस प्रकार के हिंसा और बर्बरता की निन्दा करती है । मैं इस सदन के सभी वर्गों, लोकमत के निर्माताओं तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों की महासभा से सामान्य तथा शांतिपूर्ण वातावरण फिर से स्थापित करने में अपने प्रभाव का प्रयोग करने की अपील करता हूं, जिससे यह महान विश्वविद्यालय, जिस पर देश ठीक ही गर्व करता है, अपना कार्य सामान्य रूप से कर सके ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The tone of Shri Nurul Hasan, who was till recently a professor in Aligarh University, has changed on becoming the minister. I am sorry to say that facts have not been produced before the House correctly. May I know whether is it not a fact that President and Vice-President of the University Union met the Vice-Chancellor on 3rd December ? But in the statement it has been stated that only the Vice-President met the Vice-Chancellor. May I know whether in this way they want to divide the students ? May I know whether the hon. Minister has been wrongly informed by the University authorities ? It was also wrong that the students 'Gheraoed' the residence of Vice-Chancellor on 7th December. They gathered there to meet the Governor who was scheduled to come.

The General Secretary of the Students Union also requested the Governor to intervene and arbitrate in this matter. But he declined on the ground that the request for arbitration should come from both sides. The P.A.C. entered the campus at a time when the General Secretary of the Union was reading a message of Governor to students. Few students were

arrested. Was this not enough to incite the students ? Afterwards the Police beat the other students. The hon. Minister has not mentioned anything about it in his statement. The hon. Minister has narrated in detail the incidents that happened afterwards.

May I know whether the hon. Minister will advise the Vice-Chancellor to appoint a Magistrate or a Judge to hold an enquiry in this matter so that facts may be brought in light ? I would also like to know as to why no legislation has been enacted by Parliament for Banaras Hindu University ? The hon. Minister had assured the House sometime back for bringing forward a Bill in this regard. May I know the reasons for delay ? A man who even has not passed his M.A. has been appointed professor. All these things should be stopped.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि ऐसे विद्यार्थी को अध्यापक बनाया गया है जो एम० ए० पास नहीं है। मैं इस मामले की जांच करूंगा। इस बारे में विश्वविद्यालय के नियम बिलकुल स्पष्ट हैं।

जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक लाने का प्रश्न है, मैंने विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया था। अभी तक समिति का प्रतिवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्रतिवेदन मुझे मिल जायेगा मैं, उस पर कार्यवाही करूंगा। इस मामले में और विलम्ब नहीं किया जायेगा। विधेयक की रूपरेखा गजेन्द्रगडकर-आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही तैयार की जायेगी।

जहां तक उप-कुलपति द्वारा निर्णय लिए जाने का प्रश्न है, उन्होंने दोनों निर्णय शैक्षिक परिषद् (ऐकेडेमिक काउंसिल) के परामर्श से लिए थे। यह परिषद् कोई नामजद निकाय नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उप-कुलपति ने मनमाने ढंग से निर्णय लिए थे। नये अधिनियम के बनने के पश्चात भी शैक्षिक परिषद् का गठन ऐसा ही रहेगा।

जहां तक किसी जज द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न है, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि उप-कुलपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज श्री एम० सी० देसाई द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था। उनका प्रतिवेदन मिलने पर कुछ विद्यार्थियों को निकाल दिया गया था। 17 में से 13 विद्यार्थियों को भूतपूर्व विद्यार्थियों के नाते परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। केवल 4 विद्यार्थियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य पीलू मोदी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मूल प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय को डर में आकर तथा हिंसा से डर कर निर्णय लेने चाहिए अथवा इस स्थान पर बुद्धिमत्ता से चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने चाहिए।

उप-कुलपति ने विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों की जांच के लिए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की थी। विद्यार्थियों की कुछ मांगें तो अस्वीकार्य थीं और कुछ मांगों पर बातचीत की जा सकती थी परन्तु उनको सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु मांगों पर चर्चा करने के बजाय विद्यार्थियों के इस ग्रुप ने अपना नेतृत्व स्थापित करने में अधिक रुचि दिखाई और ऐसी नीति अपनाई जिससे विद्यार्थी समुदाय की बदनामी हुई। मेरे विचार पहले भी यह थे और अब भी यह हैं कि हिंसा का विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है और सिविल पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों की रक्षा करे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had earlier stated that President along with the Vice-President met the Vice-Chancellor on the 2nd December. But the hon. Minister has not men-

tioned anything about the President of the Union. May I know the source from where he got this wrong information ?

Prof. S. Nurul Hasan : I had no information about the President of the Union meeting the Vice-Chancellor. Only the Vice-President of the Union was leading this violent agitation which started on the 1st December. Therefore it was necessary to mention the name of the Vice-President.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Such agitations are going on for the last few months from Assam to Punjab. Most of the demands of the students are irrational and prepostrous. May I know reasons of the failure of the Vice-Chancellor in maintaining law and order in the campus and mobilising opinion against these baseless and irrational demands ? Why public opinion was not mobilised to isolate the outsiders and un-social elements ? May I know the parties and individuals who want to gain from these agitations ? The intellectuals, political and social workers should come forward and support the right cause.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि अब समय आ गया है जब राजनीतिक नेताओं को अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि डराने-धमकाने और हिंसा को सहन नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसे वातावरण में कोई भी विश्वविद्यालय ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। सरकार भी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि सरकार धमकियों और डराने धमकाने की घटनाओं के सामने नहीं झुकेगी। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और वहां पर तर्क पर आधारित असहमति के लिए तो गुंजाइश होती है किन्तु हिंसा और धमकी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। अतः छात्रों की इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य ठीक से नहीं चलेगा तो हम सभी के बच्चों की हानि होगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, here I want to suggest that the hon. Minister should convene a conference of leaders of all political parties in which we all should reach a gentleman's agreement under which political parties will not exploit the universities.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं सदन का ध्यान कुछ घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अशान्ति हुई और बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद् के कुछ नेता आये और उन्होंने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में सरकार के साथ संघर्ष की घोषणा की थी। हाल ही में दिल्ली के छात्र नेताओं ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के सहयोग से एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है जिसमें छात्र असंतोष पर चर्चा की जायेगी और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जायगी। विद्यार्थी परिषद् और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को संघर्ष का अखाड़ा बना रखा है। गजेन्द्रगडकर आयोग और एक अन्य आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि बनारस विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को बन्द किया जाये किन्तु सरकार इस मामले में अभी तक चुप है। यह मामला न्यायालय में क्यों ले जाया गया? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आर० एस० एस० के कार्यालय को बंद करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार ऐसा विधेयक इसी सत्र में लायेगी जिससे बनारस विश्वविद्यालय में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया जा सके। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कई बार आश्वासन दे चुके हैं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या सरकार संसदीय समिति के सुझाव को स्वीकार करेगी, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थिति का स्वयं अध्ययन करेगी तथा स्थिति के सुधार के लिए उपाय सुझायेगी।

प्रो० एस० नुरुल हसन : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उचित कार्यकरण के लिए विधेयक

लाने की बात मैं पहले ही बता चुका हूं। किन्तु विद्यार्थियों की 34 मांगों का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से संबद्ध मामले को न्यायालय में ले जाये जाने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले को वहां ले गया है और न्यायालय से रोक-आदेश ले आया है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समीक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समीक्षा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3971/72]

स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य खजांची श्री वी० पी० मलहोत्रा की बर्खास्तगी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DISMISSAL OF SHRI V. P. MALHOTRA, FORMER CHIEF CASHIER OF STATE BANK OF INDIA, NEW DELHI

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक अवसरों पर उन ब्यौरों और परिस्थितियों को जानने की इच्छा प्रकट की है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली के भूतपूर्व चीफ कैशियर श्री वी० पी० मलहोत्रा को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। मैं पहले ही सदन को सूचित कर चुका हूं कि भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया था कि श्री वी० पी० मलहोत्रा के विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उन्हें 10 नवम्बर, 1972 से बैंक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिन तथ्यों के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था, वे निम्नलिखित हैं :

स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा, नई दिल्ली के भूतपूर्व चीफ कैशियर श्री वी० पी० मलहोत्रा को पत्र जारी किया था जिसमें अभियोगों का विवरण दिया गया था। यह अभियोग पत्र उन्हें पहली जून, 1972 को दिया गया था। अभियोग के विषय ये थे कि उन्होंने बैंक की नकदी की तिजोरी से अनधिकृत रूप से 60 लाख रुपये की राशि निकलवा ली थी और बैंक की स्थापित परिपाटी, प्रक्रिया और नियमों को भंग करते हुए वे उक्त धनराशि को पारगमन बीमा (ट्रांजिट इंश्योरेंस), अनुरक्षक या सशस्त्र गारद के बिना, बैंक के ड्राइवर के बिना बैंक की गाड़ी में बैंक परिसर से बाहर ले गए और उसे एक अनजान और अनधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया और इस प्रकार उन्होंने बैंक के साथ विश्वासघात किया।

2. श्री मलहोत्रा ने 12 जुलाई, 1972 को अपने लिखित स्पष्टीकरण में सभी अभियोगों को अस्वीकार किया और यह कहा कि तिजोरी में से नकदी निकालने के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का उल्लंघन करने में उनका किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत हेतु (मोटिव) नहीं था। उन्होंने यह कहा कि वे छले गये हैं और जब आदमी एक बार छल में फंस जाता है तो उसका कार्य सामान्य स्तर का नहीं होता। उन्होंने आगे यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि उन्होंने यह समझा था कि उन्हें टेलीफोन पर यह आदेश मिले हैं, जो उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश समझे थे, कि वे अपने साथ कोई अनुरक्षक, सशस्त्र गारद या ड्राइवर न ले जाएं और सारे लेन-देन को परम गोपनीय रखें, इसलिये उन्होंने बैंक के परिसर के बाहर बड़ी धनराशि ले जाने के लिये बैंक की आम हिदायतों का पालन नहीं किया। उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि उनके बारे में धारणा उनके उस व्यवहार के आधार पर बनाई जानी चाहिए जिसका प्रदर्शन उन्होंने धन देने के तुरंत बाद किया था जैसे कि उस टैक्सी का नम्बर नोट करना जिसमें चालबाज धन ले गया था, आ कागजात इकट्ठा करने के लिये प्रधान मंत्री के निवास स्थान की ओर भागना, यह महसूस होने वे कि वे एक बड़े छल के शिकार हो गये हैं तत्काल पुलिस को सूचना देना तथा अपराधी को पक उसकी सहायता करना।

3. भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्ड ने श्री वी० पी० मलहोत्रा द्वारा दिये गये लिखित स्पष्टीकरण पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई उनकी सुनवाई के दौरान श्री मलहोत्रा की स्वीकारोक्तियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि इस मामले में उन्हें बर्खास्तगी का दण्ड दिया जाना उचित है। इसलिये भारतीय स्टेट बैंक ने 27 जुलाई, 1972 को श्री वी० पी० मलहोत्रा के नाम एक कारण-बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह पूछा गया था कि उन्हें बर्खास्तगी का दण्ड क्यों न दिया जाय। श्री मलहोत्रा ने कारण-बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपने बचाव में 18 अक्टूबर, 1972 को अपना उत्तर दिया था। उनके प्रतिवाद का मुख्य विषय यह था कि कारण-बताओ नोटिस समयपूर्व, अनावश्यक और निरर्थक है और यह कि उनसे कोई मौखिक पूछताछ नहीं की गयी थी। उन्होंने यह भी कहा कि खोई हुई राशि की वसूली केवल उनकी सूझबूझ के कारण ही सम्भव हो सकी है तथा यह कि बर्खास्तगी एक घोर दण्ड है जो सामान्यतः बे-ईमान अधिकारियों को निकाल कर बाहर करने के लिये ही दिया जाता है, इसलिये उन्हें बर्खास्त न किया जाय और यह कि निर्णय सम्बन्धी केवल एक गलती के लिये उनकी सम्पूर्ण सेवा को जब्त न किया जाय।

4. भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने 10 नवम्बर, 1972 को बुलाई गई अपनी बैठक में स्थानीय बोर्ड की सिफारिश पर विचार और अनुशासनात्मक कार्यवाई के सम्पूर्ण अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय किया कि श्री मलहोत्रा को बैंक की सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाय। तदनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने श्री वी० पी० मलहोत्रा को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये पत्र के माध्यम से बर्खास्तगी के आदेश की सूचना दी थी जिसकी प्राप्ति की सूचना श्री मलहोत्रा द्वारा 17 नवम्बर, 1972 को दी गयी थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मैंने यह मामला उठाया था और सरकार से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए कहा था। किन्तु मुझे यह शिकायत है कि सरकार ने इसकी पूर्व-सूचना नहीं दी है। इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाना चाहिए था। श्री मलहोत्रा पर इतने गंभीर आरोप थे कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। श्री मलहोत्रा ने यह भी कहा था कि उसने प्रधान मंत्री की आवाज समझकर यह राशि दी थी। कुछ और बातों का भी पता चल सकता

अतः इस मामले के अध्ययन के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए थी। आप इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए हमें अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

जम्मू तथा काश्मीर में नियंत्रण रेखा को अन्तिम रूप देने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE FINALISATION OF LINE OF CONTROL IN JAMMU AND KASHMIR

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, लाहोर में 7-12-1972 को भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की बैठक के परिणाम के बारे में मैंने जो वक्तव्य दिया था, माननीय सदस्यों को वह याद होगा। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनका अनुसरण करते हुए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैनिक कमाण्डरों ने उन नक्शों को अंतिम रूप देने का कार्य पूरा कर लिया जिनमें जम्मू और काश्मीर में नियन्त्रण रेखा को सीमांकित करके दिखाया गया है, और नियंत्रण रेखा के इस सीमांकन को उन्होंने अनुमोदन के लिए अपनी-अपनी सरकारों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। पाकिस्तान का अनुमोदन 11 दिसम्बर, की शाम को प्राप्त हो गया था और भारत सरकार का अनुमोदन भी उसी शाम उन्हें भेज दिया गया था। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में निम्नलिखित घोषणा की गई।

> "2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते के अनुसार जम्मू और काश्मीर में नियन्त्रण रेखा को सीमांकित कर दिया गया है और दोनों सरकारें इसका अनुमोदन करती हैं। इस घोषणा की तारीख से 5 दिन के भीतर, दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदित नियंत्रण रेखा के अनुरूप पर भूमि स्थिति का समंजन किया जाएगा।"

जम्मू और काश्मीर में 17 दिसम्बर 1971 के युद्ध-विराम के परिणाम-स्वरूप जो नियन्त्रण रेखा बनी वह नक्शों पर जिस तरह समूची सीमांकित की गई है, उसका मोटा विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। यह रेखा 19 मोजेक-नक्शों पर सीमांकित है जो छम्ब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शुरू होती है और उत्तर में तुर्तीक-परतापुर सेक्टर पर खत्म होती है। जम्मू और काश्मीर में यह नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता द्वारा निश्चित की गई है। जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार, दोनों पक्ष इस रेखा का सम्मान करेंगे, दोनों में से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से इसे नहीं बदलेगा और दोनों में से कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन करने में न किसी तरह की धमकी देगा और न शक्ति का प्रयोग करेगा।

मैंने 8 दिसम्बर को सदन को सूचित किया था कि ठाको-चाक नामक डेढ़ वर्ग मील के एक छोटे से इलाके के ऊपर, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, विवाद निपट गया है। एक बार जब पाकिस्तान ने ठाको-चाक से अपनी फौजे हटाना स्वीकार कर लिया तो सद्भावना-स्वरूप हमने भी आपसी दावों के अनुसार इस रेखा को छोटे-मोटे समायोजन द्वारा युक्ति संगत बनाना स्वीकार कर लिया। इस तरह, नियंत्रण रेखा पर स्थित धूम और घोकोंर गांवों पर हमने जो दावा किया था वह वापस ले लिया जिसका इलाका लगभग 0.45 वर्ग मील बैठता था।

नियंत्रण रेखा का मुख्य विवरण

(क) मनावर तवी एन० डब्ल्यू० 605550 से नियंत्रण रेखा उत्तर पश्चिम में झांगर के 3 मील पश्चिम में एक स्थान तक जाती है (छम्ब के साथ पाकिस्तान में मिलाकर), जहां से यह रेखा मिथिधारा एन० आर० 2619 तक उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाती है और वहां से उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की तरफ एन० आर० 052669 पर पूंछ नदी तक जाती है (पूंछ के लगभग 6 मील दक्षिण पश्चिम में)।

(ख) वहां से यह रेखा फिर उत्तर-पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और वहां से उत्तर की ओर गुलमर्ग क्षेत्र में जरनी गली (भारत में शामिल) तक जाती है, फिर पश्चिम की ओर मिंडी गली (भारत में शामिल) होते हुए पीर कंठी तक (पाकिस्तान में शामिल), फिर उत्तर की ओर उड़ी के लगभग 7 मील उत्तर-पश्चिम में छोटा काजी नाग (भारत में शामिल) होते हुए लिपा घाटी में कैयान तक (भारत में शामिल) फिर यह नियंत्रण रेखा पश्चिम में पाकिस्तान में शामिल कटरान की गली के साथ-साथ रिछमार गली तक और भारत में शामिल चक मुकाम की ऊंचाई तथा वंजाल रिज तक जाती है।

(ग) रिछमार गली से यह नियन्त्रण रेखा टिथवाल के पश्चिम से होती हुई उत्तर की ओर कैरान के 3 मील उत्तर तक जाती है, फिर उत्तर-पूर्व की ओर मुड़कर लुंडा गली (भारत में शामिल) तक जाती है, फिर पूर्व की ओर केल क्षेत्र में (पाकिस्तान में शामिल) हरमार्गी ग्राम तक, कन्जलवान क्षेत्र में (भारत में शामिल) दुरमट और 14236, 15460 ऊंचाई तथा मिनिमर्ग क्षेत्र में कारोबल गली (सभी भारत में शामिल) तक जाती है, फिर नैरिल के साथ-साथ (भारत में शामिल) ब्रीलमैन (पाकिस्तान में शामिल) तथा कारगिल क्षेत्र में उत्तर की तरफ, तुरतोक क्षेत्र में चोरबटला तक जाती है।

(घ) वहां से नियन्त्रण रेखा उत्तर-पूर्व की ओर थांग (भारत में शामिल) तक जाती है और वहां से पूर्व की तरफ हिमनदियों (गलेशियरों) सेमिल जाती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, I request you to allow us a discussion on this statement.

Mr. Speaker : It will be seen in the Business Advisory Committee.

श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा 11 दिसम्बर 72 को लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में

RE. CERTAIN ALLEGATIONS MADE BY SHRI JYOTIRMOY BOSU ON DECEMBER 11, 1972

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : कल श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक उच्च अधिकारी पर निराधार आरोप लगाये थे और श्री राजबहादुर ने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : सभापति ने मुझे बताया है और माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति मैंने दी है ।

श्री एस० ए० कादर : उस समय सभापति महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श करेंगे और नियमों का अध्ययन करेंगे कि क्या जो उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जा सकता है अथवा नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ विशेष आरोप लगाये थे जिनके उत्तर में विदेश व्यापार मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ था ...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड-हार्बर) वे सब ओर से धन एकत्र कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये । मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने जा रहा हूं जब कभी भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम लेकर आरोप लगाया जाता है तो यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति सदन में उपस्थित हो । अथवा सदस्य को लिखित रूप में वह आरोप भेजने चाहिये जिससे जांच की जा सके । इस बारे में नियम स्पष्ट है । अतः मंत्री महोदय जांच करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हम शैक्षिक विनिर्णयों में रुचि नहीं रखते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भी निदेश 115 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दूंगा । लेकिन इस समय मैं यही कहूंगा कि मैंने लिखित नोटिस समयानुसार दिया था जिसमें नियम 353 के अन्तर्गत नामों का उल्लेख किया था । नियम 353 के अन्तर्गत मुझे उसके बारे में तर्क देने की आवश्यकता नहीं है । मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है । यदि कोई राजनीतिक पार्टी सरकारी तंत्र का उपयोग करती है तो क्या मुझे यह मामला उठाने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको सम्बद्ध मंत्री महोदय को सूचित करना चाहिये जिससे वे जानकारी एकत्र कर सकें **(अन्तर्बाधाएं)** यदि आप मामले की सूचना मंत्री महोदय को नहीं देंगे तो उक्त जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है । यह सभा का नियम है कि आप सभा में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आरोप नहीं लगा सकते । यदि आप किसी मंत्री में अविश्वास प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिये पृथक नियम है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आपके द्वारा दिया गया विनिर्णय उचित नहीं है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में
RE. SWEEPER'S STRIKE IN DELHI

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। अत्यावश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों को भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से अस्थायी और अनियत सफाई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। चूंकि ऐसा दिल्ली में हुआ है माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला सभा के सामने है और इस बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या केवल शोर मचा कर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ?

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक का स्वागत करने के लिये बधाई देती हूं। इस विधेयक से उद्यमियों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे और इससे देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और अधिक गति से देश का विकास होगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका पूर्ण समर्थन करेंगे। श्री बड़े ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम के विलय करने की सिफारिश का उल्लेख किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त सिफारिश स्वीकार करना उचित तथा जनहित में नहीं होगा।

जहां तक प्रत्यक्ष वित्त का सम्बन्ध है, भारतीय वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य कुछ सीमा तक समान हो सकते हैं, लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य काफी अधिक है यह पुनर्वित्त सम्बन्धी व्यापार भी करता है। औद्योगिक वित्त निगम चीनी सहकारी समितियों, सूती कपड़ा सहकारी समितियों और पटसन मिलों को सहायता देने में विशेषज्ञ हैं। अतः मुझे दुःख है कि हम उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं कर सकते।

कुछ सदस्यों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और उनमें अधिक निवेश करने के बारे में अधिक ध्यान देने का उचित सुझाव दिया है। मैं बताना चाहती हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की यह नीति और प्रयास रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। वर्ष 1969-70 में सरकार की पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमकर्त्ताओं को घटी दर पर वित्तीय सहायता देने की योजना रही है। वर्ष 1971 में उक्त सुविधाएं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार पर भी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की गतिविधियां वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों में भी पहुंच गई है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की गतिविधियों के बारे में यह कहा गया है कि यह केवल प्रतिवेदन तैयार करने से सम्बद्ध है और इसकी उन प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करने में कोई रुचि

नहीं है। लेकिन ऐसा कहना सच नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सर्वेक्षण करने तथा प्रतिवेदन प्राप्त करने तक ही संतुष्ट नहीं रहा है। इसने यह बताया है कि कौन से उद्योग कौन से विशेष जिलों अथवा विशेष क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होंगे।

अत: राज्य सरकारों और उद्यमकर्त्ताओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये अधिकतम ऋण प्राप्त करने के लिये पहल करनी चाहिये।

श्री पाणिग्रही के इस कथन से सरकार सहमत नहीं है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1970-71 में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को 79 प्रतिशत सहायता दी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने वाली अनेक योजनाएं संयुक्त क्षेत्र में स्थित हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने उल्लेख किया है कि अधिकांश सहायता बड़े व्यापार गृहों को दी गई है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही वास्तव में ऐसा निकाय है जो भारी उद्योगों को बड़े ऋण देने की क्षमता रखती है।

वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें भारी धनराशि की आवश्यकता होती है। केवल यह संस्था उन्हें ऋण देने में समर्थ है। टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूह का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। लेकिन बिड़ला ग्रुप को जो राशि दी गई है उसका अधिकांश भाग उर्वरकों, विशिष्ट इस्पात कारखानों, वस्त्र निर्माण सम्बन्धी मशीनों और रेल के डिब्बों के निर्यात के लिये किया गया है। टाटा को इस्पात बेलनों और कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिये धनराशि दी गई है। इन सभी योजनाओं को सरकार की नीतियों के अनुरूप आवश्यक समझा गया है। उनके बारे में पूरी जांच की गई है और इसे दी गई 312.60 करोड़ रुपये सहायता में से बड़े औद्योगिक गृहों को 168.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिक शेयर वाली विदेशी कम्पनियों को भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त हुई है। जब कोई भी निकाय भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो जाता है तो सहायता के मामले में कम्पनियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा यही प्रयास रहा है कि धीरे धीरे भारतीय कम्पनियों के शेयर में वृद्धि हो। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करते हैं।

खंड-2 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 के बारे में चार संशोधनों का नोटिस श्री रामावतार शास्त्री और श्री मधुकर द्वारा दिया गया है। लेकिन वह सभा में उपस्थित नहीं है। अब मैं शेष खंडों और विधेयक को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

'कि खंड 3 से 8, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 3 से 8, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
Clauses 3 to 8, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि सदस्यों को विदित ही है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम भारत में औद्योगिक कम्पनियों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण देने के लिए वर्ष 1948 में पारित किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तथा 1964 में अधिनियम में किये गये संशोधनों के द्वारा केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक के शेयरों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अन्तरण कर दिया गया और निगम द्वारा अतिरिक्त शेयर केवल विकास बैंक को जारी कर दिये गये जिससे वह निगम 50 प्रतिशत अंश पूंजी रख सके।

निगम ने इस वर्ष सन्तोषजनक प्रगति की है।

गत 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में निगम ने 1.65 करोड़ रुपये की नयी पूंजी जारी की। गत वर्ष निगम ने 68 औद्योगिक परियोजनाओं के लिये 39.16 करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि गत वर्ष 61 परियोजनाओं के लिये 35.03 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। निगम ने अपनी स्थापना से लेकर 30 जून, 1972 तक 565 परियोजनाओं के लिये 398 करोड़ रुपये की सहायता दी और 341 करोड़ रु० की राशि वितरित की।

गत वर्ष 13.46 करोड़ रुपये की आय की तुलना में इस वर्ष आय बढ़कर 14.98 करोड़ रुपये हो गई।

निगम को विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलता रहता है। इस वर्ष निगम को पश्चिम जर्मनी से 12050 लाख डी० एम० की सहायता प्राप्त हुई है।

विभिन्न राज्यों में ऋणदाताओं को सहायता देने के लिए निगम धीरे-धीरे अपने कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थापित कर रहा है। इस समय निगम के पास जयपुर, कोचीन, भोपाल और चण्डीगढ़ में कार्यालय स्थापित करने का क्रमबद्ध कार्यक्रम है।

नये उद्यमकर्ताओं तथा पिछड़े क्षेत्रों को विकास के लिये सहायता देने के विचार से यह आवश्यक है कि इस संगठन को आवश्यक सामग्री द्वारा सुसज्जित किया जाये जिससे यह उद्योग व्यापक रूप से सेवा कर सके। इस विधेयक का यही मुख्य उद्देश्य है।

पहली बार यह व्यवस्था की जा रही है कि निगम द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित औद्योगिक उपक्रमों को द्वितीय सहायता दी जायेगी। कुछ नये उद्यमी सामान्यतया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में अपने उद्यम स्थापित करते हैं और इस संशोधन के द्वारा निगम उन्हें विदेशी मुद्रा के ऋण दे सकेगा। इसकी सारी प्राधिकृत पूंजी जारी की जा चुकी है। अतः इसकी प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 20 करोड़ रु० किया जा रहा है, क्योंकि निगम अपनी कार्यवाहियों में विस्तार कर रहा है।

सभा को यह ज्ञात होगा कि सरकारी उपक्रम समिति ने इस निगम के कार्यकरण की जांच की और इसके बारे में कुछ सिफारिशें की। सरकार ने कुछ सिफारिशें स्वीकार कर लीं और इस विधेयक के द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस समय निगम का दायित्व है कि कम्पनियों के जिन अनबिके अंशों (शेयरों) अथवा ऋण पत्रों को उसने लिया है उनकी जिम्मेदारी से वह 7 वर्ष के भीतर स्वयं को मुक्त कर ले, परन्तु नई नीति के अनुसार अनेक मामलों के निगम अपने द्वारा दिये गये ऋण को साम्य अंशों को बदल देता है। इसलिये यह आवश्यक है कि निगम के पास जो शेयर हैं उन्हें वह अपने पास रखे रहे न कि उनसे मुक्त हो जाये। अतएव 7 वर्ष की इस अवधि का प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इस निगम ने आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित धन अपनी प्रदत्त पूंजी से अधिक बना लिया है। इसलिये उसके लिये अब यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपना लाभांश उन्हीं दरों तक सीमित रखे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं। तथापि निगम द्वारा लाभांश घोषित करने की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत हैं। यह दर 1948 में निर्धारित की गई थी और इसे अब बहुत ही कम समझा जा रहा है। अतः इस उच्चतम सीमा को हटाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि निगम को यह छूट दी जाये कि कार्य परिणामों के आधार पर लाभांश

घोषित किया जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि निगम लाभांश घोषित करने के पश्चात शेष लाभ को अपनी आरक्षित निधि में जोड़ने के लिये अपने पास ही रख सके।

निगम अब अपने लाभ में से विकास कार्यों पर धन लगाने की स्थिति में है। अत: इस निगम द्वारा एक विशेष कल्याण निधि स्थापित किये जाने का विचार है जिसमें से अन्य बातों के साथ साथ सम्भाव्यता अध्ययनों को विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में नये उद्यमकर्ताओं की परियोजनाओं को सहायता देने आदि कार्यों पर धन व्यय किया जा सके।

कुछ अन्य छोटे-छोटे संशोधन भी हैं जो ऋणों की वसूली आदि के लिये निगम की स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : प्रस्तावित प्रयास स्वागत योग्य हैं क्योंकि ऋण देने से पूर्व पूरी गारंटी प्राप्त करने की शर्त वास्तव में ऋण लेने में विभिन्न उद्योगों के रास्ते में रुकावट थी। परन्तु इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिन पर गहन विचार की आवश्यकता है।

विधेयक के खण्ड 10 के द्वारा इसमें, 21 क और 21 ख, नई धारायें जोड़ने का उपबन्ध है। धारा 21 ख के अनुसार किसी ऋण अथवा अग्रिम राशि की वसूली के सम्बन्ध में निगम के अधिकारों और हितों का अन्तरण करने की शक्ति प्रदान की जा रही है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह अन्तरण किसको किया जायेगा।

विधेयक का खण्ड 17 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में है। सभी मामलों में जिला न्यायालयों के स्थान पर उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार देने का उपबन्ध है। जिला न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को इस प्रकार अचानक सीमित करने से उच्च न्यायालयों में कार्य और भी बढ़ेगा। विधेयक की भाषा में वांछनीय बातें छूट गई हैं। अस्थायी आदेश जारी करने की बात और भी अजीब है। न्यायालय को मुख्य मामले को सुनने का अधिकार तो नहीं परन्तु अस्थायी आदेश जारी करने का उसे अधिकार दिया जा रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए। विधेयक में इस प्रकार की असंगतियां नहीं होनी चाहिए।

अब तक औद्योगिक वित्त निगम को अपने विनियम संसद के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत करने होते थे परन्तु विधेयक के खण्ड 21 के द्वारा इस उपबन्ध को समाप्त किया जा रहा है। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक वित्त निगम को कोई धनराशि नहीं देनी होगी परन्तु फिर भी निगम के पास जो भी धन है वह सार्वजनिक है। अतः उक्त निगम के विनियमों पर विचार करने के संसद के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक इस निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है इसमें सुधार की अपेक्षा है। एक उपबन्ध के द्वारा निगम द्वारा लाभांश की नियत दर की मात्रा पर रोक को हटाया जा रहा है। वास्तव में लाभांश की दर ही निगम के कार्यकरण की सफलता अथवा असफलता की कसौटी नहीं होनी चाहिये। वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या निगम अपने कर्तव्यों का आशानुकूल निर्वाह कर रहा है और क्या अपेक्षित औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता दी जा रही है? ऋण के आवेदन-पत्रों पर विचार किस गति से हो रहा है? आदि आदि। इसके साथ ही उद्योग की तत्काल कठिनाइयों

को दूर करने के लिए वित्तीय ऋण देना मात्र ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अपने सुचारु कार्यकरण के लिए स्वयं संसाधन जुटा सकें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे प्राप्त किया जाना चाहिए।

औद्योगिक वित्त निगम के पिछले वार्षिक प्रतिवेदन को देखने से प्रतीत होता है कि देश के कुछ भागों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। देश के किसी विशेष भाग की अधिक प्रगति से हमें दु:ख नहीं। परन्तु देश के सभी भागों की समान प्रगति होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में यह धारणा बनी हुई है कि औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं द्वारा पश्चिम बंगाल के उद्योगों या संस्थाओं व छोटे उद्यमियों को कार्यकलाप के विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये और सारी स्थिति संसद के सामने रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

———

भारत में सी० आई० ए० की बढ़ती हुई गतिविधियों के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. GROWING C. I. A. ACTIVITIES IN INDIA

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस मामले का बहुत अधिक प्रचार हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण मामला बन गया है। इसका कारण यह नहीं कि सी० आई० ए० ने अपनी कार्यवाहियां भारत में अचानक ही प्रारम्भ की हैं। बल्कि इसका कारण यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने इतने वर्षों के पश्चात अनेक बार यह बात कही है कि भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां बढ़ गई हैं और यह एक चिंता का विषय है। विदेशी जासूसी और तोड़-फोड़ करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों से राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्यों से देश में एक तूफान सा उठा और भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं।

इसकी एक प्रतिक्रिया यह है कि देश के सभी आन्तरिक झगड़ों का कारण इसे बताया जा रहा है और सी० आई० ए० के नाम पर विरोधी दलों पर लांछन लगाये गये हैं। कांग्रेस दल के कुछ सदस्य विशेष रूप से इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें करना इस प्रश्न की गम्भीरता को कम करना है। हमारे दल ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार के व्यक्तियों की निन्दा की है जो सी० आई० ए० की कार्यवाहियों की चर्चा को राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।

इसकी दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई है कि साम्यवादी दल (म०) ने यह कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर कांग्रेस दल ने अपनी आर्थिक नीतियों और कार्यों से सी० आई० ए० को बढ़ावा दिया। अतः अब प्रधान मंत्री को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं। उनकी बातें यदि सत्य हों तो भी अब जबकि सच्चाई प्रकाश में लाई गई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। क्या सरकार खाली बातें ही करती रहेगी अथवा कोई कार्यवाही की जायेगी।

विदेशी गुप्तचर एजेंसियां एक दूसरे देशों में काम करती ही हैं। अत: इस बारे में सन्देह की कोई बात नहीं है कि भारत में भी वह एजेंसियां काम करती हैं। परन्तु वास्तविक कठिनाई तब

उत्पन्न होती है जब राजनयिक छूट प्राप्त किसी व्यक्ति को जासूसी के कार्यों में संलग्न रंगे हाथों पकड़ लिया जाये। ऐसे अवसरों पर उक्त व्यक्ति को अवांछनीय घोषित करके देश से चले जाने को कहा जाता है। किन्तु अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी के खतरे को प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्यों से अचानक प्रकाश में लाया है। अतः इसे साधारण गुप्तचर एजेन्सी के कार्य के सन्दर्भ में नहीं देखा जा सकता। मैं किसी विदेशी गुप्तचर एजेन्सी का पक्ष नहीं लेना चाहता परन्तु यहां हम सी० आई० ए० की गतिविधियों की चर्चा कर रहे हैं। यह एक साधारण गुप्तचर एजेन्सी नहीं है। बल्कि इससे भी कुछ अधिक है।

सी० आई० ए० के क्रियाकलापों के बारे में स्वयं अमरीका में ही अनेक पुस्तकें व लेख प्रकाशित हुये हैं। 1966 में 'न्यूयार्क टाइम्स' ने अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी के बारे में एक लेख माला प्रकाशित की। हाल ही में अमरीकी प्रेस में मि० जैक एंडरसन ने भी इस बारे में कुछ प्रकाश डाला। लन्दन के समाचार-पत्र 'डेली टेलिग्राफ' ने भी सी० आई० ए० की क्रियाविधि के बारे में काफी बातें प्रकाश में लायीं।

सी० आई० ए० के वर्तमान निदेशक मि० रिचर्ड हेल्मस हैं। उनका कार्यालय विराजीनिया में है और उस मुख्यालय में 15,000 व्यक्ति काम करते हैं। सी० आई० ए० का वार्षिक बजट 3000 करोड़ रुपये का वार्षिक है। यह बजट हमारे देश के सारे बजट का लगभग 75 प्रतिशत है। मुख्यालय में इस प्रकार की आधुनिक मशीनें लगी हैं कि विश्व के किसी भी व्यक्ति अथवा घटना के सम्बन्ध में केवल 5-10 सेकेंड के भीतर सूचना प्राप्त हो जाती है।

प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस के अध्यक्ष की चेतावनी के पश्चात अमरीका के गृह सचिव, मिस्टर राजर्स ने वक्तव्य देकर यह स्पष्ट किया कि भारत में सी० आई० ए० की कार्यवाहियां भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इससे इतनी बात तो स्पष्ट होती है कि सी० आई० ए० भारत में कार्य कर रही है।

सी० आई० ए० की गतिविधियां अनेक प्रकार की हैं। एक सुविख्यात अमरीकी पत्र 'न्यूजवीक के अनुसार लाओस में 95,000 व्यक्तियों की एक सेना सी० आई० ए० के अन्तर्गत कार्य कर रही है।

श्री एंडरसन ने 1970 में चिली के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान सी० आई० ए० के हस्तक्षेप की बात प्रकट की है। इसी स्रोत ने यह भी प्रकट किया कि घाना में राष्ट्रपति एन क्रूमाह, कम्बोडिया में सिहनुक और ईराक में मुसद्दक को अपदस्थ करने में सी० आई० ए० का हाथ था। उगांडा के राष्ट्रपति ओबोटो को अपदस्थ करने में भी सी० आई० ए० के हाथ होने की बात कही गई है। राष्ट्रपति आइजनहोवर ने एक बार स्वीकार किया कि सी० आई० ए० के षडयन्त्र के परिणामस्वरूप रूस पर गिराये जाने वाले यू० 2 जहाज की घटना हुई। यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक है। सी० आई० ए० कोई गुप्तचर एजेन्सी नहीं है यह तो एक शक्ति है जो कभी तो अमरीकी सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है और कभी सरकार की जानकारी के बिना कार्य करती है।

बंगला देश की घटनाओं में भी सी० आई० ए० का हाथ रहा है। मार्च 1970 में राबर्ट जैकसन नाम का अमरीकी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में आया। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने रजाकारों तथा अल-बदर के लोगों को स्वतन्त्रता-सेनानियों के मारने के बारे में प्रशिक्षण दिया। राव फरमान अली के पास से बरामद दस्तावेजों से भी पता चलता है कि दो अमरीकी

व्यक्तियों ने ढाका के उन बुद्धिजीवियों के नामों की सूची तैयार की, जिनका बाद में कत्लेआम किया गया। बाद में इन दोनों व्यक्तियों के श्री लंका में होने के समाचार प्रकाशित हुये।

हमें इस बात को सोचना चाहिए कि क्या इस प्रकार की कार्यवाहियां एक साधारण गुप्तचर एजेन्सी का कार्य है ? वस्तुतः यह इस प्रकार की एजेन्सी है जो कि उन सभी देशों में प्रतिक्रिया-वादी तत्वों का साथ देती है जिन देशों की नीतियां अमरीका की नीतियों से मेल नहीं खातीं। जिन देशों में वाममार्गी अथवा समाजवादी शासन हो वहां पर ये एजेन्सी वहां की सरकार के विरुद्ध कार्य करती है और उस सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया जाता है। अतः यह सोचना मूर्खता की बात होगी कि हमारे देश में सी० आई० ए० सक्रिय नहीं तथा पिछले चुनावों में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। 1961-62 के चुनावों के पश्चात उस समय के प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू को अमरीकी दूतावास के चार अधिकारियों को भारत छोड़ने को भारत छोड़कर चले जाने को कहना पड़ा था।

यह संस्था इस प्रकार की कार्यवाहियां करने में सफल किस प्रकार होती है ? इसका उत्तर हमें अमरीका के नेशनल सिक्यूरिटी ऐक्ट, 1947 से प्राप्त होता है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस ऐक्ट की धाराओं की छाया में यह संस्था विभिन्न प्रकार की कार्य-वाहियां करती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी गुप्तचर संस्था ओ० एस०-एस० ने भारत में कार्य प्रारंभ किया। बाद में यही संस्था सी० आई० ए० बनी। हमारे देश की गुप्तचर संस्था से इसका निकट सम्पर्क ही नहीं रहा अपितु यह संस्था उसे सहयोग देती रही। वर्ष 1948 में अमरीकी एजेन्सियों ने भारत, पाकिस्तान तथा बर्मा देशों की सरकारों को इन देशों में साम्यवादियों के सम्बन्ध में सूचना दी जिससे कि उनका दमन किया जा सके।

उन्होंने कहा था कि भारत सरकार अमरीका की एफ० बी० आई० के नमूने पर सी० बी० आई० स्थापित की जायेगी। श्री आयंगर ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये अमरीका भेजा जाएगा।

प्रधान मंत्री ने 1966 में अमरीका का दौरा किया तथा संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया था कि चीन के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान के बारे में भारतीय प्रधान मंत्री तथा अमरीका के राष्ट्रपति सहमत हो गए हैं। तभी से सी० आई० ए० की सहायता ली जाने लगी तथा उसका परिणाम यह हुआ कि जो जानकारी भारतीय जनता और भारतीय प्रेस और संसद् को प्राप्त नहीं थी वह अमरीका के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगे। 'दि न्यूयार्क टाइम्स' में भारत को रूसी सैनिक सहायता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई तथा यह जानकारी इस देश में कभी उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार 'दि लोस एंजिलस टाइम्स' में दिसम्बर, 1966 में 1962 के पश्चात् भारतीय सेना के पुनर्गठन के बारे में ब्यौरा प्रकाशित किया। चैस्टर वाउल्स के अनुसार 1967 में भारत में 9,000 से अधिक अमरीकी थे। मैं यह नहीं कहता कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सी० आई० ए० का एजेंट है। जर्मनी में 'हू इज हू इन दि सी० आई० ए०' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें बहुत से व्यक्तियों की लम्बी सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22 अक्तूबर, के 'न्यू एज' में प्रकाशित उन दस व्यक्तियों के नाम दिये हैं जो कभी न कभी दिल्ली स्थित दूतावास से सम्बद्ध थे तथा

जिन्हें सी० आई० ए० का एजेन्ट कहा जाता है। इस बात का खण्डन भी नहीं किया गया। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं।

हमारे देश में ऐसे विभिन्न संगठन और संस्थाएं हैं जिन्हें सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता मिलती है। कुछ वर्ष पहले पता लगा था कि एशिया फाउंडेशन भी उन्हीं में से एक है तथा उसे बन्द करना पड़ा। श्री जार्ज मोरिस ने अपनी पुस्तक में सी० आई० ए० के कार्यकरण का अच्छा विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि आई० सी० एफ० टी० यू० विभिन्न देशों की ट्रेड यूनियनों को किस प्रकार सी० आई० ए० की निधियों को पहुंचाते हैं। अमरीका की, नेशनल स्टूडेंट्स एसोसियेशन भी सी० आई० ए० की सहायता से चलती है। बल्कि एसेम्बली आफ यूथ नामक संस्था की भारत सहित अन्य अनेक देशों में शाखाएं हैं। उसने विश्व युवक केन्द्र के नाम से भारत में भी चाणक्यपुरी में एक संस्था स्थापित की है। स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी उनकी कोई जांच नहीं कराई गई। ये संस्था अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम बनाती हैं। श्री शर्मन केन्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अमरीका के रक्षा या कृषि आदि सभी विभाग विदेशों में कार्य करते समय गुप्तचरी का कार्य भी करते हैं।

श्री जान स्मिथ ने अपनी पुस्तक में उन भारतीय अधिकारियों, के बारे में लिखा है जिनसे उन्होंने बातचीत की तथा जानकारी प्राप्त की। इस सम्बन्ध में भी रिपोर्ट मिली है कि सी० आई० ए० विद्रोही नागाओं से मिली हुई है। तथा कथित हिमालयन बोर्डर कंट्रीज प्रोजेक्ट को, जिसे कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय ने आरम्भ किया था, बाद में सी० आई० ए० का एजेन्ट पाया गया तथा उसे बन्द करना पड़ा। इस सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व मैंने तथा श्री त्रिदिब चौधरी ने मामला उठाया था।

हाल में भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। 'न्यूयार्क टाइम्स' ने मई में ही कैसे बता दिया कि पूर्व भारत में अक्तूबर में दंगे हो सकते हैं। आसाम ट्रिब्यून में बताया गया कि 10 सितम्बर को डेरांग में एक ट्रांस्मीटर पकड़ा गया। राजस्थान में दो अमरीकी तथा कथित शोध कर्त्ताओं को अनुसंधान करने की आगे अनुमति नहीं दी गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त श्री राजव ने कहा है कि आदिवासियों में भारत विरोधी प्रचार के लिये ग्रामोफोन रिकार्ड बांटे गए। इन सभी बातों को एक विशेष राजनीतिक संदर्भ में देखना होगा (**व्यवधान**) क्या के० जी० बी० को रूस की गुप्तचर एजेन्सी के रूप में मानकर उसे भी सी० आई० ए० की भांति, माना जा सकता है? रूस ने अनेक बार संकट के समय हमारा साथ दिया है। अमरीकी सरकार के रवैये को देखते हुये क्या के० जी० बी० की तुलना सी० आई० ए० से की जा सकती है?

अमरीकी सरकार जानती है उसे आज नहीं तो कल वियतनाम से भागना पड़ेगा। अतः वे अब दक्षिण-पूर्व एशिया में नया बेस बनाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बंगला देश में क्या हो रहा है। बंगला देश के मंत्रियों तथा अन्य प्रमुख प्रवक्ताओं ने अनेक वक्तव्य दिये हैं कि सी० आई० ए० एजेन्ट किस प्रकार भारत और बंगला देश में वैमनस्य पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देरी से ही सही प्रधान मंत्री ने सी० आई० ए० तथा उसकी बढ़ती हुई गतिविधियों में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। किन्तु न्यूयार्क टाइम्स का कहना है कि भारत में फसल खराब होने के कारण भारतीय नेताओं ने अब अमरीका के बारे में विचार बदलना आरम्भ कर दिया है चाहे उसका कारण यह ही क्यों न हो कि भारत को अमरीका के अतिरिक्त खाद्यान्न और कौन सा देश सप्लाई करेगा। मेरा अनुरोध है कि सरकार जनता को एक बार जाग्रत करके पुनः सुलाने का कार्य न करे अन्यथा यह देश के लिये घातक सिद्ध होगा।

मेरा सुझाव है कि सरकार सभी शिक्षा संस्थानों में यह देखने के लिये सतर्क रहे कि वहां सी० आई० ए० अपनी गतिविधियां न चला सके क्योंकि इन्हीं संस्थानों को सरलता से बहकाया जा सकता है। सरकार को इस बात की भी जांच करानी चाहिये कि कौन सा राजनीतिक सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता लेता है। मंत्रालयों और सरकारी विभागों में बहुत से उच्च पदाधिकारी सी० आई० ए० से मिले हुए हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिससे यह बात सिद्ध होती है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत निधि का उपयोग भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिये किया जाता है। मेरा सुझाव है कि इस निधि में खर्च सरकार की देख रेख के अन्तर्गत होना चाहिये। 1967 में भारत में तत्कालीन उच्चायुक्त श्री जान फ्रीमैल ने ब्रिटेन को एक समाचार भेजा था जिसमें कहा गया था चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों को लाखों रुपयों की राशि दी गई है। बहुत पहले इसकी जांच करने का क्या वायदा किया गया था किन्तु उस बारे में कुछ नहीं किया गया।

गत 25 वर्षों में सरकार तथा प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहा। अत: अवश्य कुछ ऐसी घटनाएं होगीं जिनके कारण स्वयं प्रधान मंत्री को सी० आई० ए० से सतर्क रहने की मांग की है। हम सरकार की गम्भीरता पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि अब उसे इस बारे में पूर्ण सतर्क रहना चाहिये तथा सभी मामलों की जांच करानी चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सी० आई० ए० के कार्यकरण के तरीके के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ है क्योंकि स्वयं अमरीकी पत्रकारों ने इस विषय में पर्याप्त विवरण दिया है।

सी० आई० ए० की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हुई तथा इसका उद्देश्य अमरीका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना तथा विदेशों में गुप्तचरी करना है तथा साथ ही अर्द्ध विकसित देशों पर अपना प्रभाव डालना है। उन्होंने भारत को भी नहीं छोड़ा तथा यह समस्या श्री जवाहर लाल नेहरू के समय भी विद्यमान थी, जिन्हें विवश होकर कुछ अमरीकी नागरिकों को देश से निकलना पड़ा।

खेद का विषय है कि कुछ लोग प्रधान मंत्री द्वारा दी गई चेतावनी का मजाक उड़ाने लगे हैं तथा सी० आई० ए० का अमरीकी सरकार से भी अधिक पक्ष लेते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सी० आई० ए० के नाम पर कुछ विरोधी दलों को बदनाम किया जा रहा है। किन्तु वह चेतावनी केवल सी० आई० ए० की गतिविधियों से सतर्क रहने के लिये दी गई थी।

यह भी कहा जाता है कि क्योंकि सरकार आर्थिक स्थिति पर काबू नहीं कर पाई इस लिये सी० आई० ए० का बहाना करके अपने दोषों पर पर्दा डालना चाहती है। यह सच है कि ऐसी संस्था अवसरों की तलाश में रहती हैं तथा जनता में असंतोष का अनुभव करके अपनी गतिविधियां अधिक तेज कर देती हैं। फोर्ड फांउडेशन नेताओं, बड़े एकाधिकार गृहों तथा सरकारी अधिकारियों पर भी अपना प्रभाव डालती है। दिल्ली में 58 मकान किराये पर लिये गए तथा उन्हें मुफ्त में सजाकर उनके मकान मालिकों को वापस कर दिया गया। क्या यह घूस देना या उन्हें लालच देना नहीं है। इंटर नेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट नामक संस्थान भी दिल्ली में कुछ संस्थानों को वित्तीय सहायता दे रहा है तथा यह भी सी० आई० ए० का एक अंग है। कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देती। मेरा निवेदन है कि क्या किसी देश की सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई श्वेत पत्र जारी किया है। सी० आई० ए० किस प्रकार कार्य करती है इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अपना तरीका बदलती रहती है। अतः देश का हित देखते हुये इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये।

सी० आई० ए० का सरकारी प्रचार माध्यमों पर भी प्रभाव पड़ा है। 7 दिसम्बर को टेली-विजन पर हुए एक कार्यक्रम में एन० एस० यू० आई० के जनरल सेक्रेटरी ने युवकों को बताया कि 'भारतीय युवकों को बहकाया जा रहा है। हमारा समाज कितना मुक्त है तथा भारतीय युवकों को हमारा अनुसरण करना चाहिये।' जब कि वास्तविकता यह है कि न्यूयार्क में उसे 6 बजे के बाद होटल से बाहर निकलने से मनाही कर दी गई। अतः इस प्रकार के प्रभुत्व को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे पास कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में एक फाइल है जिसमें ऐसी अनेक प्रेस रिपोर्ट हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वे लोग सी० आई० ए० की गतिविधियों की आलोचना करने के बजाय उनका पक्ष लेते हैं।

अंत में मेरा निवेदन है कि सभी राजनीतिक दलों को सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार की सहायता करनी चाहिये।

श्री समर गुह (कंटाई) : मुझे उन दिनों की याद है जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते समय नेता गण गौरव का अनुभव करते थे तथा उनके लिये राष्ट्रीय परम्परा तथा आदर्श और उसके सम्मान का कितना महत्व था। उन दिनों की याद करके मुझे इस चर्चा में भाग लेने पर लज्जा आ रही है। आज सभा में एक ओर से तो किसी देश की एजेन्सी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है तथा दूसरी ओर से अन्य प्रकार की बातें की जा रही है। यह अपरिपक्वता की स्थिति है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री शंकर दयाल शर्मा ने देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में आवाज उठानी आरम्भ कर दी।

जब कोई राजनीतिक नेता अथवा राजनीतिक दल कोई आरोप लगाता है तो उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है। ऐसा आरोप जिसकी पुष्टि नहीं की जाती केवल राजनीतिक चाल होती है।

कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ के बड़े-बड़े वायदे किये लेकिन आज देश से गरीबों को हटाया जा रहा है। वास्तव में सरकार सी० आई० ए० के नाम पर जनता का ध्यान भुखमरी तथा अन्य समस्याओं की ओर से हटाना चाहती है। सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था असफल रही है। यदि ऐसी कोई बात थी भी तो उसका दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिये था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही देश में राजनीतिक अपरिपक्वता रही है। विदेशी सहायता लेते समय सरकार ने सभी प्रकार के तत्वों को देश में आने दिया तथा उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया।

मैं आपका ध्यान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने 1938 में कहा था देश की आंतरिक नीतियों की विदेश नीति के साथ कभी समता नहीं रखनी चाहिये। वह साम्यवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी थे तथापि उन्होंने सबसे सहायता ली। उन्होंने उस समय जर्मनी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया जब उसने रूस के साथ युद्ध की घोषणा की।

टोक्यो विश्वविद्यालय में उन्होंने 1944 में भाषण दिया तथा उस समय उन्होंने तानाशाही, साम्यवाद, तथा साम्राज्यवाद की कुछ आलोचना की तथा बताया कि मेरे भारत में पृथक प्रकार का समाजवाद होगा। उन्होंने सभी देशों से मित्रता रखी किन्तु किसी देश की आंतरिक नीति को नहीं अपनाया।

अतः किसी भी देश से सहायता लेने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिये किन्तु हमें उनकी आंतरिक नीतियों और आदेशों को नहीं अपनाना चाहिये। जब भी किसी मित्र देश की कोई आलोचना की जाती है तो कुछ लोग बहुत बुरा मानते हैं।

गत लोक-सभा में मैंने कई प्रश्न किये थे जिनमें यह पूछा गया था कि कितनी विदेशी पुस्तकों का आयात किया गया है। उस सम्बन्ध में बड़े-बड़े आंकड़े प्रस्तुत किये गये। मैंने यह भी पूछा था कि देश में मित्र देशों की कितनी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उसके उत्तर में भी सैकड़ों संस्थाओं के नाम बताए गये। मैंने यह भी पूछा था कि प्रचार सामग्री के लिये विदेशी दूतावासों ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को कितने लाख पृष्ठ दिये तथा उसका उत्तर भी भारी आंकड़ों में दिया गया। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सभी सी० आई० ए० की गतिविधियां हैं ?

श्री समर गुह : सी० आई० ए० विदेशी राजनीति का चक्र है जो हमारे देश को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपना केन्द्र बनाना चाहता है। वह हमारे देश को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। यदि हम देश की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हैं तो हमें देश को इस प्रकार के सभी प्रभावों से दूर रखना पड़ेगा।

राजनीतिक दलों के प्रेस विदेशी दूतावासों की करोड़ों पुस्तिकाएं तथा पत्रिकाएं छापते हैं और इन राजनीतिक दलों को विदेशी दूतावासों से करोड़ों रुपये मिलते हैं। इन राजनीतिक दलों का कुछ नहीं बिगड़ता। पिछली लोक सभा में सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि विदेशी दूतावासों के प्रभाव को कम करने और विदेशी धन पर रोक लगाने के लिए इस सदन में एक विधेयक लाया जायेगा। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। देश में विदेशी प्रभाव को रोकना चाहिए। देश में राजनीतिक धन को पनपने नहीं देना चाहिए। इस आश्वासन पर कि, संवाददाताओं, राजनीतिज्ञों, विधान सभा के सदस्यों, संसद सदस्यों, तथा विभिन्न दूतावासों द्वारा प्रायोजित ऐसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो सारे देश भर में विकसित हो रहे हैं, के लिए आचार संहिता बनाई जायेगी, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं सरकार का ध्यान हाल ही में आसाम में हुए दंगों की ओर विशेषतया दिलाना चाहता हूं। अधिकांश विख्यात कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा है कि इन दंगों के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। किन्तु श्री बी० के० नेहरू ने इसका खण्डन करने का प्रयास किया। यहां तक कि आसाम के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बंगालियों के विरुद्ध आसाम के लोगों का वस्तुतः कोई बड़ा भारी विद्रोह नहीं था। हमारे पास इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि आसाम में भाषायी दंगों में विदेशी एजेंटों ने बड़ी भयानक भूमिका निभाई है। सरकार को इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तत्काल जांच करानी चाहिए।

इस बारे में एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए और एक ऐसा विधेयक भी लाया जाना चाहिए जिससे कि विदेशों से आयातित, गन्दे और तोड़ फोड़ का प्रचार करने सम्बन्धी साहित्य वाली पुस्तकों के परिचालन पर रोक लगायी जा सके। विदेशी दूतावासों से संवाददाताओं द्वारा उपहार अथवा अन्य प्रकार के दान लेने पर रोक लगायी जानी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के प्रेस की किसी विदेशी दूतावास की किसी भी प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं

दी जानी चाहिए। किसी प्रेस अथवा पत्रिका को प्रेस परिषद की अनुमति लिए बिना किसी विदेशी दूतावास की किसी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। किसी भी समाचार-पत्र को दूतावासों की सामग्री जांच पड़ताल किए बिना प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बड़े खेद का विषय है कि कोरिया के सम्बन्ध में लगभग सारे बड़े बड़े समाचार पत्रों में दो दो-तीन-तीन पृष्ठों की सामग्री प्रकाशित की गयी थी पता नहीं इस देश का क्या होगा। हमें किसी भी विदेशी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसा कि आश्वासन दिया गया था, इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): सी० आई० ए० की गतिविधियों के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता है कि सी० आई० ए० अपनी गतिविधियां यहां बहुत ही सुचारु रूप से फैला रही है। यह बहुत ही असामान्य बात है कि जब इस देश के प्रधान मंत्री ने यह संकेत दिया है कि किसी विदेशी एजेंसी की यहां कुछ गतिविधियां बढ़ गई हैं और इस बात की देशवासियों को चेतावनी दी है तो इस सम्बन्ध में कुछ वर्गों में जो प्रतिक्रिया हुई है वह इस बारे में चिन्ता के लिए नहीं हुई है अपितु इसलिए हुई है कि सी० आई० ए० का पक्ष लेते हुए यह सिद्ध किया जाए कि यहां सी० आई० ए० काम नहीं कर रही है। किन्तु इस बात का खण्डन भी नहीं किया गया है कि सी० आई० ए० जैसी एजेंसी यहां कार्य कर रही है। सी० आई० ए० यहां अत्यन्त विध्वंसक कार्य कर रही है। यहां तक कि सी० आई० ए० ने स्वयं भी इस बात का खण्डन नहीं किया है कि उसने अपने कार्य संचालन में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने में सीमाओं का उल्लंघन किया है। अपितु वह अन्य क्षेत्रों में भी जाकर कार्य करती है। यह सी० आई० ए० के कार्य करने का एक तरीका है। सी० आई० ए० में दो प्रकार के एजेन्ट हैं। एक तो वे जो गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। दूसरे वे एजेंट हैं जो अत्यन्त कठिन और विध्वंसक कार्य करने में निपुण होते हैं। अब तो सी० आई० ए० अमरीकी प्रशासन के लिए भी एक समस्या बन गई है। क्योंकि यह एजेंसी सीधे अमरीकी राष्ट्रपति को ही सूचना भेजती है। सी० आई० ए० नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का एक अंग है। यह एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए अमरीका के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए यह वहां की समस्त राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का एक अंग है और इसी उद्देश्य से यह एजेंसी न केवल गुप्त सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य करती है अपितु कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए भी कार्य करती है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें केवल यही नहीं देखना होगा कि क्या यहां सी० आई० ए० कार्य कर रही है अपितु यह भी देखना होगा कि क्या यहां सी० आई० ए० कार्य नहीं कर रही है। यही तरीका है जिससे हमें यह देखना होगा कि क्या यहां सी० आई० ए० अपनी गतिविधियां चला रही है अथवा नहीं और भारत की प्रधान मंत्री ने एक हलकी सी चेतावनी दी है कि सी० आई० ए० ने भारत में हाल ही में अपनी गतिविधियां तेज करदी हैं। भारत में यह कोई नई घटना नहीं है। सी० आई० ए० यहां अपना काम कर रही है। अब केवल यह चेतावनी दी गई है कि उसने अपनी गतिविधियां तेजकर दी हैं। किन्तु क्यों ? यह चेतावनी इस देश के उन लोगों के लिए है जो जाने अनजाने सी० आई० ए० की गतिविधियों का शिकार बन सकते हैं। जब यह चेतावनी प्रधान मंत्री द्वारा दी जाती है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह सचेत और सतर्क रहे जिससे वह इसके किसी शिकंजे का शिकार न बनने पाये। परन्तु, यह बड़ी विचित्र बात है कि कुछ लोगों ने कुछ क्षत्रों में अलग ही रवैया अपनाया है और वे यह कहने लगे हैं कि यहां सी० आई० ए० काम नहीं कर रही है और वे इसका प्रमाण मांगते हैं। कोई भी सरकार ऐसी बात का प्रमाण नहीं दे सकती। किसी देश में कार्य करने वाली सतर्क गुप्तचर एजेंसी यह नहीं कहती कि उसने कोई सूचना एकत्र की है। इसलिए जो

लोग यह मांग करते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण दिया जाए, तो वे अपनी गतिविधियों का बचाव करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के तर्क से सावधान रहना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को वास्तविक रूप से संदिग्ध समझा जाना चाहिए। सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिए।

मेरे एक मित्र ने यहां कहा है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं की ओर से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में केवल हलकी सी चेतावनी दी गई है जो यहां व्याप्त अन्य वास्तविक समस्याओं की ओर से लोगों का ध्यान नहीं हटा सकती और कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास ही कर सकता है कि ऐसी हलकी सी चेतावनी से इस देश के लोगों का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मामलों से हटाया जाए।

यह तो सर्वविदित बात है कि प्रत्येक देश की अपनी गुप्तचर सेवाएं होती हैं। प्रत्येक देश में प्रत्येक विदेशी दूतावास की अपनी अपनी गुप्तचर सेवाएं होती हैं जो गुप्त जानकारी एकत्र करती हैं। यह निर्विवाद बात है। किन्तु विवाद वहां उठता है जब कि गुप्त सूचनाओं की एकत्र करने वाली एजेंसी कार्य संचालन करने वाली एजेंसी का रूप धारण करती है। आप किसी देश के लोगों की निष्ठा को खरीदने के लिए रुपया खर्च नहीं कर सकते। आप किसी देश की सरकार के विरुद्ध कार्य संचालन करने हेतु अन्य देशों में गुट बनाने और तोड़ फोड़ की कार्यवाही के लिए धन खर्च नहीं कर सकते। जब दो एजेंसियां अलग अलग पृष्ठ भूमि में कार्य कर रही हों तो लोग उनकी अपनी अपनी पृष्ठ भूमि के सन्दर्भ में निर्णय कर लेंगे **(व्यवधान)**। इस देश में भिन्न-भिन्न एजेंसियां कार्य कर रही हैं। हम उनके कार्यसंचालन पर उनकी अतीत की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय करते हैं। मेरे एक मित्र ने रूस की गुप्तचर एजेंसी के० जी० बी० का भी उल्लेख किया है। किन्तु रूस का इस देश के साथ विशेष सम्बन्ध रहा है। रूस ने हमारे देश पर संकट आने पर हमारा साथ दिया है और हमारी सहायता की है। गत 25 वर्षों में रूस हमारे देश का सच्चा मित्र रहा है। इस लिए जब यह गुप्तचर एजेंसी यहां गुप्त सूचनाएं एकत्र करती है तो हम इस पर शंका नहीं करते। किन्तु यह बात नहीं है कि रूसी गुप्तचर एजेंसी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह एजेंसी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। फिर भी रूस हमारा मित्र है और आवश्यकता पड़ने पर रूस ने हमारी सहायता की है। क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि के० जी० बी० द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है? ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है।

हमारी प्रधान मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही यह चेतावनी दी है कि कुछ वर्गों द्वारा देश में तोड़ फोड़ की कार्यवाही की जा रही है और देश के लोगों को इससे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यह चेतावनी किसी की निन्दा नहीं है अपितु देशवासियों को सतर्क करना मात्र है। अतः हमें उन सब घटनाओं से जो अन्य देशों में घट रही हैं, उनसे बचना चाहिए और ऐसी खतरनाक कार्यवाहियों को यहां नहीं होने देना चाहिए। इस चेतावनी का यही मूल्य हैं। प्रधान मंत्री की इस चेतावनी का उपहास करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस चेतावनी की घोषणा को अमरीका में टेलीविजन पर दर्शाया गया था और इसे बड़ी गम्भीरता से लिया गया था। सी० आई० ए० का पक्ष लेने वाले लोगों को हमारे देश के नेताओं का साथ देना चाहिए और इस एजेंसी की गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायता करनी चाहिए।

अतः प्रधान मंत्री की इस चेतावनी का जिस किसी ने भी उपहास करने का प्रयास किया है, वह केवल देश द्रोही कार्य है और अत्यन्त निन्दनीय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गैर सरकारी सदस्यों के इस संकल्प को प्रस्ताव के रूप में लाया जाना चाहिए था किन्तु सत्ताधारी दल ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं की। इस लिये इस बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा मात्र ही की जायेगी।

सी० आई० ए० मानवता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद के लिये बहुत बड़ा अभिशाप है। सी० आई० ए० का यह उद्देश्य है कि समस्त विश्व के ऊपर अमरीका का नव-उपनिवेशवाद तथा आर्थिक प्रभुत्व जमाना है? इस समय संसार के छोटे-छोटे देशों में सी० आई० ए० ने जो कुछ किया है उसे हमने देखा है। एक बार श्री चह्वाण जब वे गृह मंत्री थे, ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि देश में विदेशी एजेन्सियों से बड़ी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यहां आ रही है। इस बात की हमें बड़ी चिन्ता है क्योंकि इससे हमारे लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील आन्दोलनों को कुचला जा रहा है। हम भी सी० आई० ए० का लक्ष्य बने हुये हैं। हमने इनके हाथों में काफी कष्ट उठाया है। ऐसा लगता है सी० आई० ए० की गतिविधियों में सत्ताधारी दल के कुछ व्यक्तियों का भी हाथ है।

एक समाचार-पत्र के अनुसार सी० आई० ए० स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। श्री चह्वाण ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सी० आई० ए० भारत में चार केन्द्रों—पटना, बंगलौर और दो और स्थानों—से अपना कार्य संचालन कर रहा है। भारत में जहां कहीं अमरीकी सरकार के अधिकारी या कार्यालय हैं वहीं पर सी० आई० ए० के एजेन्ट रहते हैं। राजनीतिक लोगों, मंत्रियों, प्रशासकों, रक्षा, पुलिस, प्रेस और रेडियो संस्थानों में सी० आई० ए० का बहुत गहरा प्रभाव है। यहां तक कि नक्सलवादी आन्दोलन भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। सी० आई० ए० ने लेखकों, फिल्म निर्माताओं, धार्मिक संस्थानों, व्यक्तियों, शांति सेना जैसी सामाजिक सेवा संस्थाओं, तथा विदेशी मिशनों को भी प्रभावित किया है।

29, अक्तूबर 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के अनुपूरकांक से एक उद्धरण के अनुसार सी० आई० ए० ने अनेक माध्यमों से भारत में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, पी० एल०-480 की निधियों से अमरीकी स्वार्थों और गत दिसम्बर के भारत-पाक युद्ध के दौरान निक्सन प्रशासन के भारत विरोधी रवैये को तेज कर दिया गया है। सी० आई० ए० ने एशिया फाउन्डेशन के माध्यम से हड़तालों के इतिहास को प्रकाशित करने का कार्य लेने के लिये श्रम शिक्षा सेवा शिविरों को वित्तीय सहायता दी है। वरिष्ठ कृषि अधिकारियों तथा कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को शामिल कर भारतीय कृषि में अमरीका का प्रत्यक्ष हस्तक्षप बहुत दुःखदाई और खेदपूर्ण है। इसमें एक भूतपूर्व सचिव जो अब एक राज्य के राज्यपाल हैं, इसमें शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों का बहुत हस्तक्षेप और प्रभाव है और हमें इनके प्रभाव की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। अमरीकी राजदूतों को अन्तरिम धन दिया जाता है जिससे वे धर्मार्थ संस्थाओं को दान दें। जान कैन्नेथ गैलब्रैथ की पुस्तक 'एम्बसैडर्स जनरल' से पता लगता है कि सी० आई० ए० किस प्रकार से भारत में अपनी गतिविधियां चला रहा है।

"जानसन्स मेमायर्स" नामक पुस्तक में कहा गया है कि भारत सरकार के कुछ उच्च अधिकारी, जिनमें तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री और खाद्य सचिव भी शामिल हैं, अमरीका के हित में कार्य कर रहे थे। 1968 में "वाशिंगटन पोस्ट" में बताया गया है कि केरल में जब ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद की संयुक्त मोर्चा की सरकार थी तो उसके एक मंत्री ने इस सरकार को गिराने हेतु प्रयास करने के लिये 3.50 लाख रुपये (50,000 डालरों) की मांग की थी।

एक पत्रिका के अनुसार भारत में अमरीकी शिक्षा संस्थान भारतीय विद्वानों को शिक्षित करने के लिये विशेषकर मद्रास में बहुत सक्रिय हैं। ये शिक्षा संस्थान मद्रास के शिक्षा संस्थानों को

बहुत वित्तीय सहायता देते हैं। इन संस्थानों का सी० आई० ए० के साथ सम्बन्ध है। मेरे पास सूचनाएं हैं कि सी० आई० ए० देश में 8 राजनीतिक दलों को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है।

सेक्सटनरल असिस्टेंट 1968-69 तथा 1969-70 नामक एक पुस्तिका के पृष्ठ 123 में बताया गया है कि भारत ने 1956 से 31-3-1969 तक पी० एल०-480 के अन्तर्गत अमरीकी सरकार के साथ 14 करार किये हैं और दो करार 2 मार्च 1970 के अन्त तक हुये हैं। ये 16 करार कुल 2270.83 करोड़ रुपये की राशि के हैं। इस पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि आयातित वस्तुओं के बराबर रुपये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में अमरीकी सरकार के खाते में जमा कराये गये हैं। आर्थिक विकास की परस्पर स्वीकृत परियोजनाओं में वित्तीय सहायता देने हेतु भारत सरकार को ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता देने के लिये जमा कराये गये रुपये का अधिकांश अंश (लगभग 80 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है। शेष 20 प्रतिशत धन अमरीकी सरकार, जो (क) भारत में अपने उपयोग के लिये और (ख) 'कुली ऋण' के रूप में प्रसिद्ध संयुक्त भारत-अमरीकी उद्यमों को ऋण देने के लिये स्वयं उपयोग में लाने के लिए रखा गया है। इस "कुली ऋण" से भारत की बड़ी बड़ी कम्पनियों को 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। ये कम्पनियां अमरीका की संगठनों की ओर से यहां कार्य कर रही हैं और सी० आई० ए० की गतिविधियों के लिये इसे वित्तीय सहायता देती रहती हैं।

यही सी० आई० ए० भारत में यू० एस० फाउंडरेशन के साथ भी सम्बन्धित हैं। संस्कृति और शिक्षा के नाम पर भारत में स्थापित यू० स० फाउंडेशन के सारे संस्थान सी० आई० ए० के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में भी घुसपैठ हो रही है। मन्त्रालय की जानकारी के ही बिना फोर्ड फाउन्डेशन से 80 लाख डालर दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्राप्त किये। इसे बाद में नियमित कर दिया गया।

चीनी अध्ययन विभाग (हांगकांग टाइप) अमरीकी धन की सहायता से प्रारम्भ किया गया। छात्रवृत्तियां भी इसी धन से दी गईं। क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रो० वाइस चान्सलर जो संसद सदस्य भी हैं और जो किसी समय चीनी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष थे, अमरीकी समाचारपत्र 'आन प्राबलम आफ कम्युनिज्म' के लिए लेख देते रहे हैं। विधि संकाय के अध्यक्ष का सी० आई० ए० से सीधा सम्पर्क था। मैं जानना चाहता हूं कि 'दिल्ली स्कूल आफ एकानामिक्स' के कितने प्रोफेसर अमेरिका जा चुके हैं।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'आनन्द बाजार पत्रिका' के एक निदेशक को हांगकांग क्रेप भेजते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। गृह मन्त्रालय के दबाव के कारण चार घण्टे की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।

महेश योगी, आनन्द मार्ग और बालयोगेश्वर जैसी धार्मिक संस्थाओं को भी यह सरकार प्रोत्साहन देती है। यह सरकार आर्थिक ह्रास की ओर भी देश को अग्रसर कर रही है। बोकारो में धमन भट्टी समय से पहले शुरू करके उसे नष्ट कर दिया गया। भिलाई में भी उन्होंने यही किया। बिली ग्राह्मको नागालैण्ड जैसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्यों जाने दिया गया ? प्रधान मन्त्री ने मन्त्रालय की सलाहकार समिति में स्वयं स्वीकार किया था कि बाप्टिस्ट मिशन सी० आई० ए० से सम्बन्धित है। यह श्री निक्सन को आत्मसमर्पण है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष थीं, तब विमोचन समारम के साथ 1959 में सीधा सम्बन्ध था। मद्रास स्थित अमेरिका के महावाणिज्य दूत श्री फ्रैन्कलिन ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में मुख्यमन्त्री श्री आर० शंकर को एक चेक भेजा था, जो बीच में ही पकड़ लिया गया था।

एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान विधान सभा में जनसंघ के एक विधायक श्री मनोहर लाल गुप्ता ने आरोप लगाया था कि 1967 के आम चुनावों को लड़ने के लिए श्री राज बहादुर ने सी० आई० ए० से एक व्यक्ति के माध्यम से 40,000 रु० प्राप्त किए थे। नौवहन और संसदीय कार्य मन्त्री श्री राज बहादुर इसका खण्डन करें। मैं यह समाचार सभा पटल पर रखना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

क्या यह सच नहीं है कि भारतीय गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के दक्षिण चीन और तिब्बत में अध्ययन कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था सी० आई० ए० ने की थी। क्या यह भी सच नहीं है कि सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों को छापामार युद्ध में अमरीकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दक्षिण वियतनाम भेजा गया था? मैं यह जानना चाहता हूं कि गुप्तचर प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कितने अधिकारियों को अमेरिका भेजा गया? क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि अमरीका के बी० 52 विमानों को चीन के ऊपर फोटो लेने के लिए उड़ान करने के लिए भारतीय हवाई अड्डों का उपयोग करने दिया गया? मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि अमरीकी सरकार अथवा सी० आई० ए० के साथ अभी भी कौन कौन सी व्यवस्थायें जारी हैं?

प्रधान मन्त्री कहती हैं कि उनके पास सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में निश्चित जानकारी है और उप मन्त्री श्री मोहसिन कहते हैं कि पंजाब के छात्र आन्दोलन में विदेशी तत्वों के सहयोग करने की कोई सूचना नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाय।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : किसके माध्यम से प्राप्त किये? आप नाम बता सकते हैं? मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह गलत प्रक्रिया है।

श्री राजबहादुर : मैं श्री बसु को चुनौती देता हूं कि वह अपने आरोप को सिद्ध कर दें, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर वह सिद्ध न कर पायें, तो वह इस्तीफा दें। (**व्यवधान**)

यह आरोप लगाया गया है कि श्री एस० के० पाटिल ने सी० आई० ए० से रुपया लेकर मुझे दिया; इस बारे में श्री एस० के० पाटिल से पूछताछ की जाय।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की जनता और सभी राजनैतिक दलों को यह चेतावनी दी है कि वे सी० आई० ए० की गतिविधियों की शिकार न हों। परन्तु हमें अपने अधिकारियों पर शक नहीं करना चाहिए, उनका भी आत्म-सम्मान होता है।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

कुछ लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं मानो सी० आई० ए० की गतिविधियों से देश बरबाद हो रहा है। यह गलत धारणा है। यह देश शताब्दियों के आक्रमण के पश्चात् भी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे हुए हैं। इस देश की जनता देशभक्त है और सी० आई० ए० अथवा के० जी० बी० से अत्यधिक भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान मन्त्री की चेतावनी ही पर्याप्त है।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सी० आई० ए० इस देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सक्रिय है। एक समाचार के अनुसार सी० आई० ए० में 16,000 व्यक्ति हैं, जिनमें से 30% पी० एच० डी०, भाषाविद, अर्थशास्त्री, मनोविश्लेषक, कृषिशास्त्री, रसायनशास्त्री, भूगोलशास्त्री आदि हैं।

सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष डा० शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि सी० आई० ए० भारत-बंगलादेश सम्बन्धों को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और अन्य समस्याओं का कारण भी यह संगठन ही है। उसके बाद प्रधान मन्त्री ने कहा कि सी० आई० ए० इस देश में सक्रिय है और सी० आई० ए० यह सिद्ध करे कि वह इसे देश में सक्रिय नहीं है। यह वक्तव्य उस समय दिया गया जब कि हमारे वित्त मन्त्री श्री चह्वाण वाशिंगटन में वार्ता कर रहे थे।

श्री वी० पी० नायक और श्री त्रिपाठी को छोड़कर लगभग अन्य सभी कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियों ने भी सी० आई० ए० की गतिविधियों का उल्लेख किया। गृह सचिव ने भी कहा कि सी० आई० ए० देश के पूर्वी भाग में सक्रिय है।

बिहार परिषद में जनसंघ के एक नेता ने कहा था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में सी० आई० ए० बहुत सक्रिय है। राजस्थान में जनसंघ के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मन्त्री श्री राजबहादुर ने 1967 में चुनाव लड़ने के लिए सी० आई० ए० से धन प्राप्त किया...**(व्यवधान)**

श्री राजबहादुर : सदन के बाहर आरोप लगाकर देखें...**(व्यवधान)**

श्री जी० विश्वनाथन : प्रावदा के अनुसार सी० आई० ए० अब स्वतन्त्र पार्टी के बजाय अधिक सुसंगठित जनसंघ की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। जैक एण्डरसन पेपर्स ने एक दो केन्द्रीय मन्त्रियों का सम्बन्ध सी० आई० ए० बताया हैं।

यदि गुप्तचर की गतिविधियां अपनी सीमा पार करके देश के कार्य में हस्तक्षेप करने लगें, तो गम्भीर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रधान मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री के वक्तव्य देने मात्र से काम नहीं चलेगा।

विदेश मन्त्री श्री स्वर्ण सिंह को अमरीकी विदेश मन्त्री श्री रोजर्स ने आश्वासन दिया है कि सी० आई० ए० की गतिविधियां भारत के हितों में बाधक नहीं होंगी अब यह सरकार पर निर्भर करता हूं कि वह इस आश्वासन को स्वीकार करे या न करे ।

सी० आई० ए० ही नहीं, अन्य गुप्तचर एजेन्सियां भी देश में सक्रिय हैं। सी० आई० ए० हो अथवा के० जी० बी०, हमें उनकी गतिविधियों को न तो कम करके आंकना चाहिए और न बढ़ा

चढ़ाकर ही आंकना चाहिए। इन गतिविधियों को राजनैतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।

जासूस जासूस है, भले ही उसका व्यवहार मित्रतापूर्ण हो। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में न तो स्थायी मित्र होते हैं और न स्थायी शत्रु। स्थायी तो केवल हित हुआ करते हैं। 1962 में हमें अपनी गलतियों का दण्ड भुगतना पड़ा।

क्या सरकार को राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी है ? क्या सरकार राष्ट्र विरोधी और जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई विशेष कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The C.I.A. is active in those areas where colonialism is being suppressed and where efforts are being made to strengthen the political structure on democratic lines. They are forcing the small nations to join military groups.

The C.I.A. had a hand in the conspiracies against Ex-President of Indonesia Sukarno, Ex-PM of Iran, Dr. Musaddik, Ex-President of Ghana, Enkrumah etc. In India, C. I. A. is engaged in inciting communal riots, lock outs and smuggling of gold worth 300 crores of rupees into the country and thus wrecking our country's economy.

The C.I.A. in India has addresses of nearly 6 lakh persons. They know their religious as well as political ideology. No country has got a right to encourage activities of sabotage in any other country.

This agency is still operating in Delhi. The Vishwa Yuvak Kendra is still operating and we have given them land worth 40 to 50 lacs of rupees. The Government has not disclosed the names of the persons having connections with Asia Foundation. Two Ministries—Agriculture and Education are the worst victim of C.I.A. We should get rid of the advisers.

A Chinese Agency is also active in the name of Social Welfare Department. The Chinese Agency and C.I.A. are now collaborating, which spells danger for the whole of Asia. One million Chinese were murdered in Indonesia at the instance of C.I.A. They are trying to work against the public sector. The various religious organisations are encouraged to brain wash the people of the country.

Now the Prime Minister and the Congress President want the people to beware of the activities of this organisation. There could be no danger when we are alert. I would also urge the Government to ask the foreign advisers and foreign agencies like Ford Foundation to leave our country.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सभापति महोदय, यह सरकार जब प्यार की बंशी बजा रही है, उस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त घृणा का नगाड़ा पीट रहे हैं।

स्वभावतः अब प्रश्न यह उठता है कि सी० आई० ए० के बारे में शोरगुल अचानक ही समाप्त क्यों हो गया ? यदि सी० आई० ए० की गतिविधियां वास्तव में खतरनाक थीं, तो अब उनमें कैसे परिवर्तन हो गया। आज प्रातः समाचार-पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि जो सी० आई० ए० के विरुद्ध अधिक शोरगुल करते हैं, वे स्वयं सी० आई० ए० के एजेन्ट लगते हैं। यदि प्रधान मन्त्री कहती हैं कि सी० आई० ए० की गतिविधियां देश के लिए इतनी खतरनाक हैं तो सरकार ने इस बारे में क्या किया है और क्या करने का विचार है ? हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने का अधिकार है परन्तु हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है।

जब विदेश मन्त्री अमरीका गए और श्री रोजर्स से मिले तब उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई-उसके बारे में मेरे पास कुछ भिन्न बात आई है।

बाद में भारत और अमरीका के बीच प्रेम-भाव बढ़ाने की बात चली परन्तु यह बात प्रेमभाव के लिये नहीं है।

मैं भारतीय नागरिक और संसद सदस्य होने के नाते यह पूछना चाहता हूं कि यदि ये गतिविधियां इतनी खतरनाक हैं तो क्या भारतीय संसद इन घटनाओं की अनदेखी कर रही है ? क्या भारत की प्रधान मन्त्री कहेंगी कि भारत के प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री ने श्री रोजर्स के साथ यह मामला निपटा दिया है ?

मेरा निवेदन है कि भारतीय संसद का इस मामले में जांच करने की मांग करनी चाहिए। इसकी संसदीय जांच होनी चाहिए। सरकार को यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस मामले में संसदीय जांच की जाये। चूंकि यह मामला सी० आई० ए० की गतिविधियों तक ही सीमित है अतः मैं इससे अधिक नहीं बोलना चाहता, परन्तु हमें अन्य गतिविधियों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। जब इस ओर ध्यान दिलाया गया है और जब सी० आई० ए० की गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ साक्ष्य एकत्र किये गए तो वे सभी तथ्य हमारे पास होने चाहिएं।

Shri Jagannathrao Joshi : (Shajapur) : I welcome this discussion on C.I.A. activities because it may draw the attention of the Government. Just now when allegation was made against Shri Raj Bahadur, he lost his temper...

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : The letter which has been referred to contains allegations against Shri Patil, not against me.

Shri Jagannathrao Joshi : Since 1967, the Jan Sangh has been demanding persistently that there should be a ban on foreign money. The source of that money, its distribution etc. should be inquired into. But when we asked some days back, the Minister of Finance replied that it was not in the public interest to disclose. What does it mean ? If it is not disclosed in the public interest, what is public interest then ? Is it to defame the opposition ? We brought to the notice of the Government certain activities of the C.I.A. because we feel that anti-national activities should be checked. It thas been said that there were three attempts on the life of the Prime Minister. If it is so, it is the duty of the Government to bring the culprits to book.

But it seems that the bogey of the C. I. A. is raised simply to malign the opposition parties.

If serious action is taken against the C.I.A. by our Government that does not mean that we are not having good terms with U. S. A. In politics there is no permanent friendship or hostility. Our national interest should be kept supreme.

It is the responsibility of the Government to watch the activities of the various missionaries, professors working in various places and take firm action against them. There should not only be a Parliamentary Committee to probe into the matter but the opposition parties should also be taken into confidence.

The Prime Minister should not have involved herself in the whole affair. She should have done this through the Congress President. Now after 25 years our diplomacy should have been mature. The C.I.A. is not a petty agency. If we have no facts about the charges we level, we become ridiculous in the eyes of the world.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मैं यह नहीं समझ सका कि मुझे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यहां पर उपस्थित सदस्यों ने सी० आई० ए० के बारे में जो कुछ कहा है वह जानकारी उन्हें अमरीकी स्रोतों से मिली है, किसी अन्य स्रोत से नहीं।

उनके भाषण सुनकर मुझे लगा कि सी० आई० ए० के विरुद्ध उनके विचार एक ही थे शब्द अलग-अलग थे।

सी० आई० ए० ने विभिन्न देशों में क्या-क्या किया, इसकी जानकारी हम सबको है परन्तु भारत में इसने क्या किया इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने कई बार यह जानने की कोशिश की है कि सी० आई० ए० इस देश में क्या कर रही है। मैं एक अध्याय का उद्धरण दे सकता हूं परन्तु मेरे पास समय नहीं है। 15 जून, 1967 को श्री मसानी ने सी० आई० ए० की गतिविधियों का पता लगाने के बारे में एक बहुत ही भावपूर्ण तर्क दिया था और कहा था कि यह बहुत ही आवश्यक है कि इसे प्रकाशित किया जाये। इस देश में कोई जैक एन्डरसन नहीं है। भारत में आर० ए० डब्लू० और सी० बी० आई० पर पुस्तकें लिखने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश के मामलों पर खुले रूप से चर्चा कर सके। हमारा समाज इस सम्बन्ध में बड़ा कमजोर है। हम सर्वविदित तथ्यों पर चर्चा करना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ क्योंकि हमने उस जांच की मांग की थी जिसके लिए आश्वासन दिया गया था। जांच की मांग हमने इसलिये की थी कि हमें अधिक जानकारी मिले। जैसा कि मैंने सुना है, इस जांच से पता चला है कि स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर सात राजनीतिक दलों में फैले 169 अभियानों को रूस द्वारा धन मिला था। अभी हाल ही में मुझे सूचना मिली है कि 175 संसद सदस्य उनके यहां से वेतन लेते हैं। (**व्यवधान**) यदि कोई उनसे वेतन पाता है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए।

मेरे बारे में कई बातें कही गई हैं कि मैंने वह 'बैज' क्यों लगा रखा था। उसे मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है चाहे श्री स्टीफन पहले उपस्थित न हों...उन्होंने कहा कि यह बफूनरी (दिल्लगी) है। यदि मैं उनसे पूछ सकता कि यह सूचना वह किसकी ओर से लाये हैं—क्या वह कोई दलाली कर रहे हैं, मैं और तेज होकर उनसे पूछता। * *

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इसे वापस लें।

श्री पीलू मोदी : मैं इसे केवल वापिस ही नहीं लूंगा अपितु आपसे इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने के लिये भी अनुरोध करूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे मैं नहीं समझता हूं परन्तु इसे मुझ पर लागू करना आपत्तिजनक है। मैं मांग करता हूं कि वह इस शब्द को वापिस लें।

श्री पीलू मोदी : 'बफूनरी' (दिल्लगी) जैसे शब्द को संसद में स्वीकार्य शब्द समझा जाता है, मैं यही बात कह रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं फिर इसे दोहराता हूं कि यह पूर्णतया 'बफूनरी' (दिल्लगी) है। मैं इसे वापिस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : आपका यह कहना है कि ये शब्द संसद के उपयुक्त नहीं हैं। अतः मैं आपसे उन्हें वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री पीलू मोदी : मैं उन्हें पहले ही वापिस ले चुका हूं ।

सभापति महोदय : मैं यह आदेश देता हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी में बोले गये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाएं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या 'बफूनरी' शब्द किसी भी व्यक्ति के बारे में उपयोग किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : इस समय इसका उपयोग नहीं किया गया है ।

श्री पीलू मोदी : गुप्त एजेन्सियां संसार भर में, भारत में भी, काम कर रही हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने भी समय-समय पर इन एजेन्सियों की सहायता ली है । इस प्रकार विभिन्न एजेन्सियों का नाम लेकर विरोधी दलों को बदनाम किया जाता है । मैं उन गुप्त एजेन्टों को क्या सूचना बेच सकता हूं । यह बात तो सरकार के मंत्री गण ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ही कोई सूचना हो सकती है, मेरे पास नहीं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभी सदस्यों ने इस प्रकार की एजेन्सियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है और निश्चय ही इस संसद के लिये भी यह एक चिन्ता का विषय है ।

यहां बहुत सी बातें कही गई हैं पर कुछ बातें बिना सोचे विचारे ही कही गईं । जैसे श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वियतनाम प्रशिक्षण के लिये भेजा गया फिर बैप्टिस्ट चर्च के बारे में भी कुछ कहा गया । इस धर्म निरपेक्ष देश में इस प्रकार धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मेरी बात सुनी जाय । मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि मेरा नाम लिया गया है । **

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) **

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

सभापति महोदय : आप दोनों बैठ जाइये । जो कुछ उन्होंने कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : फिर श्री पीलू मोदी ने कहा कि संसद के 175 सदस्य एक विदेशी फर्म से वेतन पाते हैं । इस प्रकार की ओछी बात कहना और वह भी अपने साथियों के बारे में एक माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता ।

जैसा कि हम सभा को आश्वासन दे चुके हैं कि हम विदेशी खुफिया एजेन्सियों की गति-

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

* Not recorded.

विधियों पर पूरी नजर रखे हुये हैं और उससे सम्बन्धित जानकारी को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

गुप्त एजेन्सियां एक अंतर्राष्ट्रीय सत्य है। वे सब देशों में हैं। पर उनका विद्यमान होना इतना आपत्तिजनक नहीं, जितना कि उनका देश की आन्तरिक बातों में दखल देना है। हम इस दखल को कभी भी सहन नहीं कर सकते। हमारा समाज एक स्वतन्त्र समाज है पर हम इसमें किसी अन्य का दखल सहन नहीं कर सकते। हम इस तरफ से आंख नहीं मूंदे हुए हैं वरन् सतत् रूप से जागरूक हैं।

बहुत से मित्रों ने विदेशी धन का जिक्र किया तथा उसके सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी। उसकी कुछ सीमाएं हैं। उसे गुप्त साक्ष्यों के आधार पर ही जांच करनी पड़ती है और उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। सभा को इस बात की जानकारी है कि हमने कुछ संस्थाओं का यहां कार्य करना बन्द कर दिया है। सभा को इस बात की भी जानकारी है कि सरकार ने समाज शास्त्र अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। इससे देश के विद्वान विदेशी संस्थाओं पर अधिक निर्भर नहीं रहेंगे।

हमने विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को विदेशी एजेन्सियों द्वारा अप्रत्यक्ष सहायता दिये जाने का भी अध्ययन किया है। इस क्षेत्र में गलत तरीके इस्तेमाल किये जाने पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) विधेयक, 1972 प्रस्तुत किया है।

कुछ विदेशी विद्वानों की संदेहास्पद गतिविधियों का जिक्र किया गया है। हम वास्तविक विद्वानों का आदर करते हैं पर साथ ही हमें देश के हित को ध्यान में रखकर इस पर निगाह रखनी चाहिये कि साहित्य और शिक्षा की आड़ में कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है।

व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक कानून बनाया जा रहा है। यह जटिल विधान है। इसके द्वारा हम वैधानिक तरीके से कार्य कर रही संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को तंग नहीं करना चाहते।

हम सबको इस बात की जानकारी है कि हम कितनी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इससे पार पाने के लिये हमें कठोर परिश्रम करना होगा। एक देश की समस्याएं एक दिन में हल नहीं हो जातीं। इसके लिये हमें सन्तोष और दृढ़ (निश्चय) से काम लेना होगा।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 13 दिसम्बर, 1972/22 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, December 13, 1972/Agrahayana 22, 1894 (Saka)

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—22-1-73—490